खण्ड-243, अंक-4
मंगलवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(10 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४३५–४३९
प्रश्नोत्तर	४३९–५०६
प्रश्नों के असन्तोषजनक उत्तर पर आपत्ति	५०७–५०८
प्रदेश के कतिपय राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	५०९–५१७
विधान परिषद् सदस्य, कुंवर ज्योतिस्वरूप, के घर को शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा घेरे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	५१७–५१९
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों एवं कार्य के लिये समय निर्धारण के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	५१९–५२३
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	५२३–५२८
वित्तीय वर्ष १९५९–६० के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—राजस्व से पूरे किये गये सिंचाई के निर्माण कार्य—अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय (स्वीकृत) ..	५२८–५२९
अनुदान संख्या १४—आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत) ..	५२९–५३२
अनुदान संख्या १८—पुलिस (स्वीकृत)	५३२–५४१
अनुदान संख्या २०—शिक्षा (स्वीकृत)	५४१
अनुदान संख्या ३१—परिवहन विभाग (स्वीकृत)	५४१
अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान पर व्यय (स्वीकृत) ..	५४१
अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्वीकृत)	५४२
अनुदान संख्या ४९—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	५४२
अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	५४२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	५४२–५४९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचार जारी) ..	५४९–५६४
नत्थियां	५६५–५७८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष,
श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कोतवालसिंह भवोरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधरमंठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री

डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टण्डूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटी हारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार चनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाल्क, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे मिश्र, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामाश्रयणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री

सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री

हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृहमंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय तथा गृह उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चीनी वितरण की नई योजना

**१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी वितरण के सम्बन्ध में हाल ही में राज्य सरकार ने कोई नई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो किस प्रकार की और परिवर्तन क्यों किया गया ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

परिवारों की जरूरतों व कंट्रोल के पहले उनके चीनी खर्च के आधार पर एक योजना बनायी थी, लेकिन उसका अमल में लाना अभी रोक दिया गया है।

**२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से राज्य के लिये चीनी का कितना कोटा मासिक मिलता है और राज्य सरकार ने कितने कोटे की मांग केन्द्रीय सरकार से की है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश का चीनी का मासिक कोटा २०,००० मी० टन निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से मांग की कि राज्य का कोटा २५,००० मी० टन बढ़ाया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव---

सरकार की नयी योजना को केन्द्रीय सरकार और ग्राम उपभोक्ताओं ने उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे कम आय वालों को आवश्यक चीनी नहीं मिली, तो क्या सरकार ने उस नयी योजना को बिलकुल त्याग दिया है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

अभी बिलकुल त्यागा नहीं है । आवश्यकता को नापने का और कोई साधन सिवाय आय के, हमारे पास नहीं था । लोगों ने कहा कि यह समाजवादी व्यवस्था के प्रतिकूल है । आजकल की योजना में जो शहरों और देहातों में भेदभाव है हम उसे मिटाना चाहते थे, नयी योजना से, लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं । ग्राम उपभोक्ताओं ने नहीं कहा, मगर पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों ने एतराज किया । उनकी बातों को सुनने और उस पर पूर्ण विचार करने के लिये नयी योजना स्थगित है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

यह आज तथ्य है कि चोरबाजारी में चाहे जितनी चीनी ज्यादा दामों पर हलवाइयों और दूसरों को मिल जाती है जिसके कारण ग्राम उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिल रही है, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसीलिये तो हम यह कदम उठाना चाहते थे ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

नयी स्कीम के मातहत शहरों में चीनी की मांग बढ़ जाती या घटती ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिनकी आवश्यकता ज्यादा है उनकी बढ़ जाती और जिनकी आवश्यकता कम है उनकी घटती ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मंत्री जी जानते हैं कि समाजवाद का मुख्य सिद्धान्त है क्षमता के अनुसार त्याग और आवश्यकता के अनुसार पाना, तो इसे देखते हुये माननीय मंत्री जी कौन सी विशेष व्यवस्था कर रहे हैं कि आवश्यकता के अनुसार चीनी दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यदि स्टाक इतना होता कि सबकी आवश्यकता पूरी हो सकती तो बड़ा अच्छा होता ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो हो गया है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी जानते हैं कि ग्रामीण जनता की आवश्यकता के अलग-अलग अध्याय होते हैं, जैसे शादी व त्योहारों के अवसर पर । ग्राम तौर से शहर के लोगों की आवश्यकता परमानेंट नेचर की है और बराबर है । तो यह नीति इस परिस्थिति के कहां तक उपयुक्त है, इसे माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शादी विवाह शहरों में भी होते हैं और देहातों में भी होते हैं । शहरों में भी कम आय वाले कम चीनी खाते हैं जैसे कि देहातों में हैं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

पहली योजना के अन्तर्गत आप चीनी गांव तक नहीं पहुंचा पाये हैं । नयी व्यवस्था में क्या मंत्री जी ऐसा करेंगे कि गांव वालों को भी आवश्यकता के अनुपात से चीनी मिले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं यही तो चाह रहा था, लेकिन चूंकि उसमें वाद-विवाद खड़ा हो गया, इसलिये कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया गया है । जब लोगों की समझ ठीक हो जायगी तो ठीक कर देंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

देहाती क्षेत्र में गुड़ और राब की खपत ज्यादा होती थी । सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार राब, गुड़ और खण्डसारी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इससे देहाती लोगों की चीनी की जो अधिक आवश्यकता हुई उसे सरकार कैसे पूरी करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार की नीति ने ४६ रुपये मन से गुड़ को २०, २२ रुपये मन पर ला दिया है, लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विशद बहस १३ और १४ को होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो अपनी नीति घोषित की है कि आवश्यकता के अनुसार चीनी का कोटा रखा जाय और कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों को आवश्यकता के अनुसार दे रही है तो केन्द्रीय सरकार हमारे प्रदेश को ज्यादा देने में क्यों एतराज कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार गोपनीय रखती है कि किस स्टेट को कितनी दे रहे हैं । हमने उनके सामने अपनी मांग रखी है, मगर उन्होंने तय नहीं किया है ।

चीनी वितरण की नवीन योजना का स्थगन

**३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आय के आधार पर शक्कर वितरण की नीति का परित्याग कर दिया है ? यदि हां, तो शक्कर वितरण के सम्बन्ध में अब सरकार की नवीन नीति क्या होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आय के आधार पर शकर वितरण की योजना इस समय स्थगित कर दी गई है । आगे की नीति क्या होगी यह अभी विचाराधीन है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

बरेली क्षेत्र के रोडवेज कर्मचारियों की स्थिति

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज बरेली रीजन में प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की भारी संख्या में छटनी की जा रही है जिससे उनमें भारी असन्तोष व बेकारी की समस्या व्याप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस छटनी के कारणों पर प्रकाश डालेगी तथा इस आज्ञा को तुरन्त रद्द करायेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

ऐसी कोई छटनी नहीं हो रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली रोडवेज के प्रबन्धक महोदय ने कर्मचारियों को निकालने का नोटिस दिया था ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

ऐसी नोटिस की सूचना मेरे पास नहीं है । यह जरूर था कि जनरल मैनेजर यह महसूस करते थे कि वहां सरप्लस स्टाफ है, इसलिये उसमें कुछ कमी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसकी आज्ञा नहीं दी गई ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन आधारों पर वहां के जनरल मैनेजर महसूस करते थे कि कर्मचारियों को निकाला जाय ?

श्री अध्यक्ष---

कुछ भी आधार हो, गवर्नमेंट ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है ।

श्री उग्रसेन---

क्या जनरल मैनेजर बरेली ने अपने क्षेत्र के किसी भी कर्मचारी को इधर एकाध महीने में एक महीने की नोटिस देकर निकाला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

नहीं ।

सगड़ी तहसील में सिंचाई

*२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर के दिनांक २५ सितम्बर, के प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अनुसार श्री उमाशंकर जी द्वारा मंत्री जी का ध्यान जो आजमगढ़ जिले के सूखा क्षेत्र की ओर दिलाया गया था उसके क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की ओर से तत्काल संकट निवारण हेतु क्या-क्या उपाय किये गये और कहां कहां काम हो रहा है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां श्री उमाशंकर जी द्वारा मंत्री का ध्यान आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में सूखा पड़ने की ओर आकर्षित किया गया था। इस संबंध में अधिकारियों ने २०-९-६३ को उक्त क्षेत्र में रुक करके पानी की आवश्यकता का अनुमान लगाया । काश्तकारों ने ८-१० दिन के बाद पानी की आवश्यकता बतलाई । फलस्वरूप दिनांक २-१०-६३ से नहर

चलाई जाने वाली थी किन्तु कृषकों की तीव्र मांग के कारण दिनांक २९-९-६३ को ही नहर चलाना निश्चित किया गया । दिनांक २९-३० सितम्बर को कुछ वर्षा के कारण नहर २-१०-६३ को चलाई गई । दिनांक २-१०-६३ और ३-१०-६३ को फिर वर्षा हो गई। अतः नहर ३-१०-६३ को बन्द कर दी गई । पुनः ७-१०-६३ को नहर चलाई गई । तहसील सगड़ी के सब नलकूप चालकों व अधिकारीगण को सतर्क कर दिया गया था कि वे देखें कि कृषकों को सब नलकूपों से आवश्यकता पर पानी मिले । तहसील सगड़ी के सभी नलकूप चालू हालत में हैं ।

*३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री ने टांडा कैनाल की उपशाखा कपसा ब्रांच जो आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज से कपसा की ओर जाती है उसकी पानी न चढ़ने की खराबी को दूर करके वहां पानी शीघ्र देने का आदेश दिया है?

*४—क्या उक्त शाखा नहर में पानी जा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कपसा नहर के आखिरी ३ मील ऊसर है । वर्षा काल में उसरीली मिट्टी बहकर तली में बैठ जाती है और किनारे नीचे हो जाते हैं । अक्तूबर, ६३ में साढ़े चार मील के आगे पानी नहर की तली ऊंची होने के कारण नहीं बढ़ सका, तली को नीचा कराया गया और पानी टेल तक पहुंचाया गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने कपसा शाखा का पानी आगे नदी में डालने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कपसा के टेल एन्ड में ऊसर की मिट्टी भर जाने से दिक्कत हो जाती है, उसको खुदवा दिया गया था ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा मतलब यह है कि टेल एन्ड पर पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है । इसलिये अगर उसमें से एक नहर छोटी सी निकाल कर उसका सरप्लस पानी नदी में डाल दिया जाय तो किसान बाढ़ से बच जायं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसका पानी तो नियंत्रित रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं और मुझे इसके बारे में लिखकर देंगे तो जरूर उसके इन्तजाम के बारे में सोचा जायगा ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि कपसा नहर के न खुदने के कारण नीचे पानी नहीं पहुंच सका और किसानों की फसल सूख गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कपसा एक पंप कैनाल है । उसके नीचे के भाग में पानी नहीं पहुंच पाया था । बाद को जब मालूम हुआ तो उसको ठीक किया गया और नलकूपों से भी पानी दिया गया ।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो आपने नलकूप अधिकारी को सतर्क रहने का आदेश दिया तो सगड़ी तहसील के नलकूप उसके बाद कितने घंटे चले ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गोंडा तहसील में सिंचाई साधनों का अभाव

*१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा तहसील के कौंड़ियाबाजार तिरेमनोरामा और देवरिया अलावल में सिंचाई का क्या प्रबन्ध है और इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने में क्या अड़चन है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इन ग्रामों में सरकार की ओर से सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है । ग्राम कौंड़ियाबाजार में गन्ने की खेती का अभाव होने के कारण तथा ग्राम तिरेमनोरामा और देवरिया अलावल में तालाबों की अधिकता तथा पानी की सतह कम गहराई पर ही होने के कारण नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एटा जिले में बघार ताल का पानी निकालने का सुझाव

*२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़िया, ढकरई, गुड़ियाई हथौड़ा खेड़ा, रम्पुरा आदि विकास क्षेत्र पटियाली, जिला एटा की खेती वहां स्थित 'बघार' नामक तालाब से प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सब ग्रामों की तो नहीं केवल हथौड़ा खेड़ा तथा रम्पुरा (संख्या २) ग्रामों की खेती को अधिक वर्षाकाल में अवश्य हानि पहुंचती है ।

*३—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त 'बघार' में मोहनपुर, बहोटे की ओर से आने वाले नाले का सभी पानी भर जाता है जिसी कारण फसल नष्ट हो जाती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बघार तालाब बहोटा नाले के मार्ग (alignment) में स्थित है और इसका लेविल (level) नाले की तली के लेविल से नीचा है । अतः अधिक वर्षा काल में नाले का पानी इस में भर जाता है जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त दो ग्रामों की फसल को हानि पहुंचती है ।

*४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या यह भी सही है कि 'बघार' में से एक नाला निकाल कर कुछ मील दूर एक अन्य नाले में मिला दिया है, परन्तु वह गहरा न होने के कारण पानी बघार से नहीं खींचता ? यदि हां, तो क्या 'बघार' से निकालने वाले नाले को जो करनपुर बकराई, गोढा धनाकरि आदि ग्रामों से होता हुआ ग्राम जासमई के नाले में मिलता है खुदाई करा कर के गहरा करने का विभाग को आदेश देंगे, ताकि फसल की क्षति बच जावे ? यदि हां, तो यह कब तक ठीक हो जावेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—बघार तालाब में से तो कोई नाला निकाला नहीं गया है, किन्तु स्वयं बघार तालाब बहोटा नाले के मार्ग (alignment) में पड़ता है ।

दूसरा भाग—इस बहोटा नाले को, जो आगे चल कर मोहनपुर नाले में मिलता है, गहरा करना संभव नहीं है ।

तीसरा भाग—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस नाले को गहरा करना संभव क्यों नहीं था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसलिये कि जिसमें यह नाला मिलता है उससे इसकी सतह नीची हो जाती । अगर इसको नीचा किया जाता तो तमाम आगे भी नीचा करना पड़ता, नहीं तो किसानों के खेतों में पानी भर जाता और फसल को बहुत नुकसान होता ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी इस प्रकार की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा करायेंगे कि बघोरा का जो भाग बघार से निकला है उसको घुमाकर निकाला जाय ताकि वहां १५–२० मील की दूरी का पानी न भरे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वह कोई नाला नहीं है, वह तो रास्ते में पड़ता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं चाहता हूं कि उसका मार्ग बदल दिया जाय ताकि बघार अलग हो जाय और नाले का अलग से एलाइनमेंट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि आप उसका रुख स्वयं बदल दीजिये ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं समझता हूं यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप लिख कर देंगे तो उसको भी दिखला लिया जायगा, अगर ग्रेडियेंट और ढाल होगा तो देख लिया जायगा ।

गांव ऊंचे करना

*५—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ रक्षा योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से गांव कितनी लागत से ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४०१ गांवों को ऊंचा करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है । इन गांवों की सूची यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं । इस कार्य पर होने वाले व्यय के आंकड़े इस समय देना संभव नहीं है, क्योंकि यह कार्य समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

*६—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष (१९६२–६३) में सरजू व घाघरा तथा राप्ती नदियों की बाढ़ से बचाव के लिए कौन-कौन से गांव कितनी लागत में ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में इन नदियों के किनारे के २३३ गांवों को ऊंचा करने का कार्य आरम्भ हुआ और उस वर्ष में उन पर लगभग ७·५८ लाख रुपये व्यय हुए। प्रत्येक गांव को ऊंचा करने की अलग-अलग लागत का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इन गांवों की सूची भी यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो काम आरम्भ किया गया है वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रयत्न किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र इसे समाप्त किया जाय।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में भी बुन्देलखंड का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें कई साल से ५०–६० गांव हर साल बह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उनको ऊंचा करने की भी सरकारी कोई स्कीम है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बुन्देलखंड तो वैसे ही काफी ऊंचा है, वहां की कोई योजना इस वक्त नहीं है।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि गोंडा जिले में घाघरा और सरजू के किनारे बांध बनाया गया है और जब से बांध बना है बाढ़ से वहां पानी ऊंचा हो जाता है जिससे वहां के गांवों के लोगों की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या बांध के किनारे के समस्त गांवों की पटाई कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

गोंडा में १००० गांवों को ऊंचा करने की स्कीम है, उस पर काम होगा।

श्री रामअवध—

क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना जो भैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम में है और उसके तहत में जो स्कीम बनाई जाती है वह किस स्तर पर है ? जो योजना बनाई जाती है वह खटाई में पड़ जाती है और उसकी कई जगह से छानबीन होती है और गोरखपुर की जो योजना बनी है उस पर भी अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कोई भी स्कीम बनाने से पहले उसकी एक स्कीम बनती है, उसकी एक कमेटी होती है, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से पास होती है, यह अभी पिछली मीटिंग में पास हुई है और इस पर काम शीघ्र ही आरम्भ होगा।

श्री उपसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो उत्तर में दिया है कि सरयू, घाघरा और राप्ती के पेटे में २३३ गांव ऊंचे करने का काम आरम्भ हुआ था तो १९६२–६३ में कितने गांव ऊंचे हो गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक कुल ३,६२८ गांव ऊंचे कर दिये गये हैं ।

श्री उपसेन—

मेरा सवाल यह था कि १९६२–६३ में २३३ गांव ऊंचे करने का काम शुरू हुआ तो उसमें से कितने ऊंचे हो गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का हक नहीं है । लेकिन इतना विस्तृत प्रश्न किया गया है कि सारे प्रदेश में कहां कहां क्या किया गया । इस सबका जवाब मंत्री जी ने दे दिया । अब प्रत्येक मद का विवरण मंत्री जी न दे सकेंगे अतः आदरणीय सदस्य सिद्धांत की बात पूछें तो अच्छा है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे गांव जो सरजू और राप्ती की बाढ़ से खतरे में हैं, या कट रहे हैं जिनका सर्वेक्षण कराया गया है, क्या उनकी सूची है ? अगर है तो उन सबको ऊंचा करने की कोई योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तमाम पूर्वी हिस्से में ७ हजार गांव ऐसे हैं जिनको ऊंचा करने की आवश्यकता है । इनमें से ४ हजार गांवों का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसमें से ३६२८ गांव ऊंचे किये जा चुके हैं । उसके बाद ऊंचा करने वाले गांवों की अलग-अलग योजना बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे धन मिलेगा इन गांवों को ऊंचा करने का प्रयास किया जायगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

कोई कमप्लीट रिपोर्ट ऐसे गांवों की है जो कि खतरे में हैं ? उन सब के बचाव के लिये पैसा खर्च करने की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि पूरी योजना के अन्तर्गत ७ हजार गांव हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मैं जान सकता हूं कि कुल गांवों की संख्या जो कटने वाले हैं या कट चुके हैं उनकी रिपोर्ट आपके पास है ? अगर है, तो सब की रक्षा के लिये कोई योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस समय सूचना नहीं है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

सवाल यह है कि नदी के किनारे के गांवों के संबंध में माननीय मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये थे तो उनको ऊंचा करने की लिस्ट में न रखने के क्या कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिन गांवों को माननीय मंत्री जी, ऊंचा करने की लिस्ट बनाने जा रहे हैं और जिसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं, रुपया भी सैंक्शन हो चुका है वे गांव भी इस कारण ऊंचे नहीं किये जा रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, उनकी देख रेख नहीं है । इसलिये भी पटाई का काम रुका पड़ा है और जब शुरू भी होता है तब बरसात के बाद ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप किसी विशेष गांव के बारे में कहेंगे तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या पटाई के लिये जो गांव की सूची स्वीकृत है उनमें बहुत से गांवों का कार्य इसलिये रुका है कि जिन ब्लाकों में सिंचाई होती है वे ब्लाक मैन पावर युटिलाइजेशन स्कीम में नहीं लिये गये हैं ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । नोटिस की आवश्यकता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रश्न के मतलब को देखते हुये सरकार ऊंचा किये जाने वाले गांवों की जिला वाइज एक सूची तैयार करा देगी ताकि सभी सदस्यों को मालूम हो जाय कि कौन-कौन से गांव ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यदि सदस्य चाहेंगे तो जरूर बनवा दूंगा लेकिन समय चाहिये ।

अनेक सदस्य—

हम सब चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके सूची तैयार करा दें जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं ।

श्री बैजनाथ सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सुल्तानपुर जिले में.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि हम एक सूची तैयार कराकर सब माननीय सदस्यों को दे देंगे । उसके बाद प्रश्न हो जायेंगे ।

छितौनी बांध

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी बांध की इस बाढ़ में या स्थिति है तथा वह कितनी जगह पर छोटी गण्डक में बाढ़ के कारण टूट गया ? उसके टूटने का क्या और कोई भी कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

देवरिया जिले में स्थित छितौनी बांध १९६३ की बाढ़ में केवल १० मील ५०० फीट से ११ मील ३ फर्लांग ४०० फीट के बीच में टूट गया । यह छोटी गंडक से नहीं बल्कि बड़ी गंडक की बाढ़ से टूटा और इसका कारण बड़ी गंडक की सब धाराओं का पानी एक जगह जमा हो कर इस स्थान पर अचानक आक्रमण करना है । इसके टूटने का और कोई कारण नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बांध टूटने के कारणों की जांच के लिये क्या उन्होंने कोई अफसर नियुक्त किया ? यदि हां, तो उस अफसर की क्या रिपोर्ट है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे यहां चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट आयी है कि बड़ी गंडक का जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी था, एक जगह टकराने लगा और उससे वह बांध टूट गया । उसकी कोई अनयूजुअल बात नहीं थी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार भविष्य में किसी योजना पर विचार करने जा रही है जिससे नदी की धारा उधर न जा सके और बांध टूटने न पाये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक नयी स्कीम सर्वे कर ली गयी है । वह २० लाख रुपये की स्कीम है । उसका सर्वेक्षण हो गया है ।

श्री कृष्णा (जिला झांसी)—

क्या इस बात की जांच की गयी कि किस इंजीनियर की गलती से बांध टूट गया और कितना नुकसान हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह नहीं कहा कि किसी इंजीनियर की गलती से ऐसा हुआ । गंडक जैसी बड़ी नदी से अगर ज्यादा पानी आ जाय तो बांध टूट सकता है ।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार को सूचना है कि यह छितौनी बांध गलत बांधा गया और वह इसी साल नहीं टूटा है, लगातार कई वर्षों से टूट रहा है ? इतनी चेतावनी होते हुये भी हर वर्ष यह टूटता है और हर साल एक स्कीम सर्वेक्षण की जा रही है ठोकर बनाने के लिये तो अब तक यह काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बांध ऐसे भी बन सकते हैं चाहे जितनी बड़ी नदियां हों उनको रोक दें लेकिन उसके लिये अपार धन की आवश्यकता होती है। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं के आधार पर बांध बनाया गया और वह साधारण स्थिति के लिये ठीक था। असाधारण स्थिति में ज्यादा पानी आ गया तो टूट गया।

श्री रामायण राय---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बांध के टूटने से हमारे जिले का बहुत बड़ा हिस्सा जलप्लावित हो गया तो आगामी बरसात के प्रारम्भ होने से पूर्व हमारे जनपद के उस भू-भाग को तात्कालिक बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

एक स्कीम हमने बनायी है.....

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि हमेशा यह होता रहता है तो उसे फौरन बचाने के लिये आगामी बरसात के पूर्व आपने कोई व्यवस्था की है जिससे जनपद को नुकसान न हो ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैं इस तरह के आदेश भेज दूंगा कि कोई इस तरह की स्कीम बना दी जाय ताकि यहां टेम्पोरेरी इलाज हो जाय।

श्री रामायण राय---

कोई साधारण चीज नहीं है। बड़ी गंडक नदी में जितना पानी...

श्री अध्यक्ष---

रामायण राय जी, आप को एश्योरेन्स दे रहे हैं कि वह इस दिशा में कदम उठायेंगे। लेकिन आप परसों करना चाहते हैं तो आप उनसे मिल लीजियेगा।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या यह सही है कि जो बड़े-बड़े इंजीनियर हैं उनमें से किन्हीं ने यह राय दी है कि उस इलाके में कोई भी बांध टूट सकता है जब तक कि उस नदी के उद्गम स्थल नेपाल के इलाके में रोकथाम न की जाय, इसलिये वहां पर किसी बांध की जरूरत नहीं है और पानी का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होने दिया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह सही है कि उसका परमानेन्ट सल्यूशन तो नेपाल बांध ही है जिसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं और चूंकि वह जमीन नैपाल राज्य में है हमारा निरन्तर प्रयत्न यह है, कि उनसे इजाजत लेकर कार्य शुरू कर दें। उस जमीन के लिये हमने रुपया भी दे दिया है और इजाजत मिल जायगी तो वह काम भी हम प्रारम्भ करेंगे।

ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियों को परमिट न मिलना

*६---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत २ वर्षों में प्रान्त में कितनी ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

पांच ।

*६--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमिट देते समय क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी ट्रांसपोर्ट कोग्रापरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता देते हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर गत २ वर्षों में ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियों को परमिट दिये गये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

नियमानुसार कोग्रापरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता दी जाती है । बुलन्दशहर, रामपुर, धारचुला, ऋषिकेश, तथा गढ़वाल में १८ परमिट पांच ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियों को तथा आगरा, बस्ती, गढ़वाल और ऋषिकेश, मार्चुला, हल्द्वानी, अल्मोड़ा गरूर में १३ परमिट अन्य १० सहकारी समितियों को दिये गये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि मेरठ रीजन में कितनी दरख्वास्तें कोग्रापरेटिव सोसायटीज को बसों की परमिटों के लिये गत दो वर्षों में प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी स्वीकार की गयीं और कितनी अस्वीकार और जो अस्वीकार की गयीं वह क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मेरठ रीजन के लिये १३ दरख्वास्तें आयीं । जो १३ परमिट दिये गये उनमें से ५ ट्रांसपोर्ट की सहकारी समितियों को दिये गये लेकिन इसमें मेरठ का कोई जिक्र नहीं है । मेरठ से जिनकी दरख्वास्तें आयीं उनका हवाला है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां-

मान्यवर, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब साफ नहीं हुआ । कृपया मंत्रीजी उसे जरा साफ तरीके से बतायें कि उन्हें अस्वीकार करने का क्या कारण था, जबकि उन्होंने जवाब यह भी दिया है कि ट्रांसपोर्ट कोग्रापरेटिव सोसाइटीज की जो दरख्वास्तें आती हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अस्वीकार करने का कारण तजुरबे की कमी और साधन की कमी भी हो सकती है । इसके अतिरिक्त बहुत सी सोसाइटियां रजिस्टर्ड नहीं होती हैं और सोसाइटी का नाम रख कर दरख्वास्त दे देते हैं । उनको माना नहीं जाता । रजिस्ट्रार, कोग्रापरेटिव सोसाइटीज से पक्का करवा लिया जाता है कि उनके यहां कौन सी सोसायटी रजिस्टर हुई है या नहीं । जब दोनों समान योग्यताओं वाली दरख्वास्तें सामने आती हैं तो कोग्रापरेटिव सोसाइटी को प्रिफरेन्स दिया जाता है ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

क्या सरकार इसकी इन्क्वायरी करायेगी कि ४-५ कंपनी ऐसी हैं जो फ़्राड कर के परमिट ले लेती हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मेरठ रीजन में कौन-कौन ऐसी ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियां हैं जिनको आपने परमिट दिया है और किन को नहीं दिया है ?

श्री हरीश्चन्द्र कांडपाल---

मेरठ रीजन में जिनको परमिट दिया गया है उनके नाम हैं--नवभारत ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, मेरठ और डीलक्स ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मेरठ। जिनको परमिट नहीं दिया गया है उनके नाम हैं---मार्डन ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, बुलन्दशहर, भारत ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, मेरठ, हापुड़ ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, मेरठ, नाइव कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट कंपनी, अलीगढ़, ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, बुलन्दशहर, मेरठ एक्ससर्विसमेन कोआपरेटिव मोटर वर्कशाप, मेरठ, संभोली ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश यातायात सहकारी समिति, मेरठ, सर्वश्री सर्वोदय कोआपरेटिव ऐग्रीकल्चर फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, भारत कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट ऐंड जनरल सोसाइटी, मेरठ, सर्वश्री कोआपरेटिव मोटर ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, मेरठ, शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड बैकवर्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, मेरठ और धिनकुवा ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, मेरठ ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज को परमिट नहीं दिये गये उसका क्या कारण है । मंत्रीजी ने बताया कि यह हो सकता है, वह हो सकता है । उनका जो डेफिनिट सवाल है वह बताया जाय ?

श्री हरीश्चन्द्र कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, हर केस में अलग-अलग कारण हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज को परमिट नहीं दिये गये वह क्यों नहीं दिये गये, इसको आप बता सकते हैं या नहीं ?

श्री हरीश्चन्द्र कांडपाल---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन---

जहां तक मैंने सुना है मंत्री जी ने एक कारण यह बताया है कि बहुत-सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो फर्जी हैं और रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको नहीं दिया गया है; तो कौन-कौन सोसाइटीज फर्जी हैं यह बता दें ?

श्री हरीश्चन्द्र कांडपाल---

इनके नाम मेरे पास नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है और अहमद बख्श उसके सदस्य रहे हैं, तो क्या माननीय अहमद बख्श इसका जवाब दे सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

सगड़ी तहसील में बाढ़-नियंत्रण योजना

*१०—श्री उमाशंकर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में बाढ़ तथा कटाव से बचाने के लिये एक वर्ष में सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पिछले साल (१९६२–६३) में तो कोई धन इस पर खर्च नहीं किया गया, परन्तु इस वर्ष सितम्बर, १९६३ के अन्त तक ९९,१८० रु० इस काम पर खर्च हो चुका है ।

*११—श्री उमाशंकर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में प्रसिद्ध गांगेपुल तथा घोसी तहसील में रामपुर धनौली ग्राम में घाघरा नदी के कटाव से बचाव के लिये कितना धन खर्च कर` की व्यवस्था की गयी है और कटाव को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस संबंध में सितम्बर, १९६३ के अन्त तक १,४६,०४२ रु० खर्च किये जा चुके हैं और २५,००० रु० और खर्च होने का अनुमान है । कटाव के रोकने के लिये परमिएबुल स्पर (permeable spur) बनाये गये हैं, वृक्षों और बांसों के स्पर डाले गये हैं और ईंट व बालू भरी बोरियों को बिछाया गया है ।

श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, इतनी लम्बी रकम को देखते हुये जो वहां काम हुआ वह बहुत कम हुआ है । उसके लिये क्या मंत्री जी एक जांच कमीशन बिठायेंगे जो यह देखे कि इस रुपये का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, काम कम नहीं हुआ है । अगर आप चाहेंगे तो मैं आप को बता दूंगा । मेरे पास डिटेल्स हैं ।

श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, इसके संबंध में एक चिट्ठी माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, आजमगढ़ को लिखी थी और मंत्री जी ने शायद देखा नहीं है कि जो रकम खर्च हुई है और जो काम हुआ है वह चौथाई काम भी नहीं है और पैसे का दुरुपयोग बुरी तरह से हुआ है । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक जांच कमीशन बिठा दें जो अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करे ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप मुझे चिट्ठी लिख दें मैं जरूर जांच करवा लूंगा ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है, इसकी रपट है जो अखबारों में निकला है कि नाममात्र के बल्ले और बालू के बोरे डाल दिये गये और जब बल्ले तथा बोरे बह गये तो एक लाख से ज्यादा का फर्जी बिल बना दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इनकी अखबारों में सूचना है लेकिन मेरे पास सूचना ऐसी नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

मेरे घर के जंगल में है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि परमिएबुल स्पर्स की व्यवस्था वहां की गयी है, तो क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि परमिएबुल स्पर्स की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है और इसमें लागत भी ज्यादा पड़ जाती है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि परमिएबुल स्पर्स के स्थान पर क्रिट पिचिंग या पक्के कुओं पर बनाये जायें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

परमिएबिल बंध इस दृष्टि से बनाया जाता है कि उसमें कम पैसा लगता है । अगर सदन ज्यादा पैसा दे दे तो बहुत से परमानेंट बंध भी बन सकते हैं । लेकिन यह रुपये का सवाल है ।

श्री झारखंडे राय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इन दोनों स्थानों की जांच के लिये और देखभाल के लिये माननीय मंत्री जी श्री हुकुमसिंह स्वयं वहां गये थे और उस मौके पर हम लोग भी मौजूद थे वहां यह देखा गया कि जो भी सरकार की ओर से प्रयास हो रहे थे बाढ़ के कटाव को रोकने के लिये वह ऊपरी सतह पर थे और नदी कई लट्ठे नीचे काट रही थी, नतीजा यह था कि तमाम बोरे या लट्ठे एक दिन के बाद नदी के पेट में गायब हो जाया करते थे, अब नदी पीछे हट गयी है तो पूरे मामले की जांच-पड़ताल करवा कर गहराई से रोकथाम करने का गवर्नमेंट का विचार है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

परमिएबिल बंध ऐसा ही होता है कि आवश्यकतानुसार नीचे भी चला जाया करता है लेकिन फिर भी जो आपने बात कही कि माननीय मंत्री जी गये थे इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है उसको मैं दिखवा लूंगा और बातचीत करूंगा कि क्या कोई ऐसा इंतजाम हो सकता है जो परमानेन्ट हो ।

मोटर ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र, आलमबाग

*१२--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि आलमबाग (लखनऊ) स्थित मोटर ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र की सरकारी गाड़ियों से सामान तथा डीजल तेल आदि नाजायज तरीके से बेचे जा रहे हैं, जिसका चार गैलन डीजल तेल जुनाबगंज के चौराहे पर स्थित एक चाय और मिठाई की दूकान पर से स्थानीय पुलिस ने हाल ही में पकड़ा है ? यदि हां, तो इस की जांच हुई या नहीं, तथा कौन-कौन दोषी पाया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

जी नहीं । विभागीय और पुलिस की जांच के बाद कोई दोषी नहीं पाया गया।

झांसी जिले के गबन संबंधी मुकदमों की वापसी

*१३—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९६० से अगस्त,१९६३ तक कितने गबन के मुकदमे न्यायालयों से सरकार ने झांसी जिले से वापस लिये ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

पांच मुकदमें वापस लिये गये ।

श्री लखपतराम शर्मा—

जो पांच मुकदमे वापस लिये गये वह फौजदारी की किस धारा में थे, किन-किन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे चले और किस राजनीतिक पार्टी से उनका सम्बन्ध था ?

श्री अध्यक्ष—

गबन के मुकदमे थे जो वापस लिये गये या कोई और मुकदमे थे ?

श्री लखपतराम शर्मा—

किन-किन अभियुक्तों के खिलाफ चले थे और किस राजनीतिक पार्टी से उनका सम्बन्ध था और माननीय मंत्री जी की जानकारी में वापस लिये गये ?

श्री जयराम वर्मा—

पहला मुकदमा तो श्री मदन लाल, प्रेसीडेंट नोटिफाइड एरिया समथर के खिलाफ था तथा श्री रमेशकुमार सुपरिटेंडेंट नोटिफाइड एरिया दफा ४०९ आई० पी० सी० और बाकी भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री गज्जूराम, चुन्नीलाल, गोरेलाल, मनतू लाल के खिलाफ थे—दफा ४२०/१२०/(बी) ४६८ /४७१ आई० पी० सी० के अन्तर्गत ।

श्री लखपत राम शर्मा—

क्या न्याय मंत्री जी के आदेश से ये मुकदमे वापस लिये गये ? और किस राजनीतिक पार्टी से उनका सम्बन्ध था, यह मैंने पूछा था इसका जवाब आपने नहीं दिया?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जहां तक पहले मुकदमे का ताल्लुक है मई सन् ६० में उसका सैंक्शन हुआ था और न्याय मंत्री ने सैंक्शन किया था और जहां तक दूसरे मुकदमे का ताल्लुक है इसका हुक्म मई सन् ६३ में हुआ था ।

श्री लखपतराम शर्मा—

किस पार्टी से इनका सम्बन्ध था ?

श्री सैयद अली जहीर—

पार्टी का सम्बन्ध कहना बड़ा मुश्किल है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पहला मुकदमा जो वापस हुआ टाउन एरिया समथर के चेयरमैन के खिलाफ क्या वह मुकदमा ए० डी० एम० के यहां से सेशन कमिट हो चुका था और सेशन अदालत से उसे वापस लिया गया ? यदि सेशन अदालत से वापस हुआ तो जनहित के वह कौन से कारण थे जिनकी वजह से यह गबन का मुकदमा वापस लिया गया और किसके आदेश से वापस लिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर---

जैसा मैंने अभी बताया मई सन् ६० में वह मुकदमा सेशन से वापस लिया गया। उस वक्त मेरे मित्र श्री हुकुमसिंह जी न्याय मंत्री थे, उनके हुक्म फाइल पर हुए और उनके हुक्म से वापस लिया गया।

श्री लखपतराम शर्मा---

उसमें जनहित के कौन से कारण थे यह मैंने पूछा था ....

श्री अध्यक्ष---

आपने पूछा कि पहला मुकदमा किस के हुकुम से वापस हुआ वह उन्होंने बताया कि न्याय मंत्री के हुक्म से वापस हुआ। दूसरा आपने पूछा कि क्या सेशन से वापस हुआ उसके लिए उन्होंने कहा कि सेशन से वापस हुआ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमे चलाने की क्या जरूरत पड़ी और उन्हें वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों वापस लिये गये, क्या स्थिति ऐसी आ पड़ी ?

श्री सैयद अली जहीर---

अब उन्हीं फाइलों में यह सब है, बड़ा लम्बा ब्यौरा इसका है। बहरहाल आखिर में यह समझा गया कि यह मुकदमा चलाना जनहित में न होगा, इसलिये वापस ले लिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ यह मुकदमे वापस लिये गए वे जो विधान सभा में विरोधी दल के नाम से बैठते हैं, उनके अलावा किसी दल से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

(न्याय मंत्री जी) आप जानते हैं या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---

मैं कुछ जानता नहीं, मुझे ठीक नहीं मालूम है।

श्री उग्रसेन---

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया वह कांग्रेस विधान सभाई दल के एक सदस्य थे और उन पर गबन का मुकदमा चल रहा था ?

श्री सैयद अली जहीर---

जी नहीं, वह विधान सभा के मेम्बर नहीं थे, वह टाउन एरिया के चेयरमैन थे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गबन के मुकदमे कितने रुपये के गबन के थे ?

श्री सैयद अली जहीर---

जहां तक पहले मुकदमे का ताल्लुक है ऐसा मालूम होता है कि उसमें दो रकमें थीं एक पन्द्रह सौ की और दूसरी २१ सौ की। तो कुछ रुपया तो इसमें से ऐसा लगता था कि जायज खर्च हुआ है और कुछ रुपये का हिसाब नहीं था। ठीक फिगर इस वक्त उसकी अवेलेबिल नहीं है लेकिन टोटल एमाउन्ट १५ सौ और २१ सौ का था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, एक ही मुकदमे का बताया, दूसरे का नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष---

वह इस वक्त नहीं बता सकते। उनके पास ब्यौरा नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा ---

मैं न्याय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मुकदमा ए० डी० एम० कोर्ट, झांसी से सेशन अदालत को कमिट हो चुका था तब एडवोकेट जनरल को लखनऊ से पैरवी के लिये भेजा गया और जब उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई तब लखनऊ से डी० जी० सी० को भेजा गया ? यदि हां, तो कितने हजार रुपया उनको पैरवी के लिये दिया गया और इसमें जनहित का क्या कारण था ?

श्री सैयद अली जहीर---

यह बाकयात सही हैं कि एडवोकेट जनरल जब पहले गये थे तो वह दरख्वास्त खारिज हो गई थी। उसके बाद लखनऊ से डी० जी० सी० को दूसरी दरख्वास्त लेकर भेजा गया तो मंजूर हुआ और उसके बाद वह मुकदमा वापस हुआ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार को इस मुकदमे के वापस कराने में कितना खर्च करना पड़ा ?

श्री सैयद अली जहीर---

जाहिर है इससे सरफे का कोई खास ताल्लुक नहीं है।

श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसे उत्तर आ रहे हैं जो स्पष्ट नहीं हैं। जो प्रश्न हम लोग करते हैं, निश्चित करते हैं, उनके उत्तर नहीं दिये जा रहे हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के उत्तर आप दिलायें, जो स्पष्ट हों। इस तरह के जो उत्तर दे रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं निकलता।

श्री अध्यक्ष---

उनका मतलब यह था कि कोई खास रकम इसमें नहीं बनती।

श्री लखपतराम शर्मा---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब झांसी के डी० जी० सी० वहां पर मौजूद थे तो लखनऊ से डी० जी० सी० को भेजने का क्या कारण था और वह किसकी सिफारिश पर भेजे गये ?

श्री सैयद अली जहीर---

कुछ ऐसा मालूम होता है कि यह मुकदमा दलबन्दी की बुनियाद पर था। उस वक्त यह खयाल हुआ कि जो लोकल डी० जी० सी० हैं वह किसी खास पार्टी में शामिल हैं। लिहाजा उनके ऊपर एतमाद नहीं किया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने बतलाया कि जनहित में यह बतलाना ठीक नहीं है कि क्यों मुकदमा वापस हुआ। मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि गबन का मुकदमा वापस लेना कहां तक जनहित में है और इसका कारण न बताना कहां तक जनहित में है ?

श्री अध्यक्ष---

यह आप राय मांग रहे हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

दो दरख्वास्तें पड़ी हैं मुकदमा वापस करने के लिये, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पहली दरख्वास्त में क्या कारण दिये गये थे और दूसरी में क्या कारण दिये गये थे मुकदमे की वापसी के लिये ?

श्री सैयद अली जहीर---

मुझे फाइल देखने से यह भी पता चलता है कि पहली दरख्वास्त में गालिबन कोई वजह नहीं दी गयी थी और इसी वजह से जज ने उसको खारिज कर दिया। दूसरी में वजह लिख कर दरख्वास्त दी गयी थी तब उन्होंने उसको मंजूर किया।

[१० दिसम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बांसगांव तहसील में नलकूप

*१---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के बांसगांव सब-डिवीजन में किन किन स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के आवेदन-पत्र अब तक विचाराधीन हैं और उनमें से किन-किन स्थानों पर नलकूप लगाने की योजना सरकार की है और उसकी पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

बांसगांव तहसील में नलकूप निर्माण हेतु १५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इस तहसील में पहले बनाये गये नलकूप संतोषप्रद कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके चलने का औसत प्रति नलकूप १०१० घंटा प्रति वर्ष से भी कम आता है। अतएव इस तहसील में नये नलकूप निर्माण करने का विचार नहीं है।

*२---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नरेताल ड्रेन को पुनः सुधार करने के लिये प्रश्न कर्त्ता का कोई पत्र जिला अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

नोट :---तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल---

जी हां, एक आवेदन-पत्र नरेताल ड्रेन की लाईन में परिवर्तन करने हेतु प्राप्त हुआ था इसको कार्यान्वित करने के लिये सर्वेक्षण करने पर यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया।

*३---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार को मालूम है कि लगभग साल भर से बांसगांव सब-डिवीजन क कौन-कौन नलकूप बेकार पड़े हैं और क्यों तथा इनको पुनः चलाने में कितनी देर लगेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

इस सब-डिवीजन में ६ नलकूप संख्या १,३६,२१, २४ तथा ५५ बांसगांव ग्रुप फेल हो जाने के कारण बंद हैं। इनके पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जा रही है और आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जायेंगे।

केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के अस्थायी कर्मचारी, परिवहन विभाग में निर्माण-कार्य, बिल्थरा रोड बस स्टेशन

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं और उनमें से कितने -कितने स्थायी हैं तथा उनमें से कितने अस्थायी हैं ? निम्न कर्मचारियों को अस्थायी रखने का कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर में कुल १७३६ कर्मचारी हैं जिनमें २१ गजटेड और ४१४ नान-गजटेड हैं। इनके अलावा १३०१ कर्मचारी वर्कचार्ज के हैं जिन पर श्रम कानून लागू होते हैं। गजटेड कर्मचारियों में १४ स्थायी हैं और नान-गजटेड में ६८। ७ गजटेड और ३४६ नान-गजेटेड कर्मचारी अस्थायी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इनमें से अधिकांश कर्मचारियों की सेवायें तीन वर्ष से कम हैं।

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से गत वर्ष कितने रुपये का निर्माण-कार्य (भवन) हुआ है।

श्री मुजफ्फर हसन---

वित्तीय वर्ष ६२-६३ में लगभग २८.३७ लाख रुपये की लागत का भवन निर्माण-कार्य हुआ।

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय ---

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेल्थरा रोड, रसड़ा, जिला बलिया के बस स्टेशनों में पानी भरे रहने की शिकायत की जानकारी उन्हें है ? यदि हां, तो धरातल को ऊंचा करने की कौन-सी योजना कार्यान्वित की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

इन स्टेशनों पर बरसात में कुछ पानी भर जाता है। इन बस स्टेशनों का भूतल ऊंचा करने के लिये मिट्टी की पटाई तथा ईंटें बिछाये जाने की योजनाओं पर कार्य जारी है। इसके अलावा स्टेशनों के चारों ओर प्रोटेक्टिव वाल भी बनाई जा रही है।

*७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[१९ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फांसी दंड

*८—श्री गणेशचन्द्र खाड़ी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारांकित प्रश्न संख्या ९, दिनांक १५ मार्च सन् १९५६ के सन्दर्भ में फांसी की सजा उठा देने के विषय पर मुख्य मंत्री के बयान के अनुसार क्या कोई प्रयास फांसी की सजा उठाने का किया गया है और भारत सरकार को फांसी की सजा उठा लेने को लिखा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया। भारत सरकार को यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार फांसी की सजा समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

इरीगेशन वर्कशाप डिवीजन, इज्जतनगर के कर्मचारियों के स्थायीकरण में अनियमितता की शिकायत

*९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सिंचाई मंत्री को बरेली के श्री रासबिहारीलाल जौहरी के १९ फरवरी, १९६३ तथा १२ मार्च, १९६३ के पत्र जो कार्यालय में क्रमशः २० फरवरी, १९६३ तथा १२ जून, १९६३ को प्राप्त किये गये हैं, मिल गये हैं, जिनमें इरीगेशन वर्कशाप डिवीजन, इज्जतनगर, बरेली के कार्यालय में लिपिकों के स्थायीकरण तथा पदोन्नति में की जाने वाली भारी अनियमितताओं की शिकायतें की गयी हैं और जिनके कारण स्टाफ में बड़ा असन्तोष है ? यदि हां, तो इन शिकायतों की क्या जांच की गयी तथा उससे कितने लिपिक लाभान्वित हुए ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इन पत्रों में श्री जौहरी ने अपने पुत्र श्री चन्द्रमोहन जौहरी के स्थायीकरण एवं पदोन्नति के विषय में तथा सिंचाई वर्कशाप सर्किल के लिपिक वर्ग के स्थायीकरण एवं पदोन्नति के संबंध में सामान्य शिकायतें की हैं। शिकायतों की जांच कर ली गई है और यह पता चला कि उक्त सर्किल में किये गये स्थायीकरण व पदोन्नतियों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

९ पदाधारी (incumbents) लाभान्वित (benefietted) हुए।

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[हटा लिया गया।]

रोडवेज मजदूर सभा, बस्ती के प्रस्ताव

*११—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री को रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश के बस्ती के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रतिलिपियां अगस्त, सन् १९६३, के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या उसे वे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, प्रस्तावों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६५–५६६ पर)

*१२--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री प्रदेश के १२ हजार रोडवेज मजदूरों के वेतन-क्रम को ठीक करने के लिये एक हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक वेज बोर्ड की स्थापना की घोषणा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*१३--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री १९६३-६४ के लिये प्रदेश के रोडवेज मजदूरों को बोनस देंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं ।

*१४--श्री चन्द्रजीत यादव--

[१९ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नैनीताल जजी में पेन्शन के मामले

*१५--श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला न्यायाधीश, नैनीताल की अदालत में कितने मामले पेंशन के चले हुये हैं, और यह मामले कब से चले हैं तथा कब तक इनका निर्णय होने की उम्मीद है ?

श्री सैयद अली जहीर--

उक्त जजी में किसी अवकाश प्राप्त कर्मचारी का पेंशन का कोई मामला अनिस्तारित नहीं है ।

*१६--श्री खुशीराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पेंशन के मामलों का इतनी लम्बी अवधि तक अनिर्णीत रहने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--

प्रश्न नहीं उठता ।

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*१७--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, सन् १९६२ से ३१ अगस्त, सन् १९६३ तक सरकार ने कितने आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां की हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि पिछले तीन वर्षों में ही इस पद से हटाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पृथक किये हुये व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--

इस अवधि में २८ आनेरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये । इनमें से ७ ऐसे हैं जो पहले इस पद से पृथक किये गये थे । इनकी पुनः नियुक्ति का कारण बताना जनहित में न होगा ।

*१८-२०--श्री खुशीराम--

[१९ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

परिवहन विभाग में टैक्स सुपरिंटेंडेंट

*२१—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसों पर पैसेंजर टैक्स लगने के बाद परिवहन विभाग ने टैक्स वसूली आदि के संबंध में कोई टैक्स सुपरिन्टेंडेंटों या टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। टैक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किये गये हैं।

*२२—श्री जगवीरसिंह—

यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों के संबंध में दो सेलेक्शन बोर्ड बने थे ? यदि ऐसा है, तो वे किस कारण से बने थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। विभागीय अभ्यर्थियों के चुनाव के समय सेलेक्शन बोर्ड के सभापति सचिव, परिवहन व श्रम विभाग थे। बाहरी अभ्यर्थियों का चुनाव कुछ समय बाद किया गया था। उस समय विभागीय सचिव किसी अन्य काम में लगे हुये थे। उनके स्थान पर श्री गनेशी लाल, सभा सचिव, सेलेक्शन बोर्ड के सभापति रहे।

ट्रक दुर्घटनायें

*२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में आये दिन ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्यों और इसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। मुख्य कारण ओवर लोडिंग तथा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा १३०(१) में दी हुई सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा इन्फोर्समेन्ट स्क्वाड को आदेश दिये गये हैं कि वे अपने चेकिंग में इस ओर विशेष ध्यान दें।

*२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ और १९६२-६३ में कितनी ट्रक दुर्घटनायें हुईं और दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९६१-६२ में १,४४६ तथा १९६२-६३ में १,९४९ ट्रक दुर्घटनायें हुईं, जिनके मुख्य कारण पहले प्रश्न में बताये गये हैं।

पूर्वी जिलों के लिए बाढ़ नियंत्रण सुझाव

*२५—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक २३ जून, १९६३ को लिखकर सरकार का ध्यान देवरिया एवं गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ में आने वाली बाढ़ की प्रति आशंका व्यक्त की ? यदि हां, तो क्या उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि उस पत्र में दिये गये सुझावों एवं मांगों की पूर्ति की दिशा में कौन-सा कदम उठाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र की प्रतिलिपि †संलग्न है। तिघरा से भराछी तक का बांध और रुद्रपुर-नरायनपुर-नगवा तथा रुद्रपुर-तजपुर सड़कों की मरम्मत कराने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

गंडक कैनाल प्रोजेक्ट पर कार्य चालू है।

नेपाल बांध के निर्माण के लिये अभी तक भूमि नैपाल सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि जमीन का मुआवजा नैपाल सरकार को दिया जा चुका है। नैपाल सरकार से भूमि प्राप्त होते ही उस पर कार्य आरम्भ किया जायगा। भूमि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयत्न जारी है।

वर्तमान संकटकालीन स्थिति तथा खर्च में कमी करने के उद्देश्य से सरजू-कैनाल योजना स्थगित कर दी गई है।

जलकुंडी बांध की जगह नैपाल राज्य में पड़ती है। मार्च, १९६१ में नेपाल राज्य की अनुमति मिलने पर ही प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा सका। उस सर्वेक्षण के आधार पर अब एक प्रारम्भिक तखमीना बनाया जा रहा है।

मुख्य मंत्री द्वारा हवाई जहाज का प्रयोग

*२६—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री ने सितम्बर, १९६३ में कितनी बार सरकारी हवाई जहाज का प्रयोग किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

दातागंज तहसील में उसहत बांध का टूटना

*२७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की तहसील दातागंज में गंगा पर बना हुआ बांध जो इस वर्ष टूट गया है उसके टूट जाने का क्या कारण था तथा टूट जाने से बांध को कितनी हानि हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

बदायूं जिले की तहसील दातागंज में स्थित उसहत बांध के टूटने का यह कारण था कि गंगा नदी की धारा अचानक बांध की ओर दिनांक १७-८-६३ को मुड़ गई और सीधे बांध से टकराने लगी। यह मिट्टी का बांध गंगा ऐसी विशाल नदी की धारा को न रोक सका और अथक प्रयासों के बाद भी बांध को टूटने से न बचाया जा सका। बांध के टूटने से जो हानि हुई, उसकी अनुमानित लागत लगभग ११,५०० रु० है।

*२८—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार इस पुल के टूट जाने के संबंध में जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री गिरधारीलाल--

गत प्रश्न के उत्तर में बांध के टूटने का जो कारण बताया गया है उसको दृष्टि में रखते हुए किसी प्रकार की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

*२९--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांध के टूट जाने के बारे में जिलाधीश, बदायूं ने कोई रिपोर्ट सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--

जिलाधीश से इस संबंध में अनेकों रिपोर्टें आई हैं । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष बात जानना चाहते हैं तो उसकी नोटिस मिलने पर वह बताई जा सकती है ।

गुन्नौर तहसील में नलकूप सर्वेक्षण

*३०--श्री सूरतपालसिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं, परगना सहसवान, तहसील गुन्नौर में दिनांक २९ अप्रैल, १९६३ व १ मई, १९६३ को कुछ ट्यूबवेल बनाने के लिये जांच की गई थी और उसमें कितने ट्यूबवेल बनाने के लिये एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सरकार को लिखा है और उन पर सरकार का क्या विचार है ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी कार्यालय में अनियमितायें

*३१--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के दफ्तर में लगभग दो मास पूर्व हिसाब-किताब की कुछ अनियमिततायें पाई गई थीं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

*३२--क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि यह अनियमिततायें किसने पकड़ीं और इनके लिये कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये ?

*३३--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उसको ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनियमितता पकड़ने वाले व्यक्तियों की जान लेने के लिये कुछ गुंडों को तैनात कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या वे गुंडे पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के नोटरों व ड्राफ्टरों की अपील

*३४--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री, विधान सभा के दिनांक ३१ जुलाई, १९६२ के प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्न में वर्णित नोटर एवं ड्राफ्टरों की अपील पिछले ४ वर्षों से सरकार के निर्णय के लिये पड़ी हुई हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने अपने कार्यालय के नोटरों व ड्राफ्टरों की कुछ अपीलें सरकार के पास ४ व ६ नवम्बर, १९६१ को भेजी थीं।

*३५—श्री दयाराम शाक्य—

यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अपीलों के निर्णय में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है, जबकि Disciplinary Proceedings कमेटी रिपोर्ट के अनुसार अपीलों का निर्णय ३ मास में हो जाना चाहिये ?

श्री गिरधारीलाल—

अपीलों के निर्णय में विलम्ब इस कारण हो रहा है कि उनमें कही गई बातों की आवश्यक छानबीन की जा रही है जिनमें सचिवालय के कुछ विभागों से भी परामर्श लिया जा रहा है। Disciplinary Proceedings Enquiry Committee की व्यवस्था उन अपीलों के संबंध की है जिनमें अनुशासिक कार्यवाही की जा रही हो।

*३६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार अपीलों के निर्णय में देरी होने के कारण मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, के कार्यालय के नोटर व ड्राफ्टरों को जो क्षति हो रही है, उस क्षति की पूर्ति करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह तो अपीलों पर निर्णय हो जाने पर ही कहा जा सकता है कि किसी की क्षति हो रही है अथवा नहीं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में क्लर्कों की सीनियारिटी

*३७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने अपने कार्यालय के रुटीन ग्रेड क्लर्कों की भी सीनियारिटी ११ मार्च, १९६२ को बदल दी है जिसमें किसी की सीनियारटी उसकी Date of Joining से और किसी की merit से दी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के कुछ रुटीन ग्रेड क्लर्कों की ज्येष्ठता (Seniority) ११-३-६२ को नहीं वरन १२-३-६२ को बदल दी गयी है जिसमें कुछ क्लर्कों की ज्येष्ठता उनके विभाग में नियुक्ति की तिथियों से निर्धारित की गयी है तथा कुछ क्लर्कों की ज्येष्ठता विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की मेरिट (merit) से दी गयी है।

ऐसा इसलिये किया गया कि सन् १९५४ में मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के रूटीन ग्रेड क्लर्कों की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली गई जिसमें खाद्य एवं रसद विभाग के छटनी किये गये कर्मचारी जो मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में परीक्षा से पहिले विभिन्न तिथियों से काम कर रहे थे तथा अन्य लोग परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों की ज्येष्ठता परीक्षा में मेरिट (Merit) के आधार पर निर्धारित की गयी। किन्तु सरकारी आदेश संख्या ५०८१/२९-सी—११४-१९५३, दिनांक २७-२-१९५५ के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य तथा रसद विभाग के छटनी हुये कर्मचारियों की ज्येष्ठता इसी राजाज्ञा के अनुसार उनकी सिंचाई विभाग में नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की गयी। शेष रोटीन ग्रेड क्लर्कों की ज्येष्ठता परीक्षा में पास होने के मेरिट के आधार पर निर्धारित कीगयी।

नहर गंग के बड़ागांव रजबहा में पानी न आने की शिकायत

*३८--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिला में नहर गंग के बड़ागांव रजबहा में जून के बाद कब-कब पानी छोड़ा गया तथा वह अलग-अलग कितने दिनों तक चलता रहा ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६७ पर)

*३९--श्री रक्षपालसिंह--

क्या यह सही है कि उक्त रजबहा में सफाई होने की नाप-जोख होते रहने के कारण पानी नहीं छोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप उक्त रजबहा द्वारा सींचे जाने वाले ग्राम लखहुरा, गढ़ी, बाबन, मवइया, कुलुखा, जुकरा, ककरार, बड़ागांव, सांखा, जजरहा, सतावरा रतौली, परगना मुतार तथा धरसेठा व गंभिरी परगना गाजीपुर की हजारों बीघा धान की फसल सूख गई? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों की सिंचाई माफ करने तथा क्षति पूर्ण करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता है ।

*४०---श्री रक्षपालसिंह---

क्या सरकार यह आदेश देने की कृपा करेगी कि उक्त रजबहा में अब लगातार २० दिनों तक पानी जारी रखा जाय जिससे कम से कम रबी की फसल बोई जा सके ?

श्री गिरधारीलाल--

सम्पूर्ण फतेहपुर डिवीजन में पानी की भारी मांग है । अतः दूसरी शाखाएं २० दिनों तक लगातार बन्द रखना सम्भव नहीं है ।

मोटर ऐक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल

*४१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलावेंगे कि उत्तर प्रदेश में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल मोटर वेहिकिल ऐक्ट, सन् १९५६ की धारा ११० के अन्तर्गत अभी तक स्थापित किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---

अभी नहीं । क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिये नियम (Rules) बनाये जा रहे हैं ।

इंचार्ज, भदोही बस स्टेशन के विरुद्ध शिकायत

*४२---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २३ जून, सन् १९६२ ई० को विधान सभा, उत्तर प्रदेश के किसी माननीय सदस्य के साथ गवर्नमेंन्ट रोडवेज के भदोही बस स्टेशन (जिला वाराणसी) के इंचार्ज द्वारा दुर्व्यवहार करने, उन्हें अपमानित करने की शिकायत प्राप्त हुई है तथा जिसकी जांच ए० जी० एम०, इलाहाबाद के द्वारा हुई ? इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां। जांच के उपरान्त स्टेशन इन्चार्ज को चेतावनी दे दी गई।

*४३--श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के अन्तर्गत भदोही गवर्नमेंन्ट बस स्टेशन के इंचार्ज के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उस व्यक्ति ने जनवरी, १९६३ में हिसाब में गड़बड़ किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जनवरी, सन् ६३ में स्टेशन इन्चार्ज, भदोही के विरुद्ध हिसाब-किताब की गड़बड़ी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन का मिलों पर बकाया

*४४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (के० सा०) का कितना पैसा सितम्बर, सन् १९६३ तक किन मिलों पर बकाया है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बकायादारों से वसूली हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

३० सितम्बर, १९६३ तक कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो पैसा मिलों पर बकाया है उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है।

सूची में उल्लिखित मिलों पर:

१--नवम्बर व दिसम्बर, १९६० के बकाया धन के भुगतान के विषय में उपभोक्ताओं ने रिप्रेजेन्टेशन भेजा था जोकि राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

२--अगस्त व सितम्बर, १९६३ का बकाया धन चार किस्तों में नवम्बर, दिसम्बर, १९६३ तथा जनवरी व फरवरी, १९६४ के महीनों के करेन्ट बिलों के साथ वसूल किया जायगा।

३--इसके अतिरिक्त पुराना बकाया केवल अथर्टन वेस्ट एन्ड कं० लि० पर है जिसे कि ११,५०० रुपये त्रैमासिक किस्तों में उनसे वसूल किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६८-५६९ पर)

सहारनपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*४५--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में कुल कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट इस समय हैं और वे कब-कब से हैं और उनकी शिक्षा कहां तक है ?

श्री सैयद अली जहीर--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५७० पर)

औरैया में नये आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति

*४६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या औरैया (इटावा) की आनरेरी मजिस्ट्रेट बेंच में अभी हाल ही में किसी रिक्त थान की पूर्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी के इसके लिये कमेटी की सिफारिशें क्या थीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां। कमेटी की सिफारिशें गोपनीय होने के कारण उनको बताना जनहित में नहीं होगा।

*४७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह सच है कि सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर पूर्ति की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—

प्रश्न नहीं उठता।

भदोही तहसील में नलकूप

*४८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की भदोही तहसील में जनवरी, १९६२ से सितम्बर, १९६३ तक नलकूप लगाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र जनता द्वारा दिये गये और वे कहां-कहां के प्रार्थना-पत्र थे तथा उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस साल भदोही तहसील में कहां-कहां नल नलकूप लगाने की योजना बनाई गई है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न का प्रथम भाग—कुल ८६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से कुछ ऐसे थे जो एक ही गांव में नलकूप लगाने के लिये दिये गये थे। वे प्रार्थना-पत्र कहां-कहां से किस-किस स्थान पर नलकूप लगाये जाने के लिये दिये गये थे इसका विवरण अगर सदस्य महोदय चाहें, तो मेरे कमरे में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न का द्वितीय भाग—नलकूप लगाने हेतु स्थान चुनाव के लिये सर्वेक्षण हो रहा है। अतः सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि नलकूप कहां-कहां पर लगाये जायें।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के नियुक्ति विभाग में प्रधान लिपिक

*४९—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त कार्यालय रोडवेज नियुक्ति विभाग के प्रधान लिपिक का स्थान स्थानान्तरित है या नहीं ? यदि है, तो उक्त स्थान के प्रधान लिपिक कितने दिनों से एक स्थान पर काम कर रहे हैं और यदि वे तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, तो उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, परिवहन आयुक्त कार्यालय के रोडवेज नियुक्ति विभाग के प्रधान लिपिक का स्थान स्थानान्तरित है। उक्त स्थान के प्रधान लिपिक उस स्थान पर लगभग ७ वर्ष से कार्य कर रहे हैं। उनका स्थानान्तरण जनहित में नहीं किया जा सका है।

इलाहाबाद जिले में नलकूप पानी निकासी

*५०—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल किन-किन स्थानों में लगाये जायेंगे और इन स्थानों के चयन का आधार क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५१—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इलाहाबाद जिले के जसरा ब्लाक के उन भागों में जहां नई नहरों के निर्माण के कारण गांवों के पानी के स्वाभाविक बहावों के बन्द होने के फलस्वरूप पानी इकट्ठा हो जाता है और घरों एवं फसलों की अपार हानि होती है ? यदि हां, तो उसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

बुन्देलखंड में सिंचाई

*५२—श्री विजयसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलग-अलग सन् १९६२ में बांदा, झांसी और हमीरपुर में कितनी भूमि पर नहरों से सिंचाई की गयी है तथा बुन्देलखंड में अल्प-सिंचाई योजना को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार कितना-कितना व्यय प्रत्येक जिले में कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—

		रुपये
बांदा	.. .. ..	२,६३,०६५
झांसी	.. .. ..	१,२२,०२५
हमीरपुर	.. .. ..	१,४९,८०१

द्वितीय भाग—

बांदा	.. .. ..	२०,४३,५११
झांसी	.. .. ..	१५,११,८८४
हमीरपुर	.. .. ..	६,०५,८४०

*५३—श्री विजयसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जालौन जिले की सिंचाई को दो डिवीजन में विभाजित किया है, जालौन और झांसी और क्या यह दोनों दफ्तर एक स्थान पर नहीं हैं जिससे जनता को परेशानी होती है ? यदि हां, तो इस परेशानी को दूर करने के लिये क्या सरकार उरई में ही दोनों कार्यालयों को स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

जालौन जिले की सिंचाई दो डिवीजनों में विभाजित है, बेतवा कैनाल डिवीजन, उरई तथा झांसी डिवीजन, बेतवा कैनाल, झांसी ।

झांसी डिवीजन, बेतवा कैनाल के सहायक अभियन्ता, जो झांसी डिवीजन में आने वाली जालौन जिले की नहरों की देख-रेख करते हैं, का हेडक्वार्टर उरई में ही रखा गया है तथा संबंधित जिलेदार का हेडक्वार्टर कोंच में, जो जिला जालौन की एक तहसील है जिससे साधारणतः किसानों को कोई असुविधा न हो। झांसी डिवीजन, बेतवा कैनाल, झांसी का हेडक्वार्टर उरई नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस डिवीजन के अधिकांश कार्य झांसी जिले में ही संबंधित हैं।

*५४---५५---श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)---

[हटा दिये गये ।]

*५६-५८---श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)---

[११ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १०४-१०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

चरखारी तहसील में सिंचाई की कमी, अर्जुन बांध-चरखारी सड़क

*५९---श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर के ग्राम अकठाहा, तहसील चरखारी के किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने की व्यवस्था करने के लिये अर्जुन बांध की मेन कैनाल से मोघा नं० २ के बीच से एक पश्चिम की ओर माइनर का जिसकी पैमाइश आदि हो चुकी है तथा जिसे सरकार द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है अभी तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---

चूंकि प्रस्तावित माइनर निर्माण में अधिक व्यय होगा तथा लाभ कम होगा, इसलिये उस पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया ।

*६०---श्री मदनपालसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन बांध से जो पक्की सड़क चरखारी को जाती है उसका वह भाग जो कैनाल विभाग के तहत में है उसकी शोचनीय दशा है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में उपरोक्त सड़क के ऊपर सरकार का कितना रुपया मरम्मत में खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---

अर्जुन बांध का जब निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ था उस समय सामान ढोने के लिये अर्जुन बांध से चरखारी जाने वाली सड़क के कुछ भाग को विभाग द्वारा पक्का करा दिया गया था, अब इस सड़क को विभाग द्वारा मामूली मरम्मत कराकर इस योग्य रखा गया है कि इससे वहां निरीक्षण करने हेतु अधिकारी वर्ग पहुंच सके।

सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में सड़क की मरम्मत हेतु क्रमशः रु० १६४९ व ३६७ रु० व्यय हुए ।

*६१—श्री मदनपालसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अर्जुन बांध के स्लूइस पर जो लोहे के फाटक लगे हुये हैं उससे पानी का लीकेज हो रहा था जिसके ठीक करने के लिए जून, सन् १९६३ में व्यवस्था की गई और लीकेज बन्द होने के बजाय लीकेज और अधिक हो गया ? यदि हां, तो इस प्रकार के निर्माण कार्यों के कराने की जिम्मेदारी किस पर है तथा सरकार ने ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

स्लूइस के लीकेज के मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की गई और न लीकेज बढ़ा। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*६२-६३—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

[हटा दिये गये।]

झांसी की मजदूर बस्तियों में बिजली न होना

*६४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरा, गटिया फाटक पुलिया नं० ९ इत्यादि जो मजदूर बस्तियां झांसी में हैं, में बिजली शीघ्र लगाये जाने की योजना में विलम्ब होने का क्या कारण है, व कब तक बिजली का कार्य उपरोक्त बस्तियों में पूर्ण होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

झांसी में १ नवम्बर, १९६३ से पहले बिजली लाइसेंसी सर्वश्री झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, झांसी द्वारा दी जाती थी। उक्त तारीख से कम्पनी राज्य विद्युत् परिषद द्वारा ले ली गयी है। लाइसेंसी द्वारा नगरपालिका, झांसी को मुहल्ला नगरा, गटिया फाटक पुलिया नं० ९ के विद्युतीकरण के लिये एक तखमीना इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि वे विद्युतीकरण की लागत जमा कर दें, लेकिन नगरपालिका ने रुपया जमा नहीं किया जिसके फलस्वरूप उपरोक्त मुहल्लों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका। अब चूंकि बिजली देने का काम राज्य विद्युत् परिषद् ने ले लिया है, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हुआ, तो इनका विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

वाराणसी जिले में नलकूप, जल निकासी

*६५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को पता है कि गांव कोरी, घुघली, धोंघली भानपुर, तथा बैकुंठपुर, करमी व जगदीशपुर, कहरका, निन्दनपुर, बहुतरा, परगना कोल असला, गांव छेड़ापुर, ढोरा, परगना पंद्रह तहसील व जिला वाराणसी में ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों के लिए ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम कोरी (कोर्रा) घुघली का कुछ क्षेत्र धानी है जिसको सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं है। इन ग्रामों के शेष क्षेत्र एवं कीमानपुर (करीरामपुर) के क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था नलकूप द्वारा की गई है। घोघा नाम का कोई ग्राम इस क्षेत्र में नहीं मिला। ग्राम बैकुंठपुर, करमी, जगदीशपुर, करहका के लिए नलकूप का निर्माण व्यवहार्य नहीं पाया गया। ग्राम नन्दनपुर बहुतरा के लिये नलकूप निर्माण का प्रस्ताव है। ग्राम छेड़ापुर का समस्त क्षेत्र तथा ढोरा (ढोढा) का ३९५ एकड़ क्षेत्र धानी है, अतः इसके सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं है।

*६६—श्री ऊदल तथा श्री जमादारसिंह—

क्या यह सच है कि जल निकासी के कार्य के लिये सिंचाई विभाग द्वारा ५ मील से नीचे के नाले जो पहले खोदे जाते थे, बाद में नियोजन विभाग को दे दिये गये थे कि वही इस कार्य को करेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः विचार कर पुरानी नीति को अख्तियार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—अभी हाल ही में इस संबंध में पुनः आदेश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार अब १ मील से ५ मील तक लम्बे नाले या एक से अधिक ग्रामों से गुजरने वाला नाला विभाग द्वारा प्रांतीय रक्षा दल तथा डिफेंस लेबर बैंक के श्रमदान से बनाये जायेंगे ।

बिजली लाइन इन्सपेक्टर, जोया के विरुद्ध शिकायत

*६७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि बिजली लाइन इंस्पेक्टर जोया, जिला मुरादाबाद का तबादला जनवरी, १९६२ में इस क्षेत्र के लोगों से जबरदस्ती घूस लेने के इल्जाम में हुआ था ? यदि हां, तो बाद में उसे क्यों रोका गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । इनका तबादला जनवरी, १९६२ में नहीं किया गया था ।

*६८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या विद्युत मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बिजली लाइन इन्स्पेक्टर, जोया के संबंध में सरकार को इस संबंध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि वह गांव में प्राइवेट नलकूपों व ऋशरों को घूस लेकर बिजली चोरी से देते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । इस प्रकार की शिकायतों का कोई पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ । केवल कृष्णा शुगर फैक्ट्री, कैलसा, जिला मुरादाबाद के मालिक श्री घनश्याम दास टंडन ने इनके विरुद्ध शिकायतें की थीं, परन्तु वह उनके शुगर फैक्ट्री को बिजली देने से संबंधित थीं और जांच के बाद निराधार पायी गईं ।

*६९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या बिजली मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त इन्स्पेक्टर की शिकायतों के संबंध में १९ नवम्बर, सन् १९६२ को और अगस्त सन् १९६३ में उनसे चन्द आदमी मिले थे ? यदि हां, तो उन्होंने लाइन इन्स्पेक्टर के खिलाफ क्या शिकायतें की थीं ? और उन पर इस समय तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

कुछ समय पहले श्री घनश्याम दास टंडन उपमंत्री (विद्युत) से मिले थे और उन्होंने जबानी यह शिकायतें की थीं कि लाइन इन्स्पेक्टर, जोया उनको बिजली की सप्लाई देने में विलम्ब कर रहा है तथा २०० रु० घूस मांग रहा है । और चूंकि उन्होंने घूस नहीं दी है अतः उनकी मौजूदा बिजली की सप्लाई भी अक्सर बन्द कर दी जाती है । जैसा प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर में कहा गया है श्री टंडन ने इसके पहले लाइन इन्स्पेक्टर के खिलाफ ऐसी लिखित शिकायत की थी । परन्तु जांच के बाद निराधार पाई गई ।

बरेली-शीशगढ़ बस सर्विस

*७०--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली से शीशगढ़ जाने वाली बस सर्विस बन्द कर दी गई है, जिससे जनता को अत्यन्त परेशानी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सर्विस को शीघ्र खोलने के आदेश जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--

यह सर्विस केवल १२ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९६३ तक बन्द रही क्योंकि नदी के पार चलने वाली गाड़ियां खराब हो गई थीं और अधिक वर्षा के कारण उनकी मरम्मत में कठिनाई हो गई थी ।

रजबहा किठोर की क्षमता

*७१--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजबहा किठोर (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) में से २५ वर्ष के अन्दर कितने कैनाल माइनर्स निकाले गये और उनकी क्या-क्या क्षमता है ?

श्री गिरधारीलाल--

तीन नई माइनरें निकाली गई हैं जिनकी क्षमता अलग-अलग क्रमशः १२,४७ व १४ क्यूसेक्स (cusecs) हैं । इसके अतिरिक्त तीन पुरानी माइनरों की लम्बाई भी बढ़ाई गई है जिसके कारण उनकी क्षमता १०.४ क्यूसेक्स और बढ़ गई है ।

*७२--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजबहा किठोर की क्षमता अब भी वही है जो इन माइनर्स के निकाले जाने से पहले थी ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

*७३ --श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इन माइनर्स के रजबहा किठोर में से निकलने के बाद रजबहा किठोर में पानी की अधिक कमी हो गयी है ? क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिये कोई कार्य करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

वास्तव में यह रजबहा अपने हेड से रेत लाता है जिसके कारण कभी-कभी मई तथा जून के महीनों में पानी की कमी हो जाती है और इसको दूर करने के लिये इस रजबहा के बेड (Bed) का Regrading किया जा रहा है ।

फतेहपुर जिले में बिजली की दर

*७४--श्री दीपनारायणसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में जनता व उद्योग-पतियों को किस दर से बिजली दी जाती है ?

श्री गिरधारीलाल---

(१) जिला फतेहपुर में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली देने की दरें इस प्रकार हैं---

(अ) घरेलू प्रकाश तथा पंखे---

७ आने प्रति यूनिट, जिस पर समय के भीतर भुगतान करने पर १ आना प्रति यूनिट छूट ।

(ब) घरेलू शक्ति---

४ आने ६ पाई प्रति यूनिट और समय के भीतर भुगतान करने पर ६ पाई प्रति यूनिट छूट ।

(स) औद्योगिक शक्ति (१) लघुशक्ति (१००के०वी०ए०तक)

३ आने ३ पाई प्रति यूनिट, जिस पर समय के भीतर भुगतान करने पर ३ पाई प्रति यूनिट छूट दी जाती है ।

(२) लार्ज पावर उपभोक्ताओं के लिये शक्ति (१०० के० वी० ए० से ५०० के० वी०ए० तक ।)

दरों की प्रति संलग्न है ।

(३) हैवी पावर उपभोक्ताओं के लिए शक्ति (५०० के०वी० ए० से अधिक) दरों की प्रति संलग्न है ।

*७५---श्री दीनदयाल सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे जिला फतेहपुर के नागरिकों को भी कानपुर या इलाहाबाद के नागरिकों की तरह कब से सस्ती दर पर बिजली पाने की सुविधा देंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

रिहन्द ग्रिड से मिल जाने के बाद यहां बिजली की दरें कम करने पर विचार किया जायेगा ।

गोंडा व बाराबंकी जिलों में बाढ़ नियंत्रण योजना

*७६---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गोंडा की तहसील तरबगंज और बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में बाढ़ और कटाव रोकने की कोई योजना पूरी की जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मेरठ जिले में जल निकासी

*७७---श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में उनके पास ग्राम मोरता, जिला मेरठ निवासियों की यह शिकायत पहुंची है कि उनके गांव के चारों ओर ३-४ फीट पानी भरा हुआ है और उसको निकालने के लिये मेरठ, दिल्ली सड़क के साथ-साथ नाला खुदवाने का प्रबन्ध किया जाय जैसा कि १९५६ की बाढ़ में भी किया गया था? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी हां ।

दूसरा भाग--शिकायत मिलते ही तार द्वारा पानी निकालने का प्रबन्ध करने के आदेश जारी कर दिये गये और शीघ्रातिशीघ्र पानी निकलवा दिया गया ।

गोरखपुर क्षेत्र परिवहन अधिकारी का कार्यालय भवन

*७८--श्री मैनेजरसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का कार्यालय एवं निवास-स्थान पृथक-पृथक रखने का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन किन-किन क्षेत्रों में हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७९--श्री मैनेजरसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र परिवहन अधिकारी के कार्यालय भवन तथा निवास स्थान एक ही भवन में हैं । यदि हां, तो उक्त भवन का कुल किराया कितना है और उसमें से कितना किराया परिवहन अधिकारी निवासस्थान के लिये देते हैं ? भवन का कितना हिस्सा उनके निवासस्थान के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८०--श्री मैनेजरसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय भवन के प्रांगण में कितनी भूमि है और उक्त भूमि की उपज एवं पेड़ों के फल की आय पांच वर्ष के भीतर प्रतिवर्ष कितनी और कहां जमा हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मेरठ नलकूप क्षेत्र में सरदार जस्सासिंह का स्थानान्तरण रुकना

*८१--श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरदार जस्सासिंह, एस० डी० ओ०, थर्ड, सर्कल-वेल डिवीजन, मेरठ के खिलाफ कुछ शिकायतें आयी थीं और सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया था जिसका चार्ज लेने एक एस० डी० ओ० पहुंच कर २२ दिन रहा और चार्ज नहीं हुआ ? यदि हां, तो चार्ज न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो एस० डी० ओ० चार्ज लेने गया उसके टी० ए०, डी० ए०, तथा २२ दिन की तनख्वाह कितनी दी गयी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां । जो सहायक अभियन्ता श्री जस्सासिंह से चार्ज लेने गया था, उसे वहां २५ दिन रहना पड़ा परन्तु चार्ज नहीं हुआ ।

श्री जस्सासिंह ने अपने स्थानान्तरण को, अपने बच्चों की शिक्षा के हित में रुकवाने के लिये एक-आवेदन पत्र चला दिया, जिसके फलस्वरूप उन के स्थानान्तरण का आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा रद्द कर दिया गया । इसी कारण चार्ज नहीं हुआ ।

लगभग ३८५ रु० वेतन इत्यादि के रूप में एस० डी० ओ० को, जो चार्ज लेने गया था, दिया गया ।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*८२—श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने ट्यूबवेल प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक लगाये गये हैं उनमें कितने चालू हैं, और कितने बेकार हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

२१७, जिसमें से २०२ चालू हालत में हैं। ११ नलकूपों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है तथा ४ असफल घोषित कर दिये गये हैं।

*८३—श्री सुरजन राम विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू ट्यूबवेलों से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कालागढ़ बांध निर्माण संबंधी शिकायतें

*८४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले के कालागढ़ स्थित रामगंगा बांध परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में गबन, भ्रष्टाचार आदि की कोई शिकायत प्रदेशीय सरकार को मिली है ? यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—

दो शिकायतें मिली हैं। पहली शिकायत सीमेन्ट की चोरी के बारे में और दूसरी कालागढ़-वाकेश्वर सड़क के निर्माण के संबंध में थी। पहली शिकायत की जांच की गई। सीमेन्ट की कोई चोरी साबित नहीं हुई। दूसरी शिकायत की जांच अभी की जा रही है।

*८५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)

क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के संबंध में गुप्तचर विभाग द्वारा भी भ्रष्टाचार आदि की जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या परिणाम सामने आये तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बुलन्दशहर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*८६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत इस समय कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, उनकी नियुक्तियां कब की गईं तथा उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि विगत वर्षों में ही इस पद से हटाये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उन पृथक किये हुये व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

वांछित सूचना संलग्न है। पृथक् किये हुये दो व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति का कारण बताना जन-हित में न होगा।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७१ पर।)

मथुरा जिले में छोटी नहर

*८७—श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील में किस-किस माइनर का सर्वेक्षण हो चुका है और अगराला व गढ़ी माइनर के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—

चार माइनरों का सर्वेक्षण हो चुका है जो निम्नलिखित हैं :—

१—मुखारी रजबहे का बढ़ाव।
२—जाइमाइनर।
३—विशमभारा माइनर।
४—कभई माइनर।

अगराला तथा गढ़ी मानइर के निर्माण में अक्तूबर, १९६३ तक ६८,३८१ रु० तथा ३५,६३६ रु० क्रमशः व्यय हो चुका है।

*८८—श्री लखी सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि माइनर जदोरी व सहजादपुर को इस साल अधिक अन्न उपजाने के हेतु पानी दिया जायेगा ? यदि हां, तो उनसे कितने किसानों को लाभ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

ये माइनर पलेवा की हैं तथा पानी की कमी के कारण इस वर्ष उनको कोई सिंचाई के लिये पानी न दिया जा सकेगा।

वाराणसी नलकूप प्रखण्ड के कर्मचारी

*८९—श्री गया प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी नलकूप प्रखंड में कितने ऐसे क्लर्क एवं दूसरे ग्रेड के कर्मचारी हैं जो कि एक ही स्थान एवं एक ही जिले में पांच साल से अधिक से कार्य कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९०—श्री गया प्रसाद—

क्या इस विभाग में कुछ ऐसे भी क्लर्क कार्य कर रहे हैं जिनको एक ही स्थान पर कार्य करते ८ साल हो गये, परन्तु शिकायतें होने पर भी उनका तबादला नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर में कर्मचारी की बहाली, गोंडा डिपो में चोरी, टैक्सी का अनियमित प्रयोग

*९१—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र में कितने कर्मचारी (G O. No. 5172 T/XXX dated December 23, 1955) के द्वारा रीइन्स्टेट किये गये हैं ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों की सिनियरिटी १९५६ से न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त जी० ओ० द्वारा केवल एक कर्मचारी रीइन्स्टेट हुआ था । सर्विस रेकार्ड सन्तोषजनक न होने के कारण १-४-५६ से वह कन्फर्म न हुआ । इसलिये उस तिथि से उसे सीनियरिटी नहीं दी जा सकी ।

*९२—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के गोंडा डिपो में दिसम्बर, १९५० और अक्तूबर, १९५१ में टायर और रिम की चोरी हुई थी और क्या उस चोरी में जे० एस० आई० का हाथ था ? यदि हां, तो उस जे० एस० आई० के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

नवम्बर ५१ में गोंडा डिपो के निरीक्षण के समय दो रिमों की कमी मालूम हुई जिस के लिये जे० एस० आई० श्री आर० एन० गुप्ता मुख्य जिम्मेवार पाये गये गये और उन से उन रिमों का वसूल किया गया और एक वर्ष की सालाना तरक्की रोक दी गई ।

*९३—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर की टैक्सी नम्बर २८१२ गत १५ जुलाई, १९६३ से २५ सितम्बर, १९६३ तक के अधिकारियों द्वारा किये गये माइलेज की रिकवरी विभाग द्वारा की जायगी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१५-७-६३ से २१-७-६३ तक उक्त टैक्सी किसी अधिकारी द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई । २२-७-६३ से २८-९-६३ तक इस टैक्सी को जनरल मैनेजर, गोरखपुर ने अपनी स्टाफ कार खराब हो जाने के कारण उसकी जगह इस्तेमाल किया इसलिये माइलेज की रिकवरी का प्रश्न नहीं उठता । इस अवधि में ६-९-६३ व ७-९ ६३ को यह टैक्सी मंत्री, गन्ना विकास को किराये पर दी गई थी ।

घड़ियां तेज करने का प्रस्ताव

*९४—कुंवर श्योपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के पास एक प्रस्ताव इस आशय का इसी वर्ष भेजा है कि गर्मी के दिनों में, यानी इस वर्ष १ जून से ३० सितम्बर तक तथा अन्य वर्षों में १ अप्रैल से ३० सितम्बर तक घड़ियां, एक घंटा तेज कर दी जावें ताकि लोग रात में जल्दी सो जाया करें, जिससे बिजली की बचत हो ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

झांसी बिजली कम्पनी के खिलाफ शिकायतें

*९५---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या विद्युत् मंत्री की जानकारी है कि झांसी बिजली कम्पनी के कुप्रबन्ध के कारण एक बड़ा जन-अन्दोलन इस बात पर हो रहा है कि सरकार बिजली कम्पनी का प्रबन्ध तुरन्त अपने हाथ में ले ले और क्या यह भी सत्य है कि झांसी रोलिंग मिल को सिर्फ रात के १०बजे से प्रातः ८ बजे तक बिजली १९ नये पैसे व १६ नये पैसे पर दी जा रही है और श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री को १२ नये पैसे की दर पर २४ घंटे के लिये बिजली की सुविधा मिली हुई है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---

झांसी बिजली कंपनी के खिलाफ शिकायतें थीं और बिजली की सुचारु व्यवस्था कायम करने के लिये कम्पनी का व्यवसाय अब राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ले लिया गया है ।

*९६---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी बिजली कम्पनी के मालिक को सन् १९६० से अगस्त, सन् १९६३ तक कितना रुपया व मशीनें आदि सरकार द्वारा कर्जे पर दी गई व दिलवाई गयीं और उसके ब्याज या कर्जे की अदायगी की शर्तें क्या-क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल---

सरकार द्वारा कम्पनी को सन् ६० से कोई ऋण अथवा मशीनें नहीं दी गईं न दिलवाई गईं । केवल कम्पनी द्वारा हलद्वानी नगरपालिका के सेटों की खरीद में थोड़ी सहायता दी गई ।

अछनेरा व फतेहपुर सीकरी को बिजली देने की योजना

*९७---श्री बालोजी अग्रवाल, श्री बनवारीलाल विप्र तथा श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में अछनेरा व फतेहपुर-सीकरी में बिजली लाने की योजना है ? यदि हां, तो वहां बिजली कब तक आ जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

अछनेरा और फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा के दोनों नगरों को विद्युतीकरण करने की योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण हो जाने की सम्भावना है ।

आगरा नगरपालिका द्वारा बिजली कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की मांग

*९८---कुंवर श्रीपालसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल ही में आगरा की नगर महापालिका ने सरकार को एक पत्र लिख कर मांग की है कि आगरा की बिजली कंपनी का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा करने की संस्तुति की गयी तथा उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---

नगर महापालिका, आगरा ने अपने ५ अप्रैल, १९६३ के पत्र में आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड आगरा के राष्ट्रीयकरण की मांग की है । उस पत्र में सप्लाई कंपनी के विरुद्ध शहर में बिजली का बार-बार फेल हो जाना, लो वोलटेज (Low Voltage) शहर की

सड़कों पर बिजली के स्ब बल्ब न जलना इत्यादि शिकायतें की गई हैं । कंपनी को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वह नगर महापालिका और जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही करे ।

प्राइवेट बिजली कम्पनियां

*९९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सामने कोई योजना उत्तर प्रदेश में कुछ प्राइवेट बिजली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी कम्पनियां हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है, परन्तु यह निर्णय किया है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के लाइसेन्सों की अवधि जैसे-जैसे समाप्त हो उनका काम राज्य विद्युत् परिषद द्वारा ले लिया जाय ।

झांसी बिजली कम्पनी में कुप्रबन्ध, माताटीला से बिजली

*१००—श्री लखपतराय शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी की जनता द्वारा झांसी बिजली कंपनी के खिलाफ उसके राष्ट्रीयकरण की मांग का एक जन-आन्दोलन चल रहा है और दिनांक १३ अगस्त, १९६३ को झांसी में पूर्ण हड़ताल बिजली कंपनी के विरोध में हुई ? क्या सरकार को बिजली कम्पनी के कुप्रबन्ध व भारी रेटों के प्रति जनता ने विभिन्न जबानी शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं व उनपर क्या कार्यवाही की गई है ? और क्या सरकार झांसी बिजली कंपनी का प्रबन्ध जनहित में अपने हाथ में लेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, सरकार को २३-८-६३ को हुई हड़ताल की सूचना है । झांसी कंपनी के विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं जो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, त्रुटिपूर्ण सप्लाई कम्पनी का कुप्रबन्ध इत्यादि से संबंधित थीं । बिजली की अव्यवस्था को दूर करने के लिये सरकार ने कंपनी के लाइसेन्स को रद्द करके बिजली सप्लाई के काम को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को १ नवम्बर, १९६३ से सौंप दिया है ।

*१०१—श्री लखपतराय शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर व जिले की जनता को माताटीला द्वारा बिजली कब तक दी जायगी व बिजली के वितरण का प्रबन्ध क्या सरकार स्वयं करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

माताटीला विद्युत् गृह द्वारा दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक झांसी जिले की जनता को बिजली दी जाने की आशा है । बिजली का वितरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किया जायेगा ।

*१०२—श्री लखपतराय शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार झांसी की जनता व उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये शीघ्रता से बिजली कानपुर से उन्नाव पहुंच चुकी है उसे ही झांसी पहुंचाने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो झांसी की जनता को कितने समय में वह बिजली उपलब्ध हो जायगी व उसके रेट किस किस प्रकार से होंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसी कोई योजना नहीं है ।

गरौठा तहसील में बिजली

*१०३—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में बिजली किन -किन कस्बों व ग्रामों में जा रही है और बिजली की लाइन माताटीला से जा रही है या अन्य किसी स्थान से ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील गरौठा, जिला झांसी के निम्नलिखित जगहों के विद्युतीकरण करने की योजना है :

(१) गुरसराई
(२) सिचोरी
(३) तोरी फतेहपुर

उपर्युक्त जगहों को माताटीला विद्युत गृह से बिजली दी जायेगी ।

कालपी का विद्युतीकरण

*१०४—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कालपी, जिला जालौन में बिजली कब तक लगायी जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला जालौन में कालपी नगर का विद्युतीकरण २५ जुलाई, १९५९ को किया जा चुका है ।

*१०५—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कालपी में बिजली विभाग द्वारा कुछ मुहल्लों में बिजली के खम्भे लगाये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक उनमें तार न लगने के कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारी लाल —

जी हां । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कालपी नगर के कुछ मुहल्लों में बिजली के खम्भे इस आशा से लगाये गये थे कि लोग बिजली लेंगे लेकिन उन्होंने बिजली लेने के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिये जिसके परिणामस्वरूप विद्युत परिषद् को मुनासिब आमदनी होने की आशा नहीं रही और आगे काम नहीं किया जा सका ।

*१०६—श्री शिवसम्पति शर्मा —

क्या सरकार उन आफिसरों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिनकी लापरवाही से ६ माह से अधिक हुआ खम्भों में तार नहीं लगाया गया ?

श्री गिरधारीलाल —

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा नहर की परियावां शाख में पानी न आने की शिकायत

*१०७—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में स्थित परियावां माइनर (शारदा नहर) में पिछले ६ माह से पानी नहीं छोड़ा गया? यदि हां, तो क्या कारण है? इस प्रकार पानी न छोड़ने से किन-किन गांवों की कितने कितने बीघे एकड़ गन्ने एवं जड़हन धान की फसल को नुकसान पहुंचा है? कुल नुकसान का अनुमान क्या है?

श्री गिरधारीलाल —

कथित माइनर पिछले ६ महीनों में आवश्यकतानुसार बराबर चलाई गई। माइनर में पानी की कमी के कारण खरीफ की फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची।

*१०८—श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या सिंचाई मंत्री तत्सम्बन्धी जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा नुकसान का पूरा-पूरा मुआवजा दिलाने का विचार करेंगे?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में नोटरी की नियुक्ति

*१०९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या न्याय मंत्री जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३ में जिला जौनपुर में कौन व्यक्ति Notary नियुक्त किया गया है तथा ऐसी नियुक्ति का क्या आधार है?

श्री सैयद अली जहीर —

हाल ही में श्री फकीर हुसेन को जौनपुर जिले के लिये नोटरी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार की नियुक्ति सरकार द्वारा, सम्बन्धित जिले में नोटरी के लिये कार्य की मात्रा और नोटरीज रूल्स, १९५६ में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार जिला जज द्वारा नोटरी की नियुक्ति के लिये की गई सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त, की जा जाती है।

*११०—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[२४ दिसम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर रोडवेज में निम्न वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों द्वारा टैक्सी का प्रयोग.

*१११—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर) तथा श्री उग्रसेन —

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर के ए० जी० एम० टी० द्वारा जुलाई, १९६३ से अब तक कितने चौकीदार, पानी पांडे और मजदूर रखे गये और वे किन-किन जिलों के रहने वाले हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

१ चौकीदार, ३ वाटर ब्वाय और ११ मजदूर। इनके निवास-स्थान के जिले की सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५७२ पर)

*११२—श्री दुर्योधन तथा श्री उग्रसेन —

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर की टैक्सी नम्बर २८६२ ने १५ जुलाई, १९६३ से २५ सितम्बर, १९६३ तक कुल कितना माइलेज किया है? यदि हां, तो उस माइलेज से कुल कितनी आमदनी हुई है?

श्री मुजफ्फर हसन —

इस गाड़ी का २९८ मील टैक्सी माइलेज हुआ जिससे १८९ रु० ५० नये पैसे की आमदनी हुई। इसके अतिरिक्त यह गाड़ी १८ मील टेस्ट में और ३,१४५ मील विभागीय कार्य में चली।

*११३—श्री दुर्योधन तथा श्री उग्रसेन —

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त टैक्सी का १५ जुलाई, १९६३ से २५ सितम्बर, १९६३ तक जो माइलेज हुआ है, वह अधिकारियों द्वारा किया गया है? यदि हां, तो वह किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है?

श्री मुजफ्फर हसन —

प्रश्न की अवधि में टैक्सी का जो कुल माइलेज हुआ वह सब केवल अधिकारियों द्वारा ही नहीं किया गया। प्रधान प्रबन्धक, सहायक प्रधान प्रबन्धक (यातायात), सहायक प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) और ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट ने स्टाफ कार के अभाव में इस टैक्सी को स्टाफ कार की तरह प्रयोग किया।

*११४-११५—श्री भोमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*११६-११७—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

मेल बसों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग

*११८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार २४ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न ६८ के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि मेल बसों में पेशाब पाखाने की व्यवस्था करने में तथा हवा क लिय पंखे लगाने में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

श्री मुजफ्फर हसन —

पेशाब, पाखाना के इन्तजाम करने में करीब सात सीट कम करनी पड़ेंगी जिससे यात्रियों के लिये जगह कम हो जायेगी और गन्दगी का भी अन्देशा है। पंखे लगाने में बसों की बाडी ऊंची करनी पड़ेगी जिससे सड़क पर कठिनाई होगी और लगभग ३,५०० रु० प्रति बस खर्च पड़ेगा।

*११९-१२०—श्री गिरजाप्रसाद —

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

नलकूप क्षेत्र, मेरठ में अमीनी के लिए परीक्षा

*१२१—श्री विजयपालसिंह —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, सन् १९६२ में ट्यूबवेल डिवीजन, मेरठ में आपरेटर्स में से अमीन चुनने के लिये परीक्षा हुई थी जिसका नतीजा अभी तक नहीं खोला गया है? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां, ट्यूबवेल डिवीजन मेरठ में एक ऐसी परीक्षा १ जून, १९६२ में हुई थी, किन्तु नलकूप आपरेटरों की संख्या के जेनरल सेक्रेटरी के अनुरोध पर उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया, अतः परीक्षाफल खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट, चुनाव समिति, कानपुर

*१२२—श्री शिवनार्थासिंह —

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के उम्मीदवारों की चुनाव समिति में कितने व कौन-कौन से व्यक्ति हैं?

श्री सैयद अली जहीर —

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५७३ पर)

*१२३—श्री शिवनार्थासिंह—

क्या न्याय मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति कब गठित की गयी तथा समिति के गठन में कौन-सा दृष्टिकोण अपनाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

समिति ४-१२-६२ को गठित हुई। विधायकों तथा सम्मानित नागरिकों में से गैर-सरकारी सदस्य चुने गये।

*१२४-१२५—कुंवर हुकुमसिंह राठौर —

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिंचाई विभाग, गोरखपुर में नलकूप सेक्शनल मिस्त्री

*१२८—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, सिंचाई विभाग, गोरखपुर सर्किल ने ट्यूबवेल सेक्शनल मिस्त्रियों को इस प्रकार की नोटिस दी है कि यदि वे सेकंड क्लास वायरमैन की परीक्षा पास करने का प्रमाण-पत्र नहीं देंगे तो उनकी नौकरी समाप्त समझी जायगी ? यदि हां, तो इस नोटिस से कितने व्यक्ति प्रभावित होते हैं?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां, इस प्रकार की एक नोटिस सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर ने दी थी परन्तु वह वापस ले ली गयी है। अतः प्रश्न में कथित नोटिस से किसी के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता।

*१२९ —श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ट्यूबवेल सेक्शनल मिस्त्रियों की नियुक्ति की शर्तें क्या थीं ?

श्री गिरधारीलाल —

ट्यूबवेबल सेक्शनल मिस्त्रियों की नियुक्ति की शर्तें विज्ञप्ति संख्या ९६६ ओ० एस० डी० (आर ०) २३–६–४९ दिनांक दिसम्बर २२, १९५१ के अनुच्छेद ७,८,९,१०,११,१२ तथा २१ में दी हैं जिनकी प्रतियां† संलग्न हैं ।

*१३०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ट्यूबवेल सेक्शनल मिस्त्रियों में से कितने मिस्त्रियों की पदोन्नति की जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

*१३१—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर) —

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिकन्दराराऊ क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी

*१३२—श्री नेकराम शर्मा —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊं (अलीगढ़) क्षेत्र में जनवरी से मार्च ,१९६३ तक कितने सप्ताह सप्लाई चैनल तथा अन्य बम्बे चले ?

श्री गिरधारीलाल —

इस बीच सप्लाई चैनल केवल ६ सप्ताह चली और इससे सम्बन्धित अन्य रजबहे (जो सिकन्दराराऊ में हैं) चार सप्ताह चले। लोधीपुर रजबहा केवल ३ सप्ताह चला ।

*१३३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि हफ्तों बम्बों में पानी न मिलने से उस क्षेत्र की सारी फसल चौपट हो गई है ?

श्री गिरधारीलाल —

जी नहीं ।

*१३४—श्री नेकराम शर्मा —

क्या यह सही है कि हसायन ब्लाक कमेटी ने इस सम्बन्ध में सरकार के पास प्रस्ताव पास करके भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल —

इस प्रकार का एक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ़ को प्राप्त हुआ था, किन्तु उस समय तक रबी की फसल समाप्त हो जाने के कारण उस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

*१३५—१३७—श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

[हटा दिये गये ।]

---

†छापी नहीं गई ।

न्याय विभाग से हिन्दी में पत्र-व्यवहार

*१३८--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय विभाग ,उत्तर प्रदेश ने सन् १९६२-६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में भेजे हैं और उनमें हिन्दी के कितने तथा अंग्रेजी के कितने हैं?

*१३९---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के न्याय विभाग में पूरे प्रान्त से १९६२-६३ में कितने पत्र हिन्दी में आये हैं और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये हैं?

*१४०---हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जो उत्तर अंग्रेजी में दिये गये हैं उनका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर ---

हिन्दी में प्राप्त तथा भेजे गये पत्रों की कोई पृथक् सूचना न रखे जाने के कारण वांछित सूचना को एकत्रित करने के लिये विभागीय समस्त फाइलों का निरीक्षण आवश्यक है जिसमें लगने वाला समय, व्यय और परिश्रम उक्त सूचना से प्राप्त उपयोगिता के मुकाबिले में बहुत अधिक होगा अतः इस सूचना को एकत्रित करना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

*१४१--श्री ऊदल ---

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोलअसला परगने में बिजली

*१४२--श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव बरहीं, नेवादा कूंड़ी, परगना पन्द्रह तथा फूलपुर, सिंघोरा, बसनी, थाने रामपुर परगना कोलअसला, जिला वाराणसी में बिजली देने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या इनमें से बसनी, सिंघोरा, फूलपुर का सर्वे हो रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों को कब तक बिजली मिल जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---

बरहीं नेवादा गांव का विद्युतीकरण २६ अक्तूबर, १९६३ को हो चुका है। वाराणसी जिले में गांव कूंडी, परगना पन्द्रह, फूलपुर, सिंघोरा, बसनी तथा थानेरामपुर परगना कोलालसा विद्युतीकरण किये जाने वाली जगहों की सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इन गांवों का विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में किये जाने की आशा है ।

*१४३-१४४--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में बिजली

*१४५--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में किन-किन कस्बों में जिनकी आबादी लगभग ५-६ हजार तक है अब तक बिजली लग चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल---

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५७४ पर ।)

*१४६—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंगीपुर, चुलरपुर, जलालाबाद कस्बों में अब तक बिजली क्यों नहीं लगी जबकि यह कस्बे ५ हजार के लगभग की आबादी के हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

इन कस्बों के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है और यदि प्राविधिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो इनका विद्युतीकरण शीघ्र कर दिया जायेगा ।

कटा पत्थर बांध की मरम्मत

*१४७—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कटा पत्थर बांध जो देहरादून जिले में जमुना कैनाल को पानी देने के लिये बनाया गया है लगभग दो माह हुये टूट गया था ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कराने में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

कटा पत्थर नहर का निरोधक बांध १८ अगस्त, १९६३ को टूट गया था जिसकी मरम्मत पर ४,६४५ रु० व्यय हुआ ।

*१४८—श्री भीखालाल—

क्या यह सही है कि उपरोक्त बांध मरम्भत होने के बाद पुनः कई बार टूटा ? यदि हां, तो कितने बार टूटा और उसको दुबारा बनवाने में कितना व्यय हुआ और ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, उपरोक्त बांध मरम्मत के उपरान्त पुनः नहीं टूटा । अतः ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*१४९—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त बांध टूट जाने से जमुना कैनाल जो कटा पत्थर बांध के पास से निकली है और जो चोहड़पुर जोन को पानी देती है, कितने दिन बन्द रही है और उससे कितने गांवों में धान की फसल को हानि पहुंची ?

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त बांध के टूट जाने के फलस्वरूप कटा पत्थर नहर दिनांक १८ अगस्त, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक बन्द रही । फिर भी उक्त समय में नहर के बन्द होने से धान की फसल को कोई हानि नहीं पहुंची ।

*१५०—१५२—श्री ओंकारनाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

[हटा दिये गये ।]

शारदा नहर पुरवा ब्रांच

*१५३—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शारदा नहर पुरवा ब्रांच की चौड़ाई ३३वें मील चौथे फर्लांग से लेकर ३४वें मील पहले फर्लांग तक १०६ फुट है, किन्तु नहरी कागजात में यह चौड़ाई ८८ फुट ही दिखायी जाती है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

नहर के कागजात में इस ब्रांच की चौड़ाई ३३ वें मील के चौथे फर्लांग से लेकर ३४ वें मील के पहले फर्लांग तक १८० फीट दर्ज है ।

*१५४---श्री देवदत्त मिश्र---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र में नहर के दोनों किनारे पैंतीस-पैंतीस फुट चौड़ी पटरी की मरम्मत के लिये प्रत्येक तरफ १८० फुट भूमि पर दागबेल लगाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र से सम्बंधित भूमि के अधिग्रहण की दृष्टि से काश्तकारों को मुआवजे का नोटिस गलत और बहुत विलम्ब से दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

जी नहीं, ऐसी कोई दागबेल नहीं लगाई गई है । नहर के दोनों तरफ पटरियों को मजबूत बनाने के लिये १००-१०० फिट भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही की गई है किन्तु जांच से पता चला है कि काश्तकारों को नोटिस देने में कोई गलती या देर नहीं हुई है ।

*१५५---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५६-१५७---श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया---

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५८---श्रीमती चम्पावती---

[हटा दिया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३८ का प्रवर्तन

१---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या परिवहन मंत्री कृपया विधान सभा के २६ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ७५, ६७ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३८ के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही कब से प्रारम्भ हुई है और वह अब तक किस प्रगति पर है तथा इसमें अनुमानतः कितनी देर लगने की और सम्भावना है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

यह कार्यवाही दिनांक १०-१-१९६१ से प्रारम्भ हुई । इस कानूनी कार्यवाही के दौरान में दिनांक २८-५-१९६२ को आपत्तियों की सुनवाई का मामला जे० एल० आर० द्वारा स्थगित कर दिया गया क्योंकि इस मामले से संबंधित एक दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ न था । यह मामला अब भी उस न्यायालय के विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में यह बताना कि कितना और समय लगेगा, सम्भव नहीं है ।

बलरामपुर तहसील में गांवों को ऊंचा करना

२---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला की बलरामपुर तहसील एवं उतरौला के ८५ बाढ़पीड़ित ग्रामों में कितनों के किनारे बन्धी बनाई गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

इन ग्रामों के किनारे कोई भी बन्धी नहीं बनाई गई है।

३—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को मालूम है कि विकास क्षेत्र शिवपुरा, बलरामपुर एवं श्रीदत्तगंज के अन्तर्गत कई ग्रामों के ऊंचा करने की भी आवश्यकता थी? यदि हां, तो किन-किन को कितना ऊंचा किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। अभी तक केवल बलरामपुर विकास क्षेत्र में १० ग्रामों को उच्चतम बाढ़ स्तर से एक फुट ऊंचा करने का कार्य आरम्भ हो चुका है जिनमें से कल्यानपुर नामक ग्राम में कार्य समाप्त भी हो चुका है।

बाढ़ अनुसंधान उपखण्ड, गोरखपुर के कर्मचारी

४—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ अनुसंधान उपखंड गोरखपुर में इस समय कुल कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर काम करते हैं और वे किन-किन जिलों के रहने वाले हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में इस समय २० कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनके पद के नाम तथा जिलों के नाम संलग्न तालिका में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'स' आगे पृष्ठ ५७५ पर)

५—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में अब तक कितने चपरासी, दफेदार और कितने रनर, मेट रखे गये? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री गिरधारी लाल—

बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में १ चपरासी, १ दफेदार, १ रनर तथा ४ मेट रक्खे गये। इन ७ कर्मचारियों को निम्नलिखित आधार पर उपर्युक्त उपखंड में रक्खा गया :

चपरासी	१	इन्वेस्टीगेशन तथा प्लानिंग सर्किल, लखनऊ से स्थानान्तर किया गया।
रनर ..	१	इन्वेस्टीगेशन तथा प्लानिंग डिवीजन।
दफेदार ..	१	बहराइच के समाप्त होने पर।
मेट ..	२	स्थानान्तरण द्वारा इन कर्मचारियों को बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में रखा गया।
मेट ..	१	यह कर्मचारी अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ अनुसंधान खंड, लखनऊ द्वारा लखनऊ के रोजगार कार्यालय के जरिये भर्ती किया गया और इसी डिवीजन के तृतीय उपखंड गोरखपुर में भेज दिया गया।
मेट ..	१	यह कर्मचारी इन्वेस्टीगेशन तथा प्लानिंग डिवीजन लखनऊ का छटनी हुआ कर्मचारी था जिसका स्थानान्तरण गोरखपुर उपखंड में कर दिया गया।

६—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ अनुसंधान विभाग में चपरासियों से जमानत भी ली जाती है ? यदि नहीं, तो बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में क्यों एक चपरासी से जमानत गत माह से काटी जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, ५० रुपये की जमानत नियमानुसार ली जाती है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों का सुरक्षा कोष में दान, कण्डक्टरों व बुकिंग क्लर्कों की परीक्षा

७—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र में कितने कर्मचारियों ने अपने बकाये पैसे में से कितना प्रतिशत सुरक्षा कोष में दान किया है और वे कर्मचारी किन-किन पदों पर काम करते हैं और उनके द्वारा दान दी हुई धनराशि क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस क्षेत्र में किसी भी कर्मचारी ने अपने बकाये पैसे में से सुरक्षा कोष में दान नहीं दिया।

८—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में १९६३ के प्रारम्भ में कन्डक्टरों और बुकिंग क्लर्कों की कोई परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उस परीक्षा में कितने लोग उत्तीर्ण हुये और वे किन-किन जिलों के रहने वाले हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। उस परीक्षा में २५८ कन्डक्टर तथा १८५ क्लर्क चुने गये। इनका जिलेवार ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

९—श्री उग्रसेन—

[हटा दिया गया।]

बाढ़ अनुसंधान उपखण्ड, गोरखपुर में आदित्य प्रसाद मेट के साथ दुर्व्यवहार, चपरासी का भत्ता, एकाउन्टेंट का क्वार्टर, रेवेन्यू मुन्शी का वेतन

१०—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ अनुसंधान उपखंड गोरखपुर के श्री आदित्य प्रसाद मेट को गत २६ जून, १९६३ को दो ओवरसियरों ने कार्यालय में बुरी तरह मारा था ? यदि हां, तो उन ओवरसियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—

बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में २६-६-६३ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अलबत्ता २४-६-६३ को श्री आदित्य प्रसाद मेट तथा दो ओवरसियरों के बीच कुछ कहा सुनी और हाथा पाई हो गयी। मामले की जांच पर ओवरसियर अधिक दोषी पाये गये अतः उनके विरुद्ध उनकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

११—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर के कितने चपरासियों का ट्रांस्फर टी० ए० जुलाई, १९६३ से अब तक बाकी पड़ा है? यदि हां, तो उस टी० ए० का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री गिरधारीलाल—

बाढ़ अनुसंधान उपखंड, गोरखपुर में केवल एक चपरासी ने अपना ट्रांसफर टी० ए० अगस्त, १९६३ में पेश किया था जिसका भुगतान कर दिया गया है।

१२—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग गोरखपुर में एकाउन्टेन्ट, क्लर्क्स क्वार्टर में स्टैन्डर्ड रेन्ट कराकर रह रहे हैं जब कि उनको ४०० रु० वेतन मिलता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। डिवीजनल एकाउन्टेन्ट को उस क्वार्टर का एलाटमेंट सरकारी कार्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुये किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय के निश्चित समय के बाद वे सरकारी कार्य कर सकें।

१३—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, गोरखपुर के रेवेन्यू मुन्शी श्री चन्द्रिका पांडे का वेतन (सितम्बर, १९५४ का) अब तक क्यों नहीं दिया गया? यदि हां, तो किन कारणों से उनका वेतन अब तक रोका गया है?

श्री गिरधारीलाल—

श्री चन्द्रिका प्रसाद पांडे का सितम्बर, १९५४ का वेतन इस कारण नहीं दिया जा सका कि वह प्रीआडिट के लिये वाजिब हो जाने के कारण अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड गोरखपुर को वापस किया गया था जो मार्ग में खो गया (lost in transit)। श्री पांडे के पुनः प्रार्थना करने पर दूसरा बिल शीघ्र बनाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जाये।

१४—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वेतन बिल नं० ३४ सी, अगस्त, १९५४ ट्रेजरी से भुना लिया गया और किसी दूसरे व्यक्ति ने जाली हस्ताक्षर बना कर श्री पांडे का वेतन ले लिया है? यदि हां, तो क्या वह व्यक्ति विभाग का कर्मचारी है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। कोषाधिकारी, देवरिया ने प्रमाण-पत्र दिया है कि उक्त बिल का भुगतान अभी नहीं हुआ है अतः किसी और व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर बनाकर कथित वेतन से लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

१५—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिन्दकी तहसील में नहरी कटाव से क्षति

१६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या लोअर गंगा नहर शाखा, फतेहपुर की इस वर्ष सितम्बर मास में पटरी कट जाने से फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के कुछ ग्राम के किसानों को पानी की अधिकता से मकानों, फसल तथा भूमि कटाव की काफी क्षति उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो उक्त तहसील के किन-किन गांव के किन-किन परिवारों को किस प्रकार की कितनी-कितनी क्षति उठानी पड़ी तथा पटरी के कटने के मुख्य-मुख्य कारण क्या रहे हैं और सरकार क्षति पूर्ति के लिये क्या कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां। क्षतिग्रस्त ग्रामों की तथा क्षति की सूचना माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं। क्षति की पूर्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है। पटरी के कटने की जिम्मेदारी ठेकेदार की मजदूरों की है। जांच की जा रही है अपराध निर्धारित होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

दोहरीघाट पम्प नहर पर मशीन में खराबी

१७—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट (जिला आजमगढ़) पम्प नहर के मुख्य द्वार पर कोई मशीन अभी हाल में ही खराब हो गयी थी, जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

एक ३००० के० वी० ए० ३३/६६ के० वी० ट्रान्सफार्मर में जो दोहरीघाट पम्प नहर पर लगा हुआ था, दिनांक ९-९-६३ को खराबी आ गई थी। इस खराबी को दूर करने के लिए आवश्यक मरम्मत की जा रही है और यह ट्रान्सफार्मर शीघ्र ही ठीक कर दिया जायगा। इससे कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि एक दूसरा ट्रान्सफार्मर दोहरीघाट में नहर के पम्पों को चलाने के लिए लगा दिया गया है और इस खराबी के निवारण करने का खर्च मेसर्स एसोसियेटेड एलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के द्वारा सहन किया जायगा, जिन्होंने यह ट्रान्सफार्मर सप्लाई किया था।

१८—२०—श्री कल्पनाथ सिंह—

[हटा दिये गये।]

गाजीपुर जिले में रोडवेज मेल सर्विस

२१—श्री रघुवीर—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कहां-कहां रोडवेज बसों द्वारा डाक ढोने की व्यवस्था है और कब से और जो रोडवेज के कर्मचारी डाक ढोते हैं क्या उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना तथा अब तक कितना दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१ अगस्त, १९६२ से गाजीपुर महरद मार्ग पर, १५ अगस्त १९६२ से युसुफपुर कासमाबाद मार्ग पर और १ अगस्त, १९६३ से मुहम्मदाबाद कोटवानारायनपुर मार्गों पर रोडवेज बसों द्वारा डाक ले जाने के लिये कन्डक्टरों को १० रु० प्रति मास पारिश्रमिक दिया जाता है। अक्टूबर, १९६३ तक के २६५ रु० के पारिश्रमिक का कुल भुगतान दिया जा चुका है ?

रोडवेज कर्मचारियों के प्री-आडिट बिल

२२—श्री मतोलासिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों के प्रि-आडिट के बिल डिपो में न भेज कर हेड आफिस में भेजने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसे बिल डिपो या हेड आफिस में नहीं भेजे जाते हैं। महालेखापाल उन्हें प्री-आडिट के बाद उस स्थान के ट्रजरी में भेजता है जहां प्रधान प्रबन्धक कार्यालय स्थित होता है।

२३—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हेड आफिस के भेजे बिल वहीं पड़े रहते हैं, कर्मचारियों को पेमेन्ट नहीं किये जाते, ऐसा क्यों ? क्या सरकार रोडवेज के कर्मचारियों के प्री-आडिट के बिलों का एरियर का पिछला पैसा जो बकाया पड़ा है दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा नहीं है। अगर कोई मामला दृष्टिगत होता है तो उसके शीघ्र भुगतान कराने के आदेश दिये जाते हैं।

२४–२५—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ४९–५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चैती मुसहरी निवासी श्री सीताराम पाण्डेय को राजनीतिक पेन्शन

२६—श्री रामसुन्दर पांडेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चैती मुसहरी, थाना पडरौना, जिला देवरिया के कितने व्यक्तियों को राजनीतिक पेंशन प्राप्त हो रही है और उन्हें क्या-क्या सजायें विभिन्न वर्षों में स्वतंत्रता आन्दोलन में हुई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

ग्राम चैती मुसहरी, थाना पडरौना, जिला देवरिया के केवल एक व्यक्ति श्री सीताराम पांडेय, पुत्र श्री राम खेलावन पान्डेय को राजनैतिक पेंशन प्राप्त हो रही ह। श्री पांडेय के कथनानुसार उन्हें सन् १९४० में ६ माह कारावास तथा १०० जुर्माना और सन् १९४२ में एक वर्ष कारावास तथा ५० रु० जुर्माना की सजाएं हुई थीं। उनकी सन् १९४२ की जेल यात्रा को दो विधायकों व जिलाधीश ने प्रमाणित किया है।

वाराणसी जिले में नलकूप विभाग में कल्लू यादव की मृत्यु

२७—श्री हरिगैनराम—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत नलकूप विभाग में बोरिंग करते समय दिनांक ९ अप्रैल, १९६१ को श्री कल्लू यादव की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो किस कारण से ?

श्री गिरधारी लाल—

श्री कल्लू यादव की मृत्यु ९ अप्रैल, १९६१ को बोरिंग करते समय नहीं बल्कि सरकारी ट्रक से गिर कर हुई थी, जो कि नलकूप से काम समाप्त कर सामान ढो रही थी।

२८—श्री हरिगैनराम—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक व्यक्ति का पिता श्री सीताराम यादव ने कोई प्रार्थना-पत्र देकर सही जांच व सहायता की मांग की है ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । इस संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलाधीश, वाराणसी को मुआवजे की सिफारिश के लिये २० सितम्बर, १९६१ को लिखा गया था परन्तु अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है ।

२९—श्री हरिगैनराम—

क्या सरकार इस दुर्घटना का पता लगाकर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कदम उठाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस मामले में छानबीन कर के ही कुछ निश्चय किया जा सकेगा ।

फर्रुखाबाद जिले में ग्रांड ट्रंक रोड पर दुर्घटना

३०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ नवम्बर, १९६८ को जी० टी० रोड घिलोई और प्रेमपुर के बीच जिला फर्रुखाबाद में १३६ नम्बर बस का एक्सीडेंट हुआ था अगर हां, तो उसमें कितने यात्रियों को चोटें आईं और कितना सरकारी व जनता का नुकसान हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

१६ यात्रियों के चोटें आईं तथा बस को ५९०७ रु० ९४ नये पैसे की क्षति हुई । यात्रियों का कोई माली नुकसान नहीं हुआ ।

३१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या यह सही है कि इन दुर्घटना पीड़ित यात्रियों को जो मुआवजा आदि दिया जाने वाला था वह अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ?

करछना, चाका ब्लाक में सिंचाई

३२—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के करछना और चाका ब्लाक के किन-किन भागों में सिंचाई की सुविधा सरकार द्वारा नहीं की गई है और सरकार किस रूप में कब तक सुविधायें देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इलाहाबाद जिले के करछना क्षेत्र के उस भाग में जो उत्तरीय रेलवे की इलाहाबाद-मुगल-सराय लाइन के उत्तर-पश्चिम पर स्थित है सिंचाई सुविधायें सम्भव नहीं ह क्योंकि उस क्षेत्र के उत्तर में गंगा नदी व पूर्व में टोंस नदी है और भूमि ऊंची-नीची है। साथ ही यह क्षेत्र छोटे-छोटे नालों व नदियों के कटाव से भरपूर है।

इस जिले के चाका क्षेत्र के उस भाग में जो सेन्ट्रल रेलवे के इलाहाबाद-मानिकपुर सेक्शन के उत्तर पश्चिम पर स्थित है, जिसका उत्तरीय भाग जमुना नदी से घिरा हुआ है, सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इसके हेतु नलकूप निर्माण करने की योजना विचाराधीन है किन्तु अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी।

उन्नाव जिले में परेता ताल से पानी निकासी के लिए प्रार्थना

३३—श्री भीखालाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिंजरा, चन्दर, सेना, सिहौनी इत्यादि तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के निवासियों का प्रार्थना-पत्र जनवरी, सन् १९६३ में इस आशय का सिंचाई मन्त्री को प्राप्त हुआ है, कि परेता तालाब का पानी निकालने के लिये एक ड्रेन खुदवा दी जावे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां।

दूसरा भाग—मौके पर प्रारम्भिक जांच पड़ताल करने से मालूम हुआ कि यह स्कीम लाभप्रद नहीं है अतः फिर आगे विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया।

झांसी जिले के मुकदमों की वापसी

१४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जनवरी, सन् १९६० से २० सितम्बर, १९६३ तक झाँसी जिले से कितने मुकद्दमें सरकार ने अदालतों से वापस लिये? जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लिये गये, उनका किन-किन राजनैतिक दलों से संबंध था व उनके पद व मुकद्दमें की धारायें क्या-क्या थीं?

श्री सैयद अली जहीर—

झांसी जिले में जनवरी, १९६० से २० सितम्बर, १९६३ तक कुल ५ मुकदमे अदालतों से वापस लिये गये। जिन आदमियों के मुकदमे वापस लिये गये उनमें से एक गैर सरकारी व चार सरकारी कर्मचारी थे, शेष पांच का कांग्रेस पार्टी से संबंध था, उनमें से एक मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे व दूसरे विधान सभा के सदस्य। एक मुकदमा धारा ४०९ व बाकी चार धारा १२०/१२०ब/२०१/२०६/४०७/४२०/४६३/४६९/४७१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थे।

३५-३६—श्री दीपनारायण सिंह—

[१२ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

स्याना क्षेत्र में नलकूप

३७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में पहली नवम्बर, सन् १९६२ से १५ अगस्त सन १९६३ तक कितने सरकारी ट्यूबवेल कहां-कहां खराब हुये हैं और उनकी मरम्मत करके उनको कितने-कितने दिन में चालू कर दिया जायगा?

श्री गिरधारी लाल---

सूचना अभी एकत्रित नहीं हो पाई है। प्रयास किया जा रहा है ।

जौनपुर जिले में गांवों को ऊंचा करना

३८--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में बाढ़ क्षेत्रों में २०१ ग्रामों को ऊंचा करने की जो योजना थी, उसमें कितने गांव ऊंचे किये गये ?

श्री गिरधारीलाल---

जौनपुर जिले के बाढ़ क्षेत्रों में २०१ नहीं बल्कि २२० गांवों को ऊंचा करने की योजना थी जिन में से १९१ गांव सितम्बर, १९६३ तक ऊंचे किये जा चुके हैं ।

३९---श्री जगन्नाथ राव---

बाढ़ क्षेत्रों में गांव को ऊंचा करने में सफलता न मिलने का कारण क्या है तथा क्या जौनपुर जिले में ऊंचे किये गये ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

गांवों को ऊंचा करने में पूर्ण सफलता न मिलने का मुख्य कारण कृषकों का अपने खेतों से मिट्टी न लेने देना है। जौनपुर जिले में जो १९१ गांव ऊंचे किये जा चुके हैं, उनके नाम और जो २९ गांव ऊंचे किये जा रहे हैं उनके नाम संलग्न† सूची १ व २ में क्रमशः दिये हुये हैं ।

जलालपुर नलकूप

४०---श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच-छः मास पूर्व इस सरकार को शिकायत मिली है कि जलालपुर, नलकूप नं० १९, ग्रुप सगड़ी के कमाण्ड एरिया के ग्रामों को जिनमें अलाउद्दीन पट्टी, छाड़ू पट्टी, शांतिपुर, सुल्तानपुर, जगमलपुर और बशीरपुर ग्रामों को कई साल से नाली की खराबी से पानी नहीं मिल रहा है और हेंगाईपुर और हिरधरपुर ग्रामों को दूर पड़ने के कारण आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस कष्ट को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल---

इस प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं आई परन्तु कठिनाइयां निरीक्षण करते समय विभागीय अधिकारियों की जानकारी में आईं । इस नलकूप का कमान्ड क्षेत्र अधिक होने के कारण कुछ गांवों को बिलकुल ही नहीं तथा कुछ गांवों को भली-भांति पानी नहीं मिल पाता था। इस कठिनाई को देखते हुये नलकूप के कमान्ड को १४५२ एकड़ से घटा कर ७४५ एकड़ कर दिया गया है और इस प्रकार ग्राम छाहू पट्टी, सुल्तानपुर, जमालपुर, अलाउद्दीन पट्टी, हेंगाईपुर हृदयपुर, बिलारिया गंज अब इस नलकूप की कमान्ड से खारिज कर दिये गये हैं और इनकी सिंचाई के लिये एक नया नलकूप बनाने का प्रस्ताव है ।

जहां तक गूल की खराबी के कारण पानी न मिल सकने का प्रश्न है इस कठिनाई को दूर करने के लिये नलकूप से पश्चिम की ओर लगभग एक फर्लांग पक्की नाली बना कर इस्माइलपुर में उत्तर से दक्षिण जाने वाली पक्की नाली से मिला देने की योजना है। गूल पर कच्चा काम पूरा हो चुका है और मिट्टी बैठ जाने पर इसको पक्का कर दिया जायगा ।

---

† छापी नहीं गई ।

४१—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि उक्त नलकूप की नाली का पक्का ईंटा उखाड़ कर रख दिया गया है, जिनमें से काफी ईटों को लोग ले गये और नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितने धन का अपव्यय हुआ है और इस नाली को ठीक कर देने की सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप सं० १९ सगड़ी ग्रुप की ग्राम इस्माइलपुर में उत्तर दक्षिण जाने वाली पक्की नाली के आखिरी सिरे की करीब सवा फर्लांग दूरी में ईंटें उखाड़ी गई थीं क्यों कि यह हिस्सा खराब हालत में था। परन्तु नलकूप का कमाण्ड कम कर दिये जाने के कारण इस हिस्से को फिर से पक्का करने का इरादा त्याग दिया गया क्योंकि नलकूप की मौजूदा कमान्ड पक्की गूल के सिरे के करीब ही है। उखाड़ी गई ईटें सुरक्षित हैं।

४२–४४—श्री मतोलासिंह—

[५वें बुधवार के लिए प्रश्न ७३–७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मधुबन बस स्टेशन के लिए जमीन

४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ८ जुलाई, १९६३ का लिखित प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजा हुआ कोई पत्र मिला है, जिसमें मधुबन, जिला आजमगढ़ के बस स्टेशन के निर्माण के संबंध में स्थान का सुझाव दिया गया है और बस स्टेशन के निर्माण की यथाशीघ्र मांग की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। दूसरी उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है।

रोडवेज जी० एम० आफिस, गोरखपुर के कर्मचारियों का भत्ता

४६—श्री झिलमिट राम—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज जी० एम० आफिस, गोरखपुर के कितने लोगों की ड्यूटी जनरल एलेक्शन, १९६२ में लगायी गयी थी और उन्हें कनवेंस अलाउन्स दिया गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—

गोरखपुर जिले में रोडवेज जी० एम० कार्यालय, गोरखपुर के किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी गत जनरल इलेक्शन, १९६२ में नहीं लगाई गई थी। अतः उन्हें कनवेंयंस अलाउन्स देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बरेली तहसील के लिए छोटी नहर

४७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि बरेली तहसील के अन्तर्गत लाड़पुर ग्राम में सिचाई का कोई साधन न होने के कारण जो छोटी नहर बनाने की योजना बनायी गयी है वह कबतक पूरी हो जावेगी और दो वर्ष के बाद भी अभी नहर न बन सकने के कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में जिस छोटी नहर का जिक्र है, वह अभी सरकार के विचाराधीन है।

४८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को मालूम है कि बरेली तहसील में मुन्डिया माइनर की टेल के पास स्थित नबौसी ग्राम की पानी की अत्यन्त कमी के कारण सिचाई नहीं हो पाती ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ट्यूबवेल लगाने का कष्ट करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस क्षेत्र में सिचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है और सिचाई सुविधायें बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है।

मेरठ जिले में हाबल तथा अन्य नालों पर पुल

४९—श्री मेघनादसिंह शिशोदिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मेरठ में धौलाना ब्लाक के अन्तर्गत नाल (बुलन्दशहर डिवीजन) पर पुराने टूटे हुये पुलों के स्थान पर ग्राम बझेड़ा खुर्द तथा ग्राम हाबल में नये पुल बन रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। हाबल नाले के मील ९–१–६० तथा मील ८–६–४०० पर पहिले से पुल ग्राम हाबल तथा बझेड़ा खुर्द में मौजूद हैं। अतः नये पुल बनवाने का प्रस्ताव नहीं है।

५०—श्री मेघनाद सिंह शिशोदिया—

क्या सरकार बतायेगी कि निम्नलिखित स्थानों पर पुल कब बनाये जा रहे हैं ?

(१) नाला कट-धौलाना पर धौलाना व शौलाना ग्रामों के रास्ते पर,
(२) नाला धौलाना पर बास्तपुर व नन्दपुर के बीच मोड़ पर,
(३) नाला धौलाना पर धौलाना व समाना सड़क पर,
(४) नाला धौलाना पर धौलाना-कर्णपुर रास्ते पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

(१) नाला कट धौलाना पर एक Cause way बनाने के हेतु जांच की जा रही है।
(२) यहां पर पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है।
(३) पुल बनाने के संबंध में जांच की जा रही है।
(४) जी नहीं। इस नाले पर कथित स्थान से केवल ३ फर्लांग ऊपर और २ फर्लांग नीचे पुल मौजूद हैं।

५१—श्री मेघनादसिंह शिशोदिया—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रजबहा डासना के नीचे नाला हाबल में ग्राम सिवाया के निकट एक और साइफन बन जाने से ग्राम मिलक के निकट अधिक पानी बहने के कारण नाला हाबल पर एक पुल का बनाया जाना जरूरी हो गया है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बना दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इस संबंध में जांच की जा रही है।

नौगढ़ तहसील में बरसाती पानी रुकने से हानि

५२—श्री चन्द्रपाल रावत (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की तहसील नौगढ़ के पूरब ग्राम भलेवजी तथा मोहनाग के सेवान में जो पानी बरसात के बन्धे के कारण वित्तीय वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में रुक गया, उससे कितनी हानि हुई तथा सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई?

श्री गिरधारी लाल—

१९६२-६३ तथा १९६३-६४ में प्रति वर्ष इन दोनों ग्रामों की २१३ एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई और अगहनी धान को ७५ प्रतिशत हानि हुई ।

इन दोनों ग्रामों में १९६२-६३ में भू-राजस्व की ४२३ रु० ४ नये पैसे की छूट प्रदान की गई और १९६३-६४ में भी इसी रकम की छूट देने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त उन ग्रामों में चना, नमक, मिट्टी का तेल तथा दियासलाई का भी वितरण किया गया ।

५३—श्री चन्द्रपाल रावत—

क्या सरकार उक्त समस्या के स्थाई हल के लिये कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से कतिपय योजनाओं का अनुसंधान प्रस्तावित है ।

फैजाबाद सिटी बस सर्विस बढ़ाने का सुझाव

५४—श्री धूमप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री को मालूम है कि फैजाबाद सिटी बस मधोसा, भरतखंड १० मील तक जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी फैजाबाद से लखनऊ रोड की १० मील की दूरी पर भी जहां ब्लाक कार्यालय, स्टेशन पावर हाउस, इन्टर कालेज तथा रोजाही, सुभितागंज, मकसूमगंज, कई बाजारें स्थित हैं सिटी बस चलाने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फरहसन—

जी हां । फैजाबाद से बाराबंकी मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कानूनी कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात ही फैजाबाद सिटी बस सर्विस को फैजाबाद, लखनऊ रोड पर बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों में खराबी

५५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नलकूप नं० जे० बी० ९ ग्राम भमरौली, राजकीय नलकूप नं० के० बी० ४२ ग्राम गड़ियां, राजकीय नलकूप नं० के० बी० ३९, ग्राम थल (बुलन्दशहर), नलकूप डिवीजन क्यू० आमतौर से खराब रहते हैं और सही प्रकार से सिंचाई नहीं कर पाते, जिसके कारण फसलों को अधिक हानि पहुंचती है ? क्या सरकार इन नलकूपों को सही प्रकार से चलाने पर जल्द से जल्द ध्यान देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आजमगढ़ रोडवेज स्टेशन बढ़ाने का सुझाव

५६—श्री झारखण्डे राय—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि क्या आजमगढ़, रोडवेज स्टेशन पर मुसाफिरों के लिये पैसिंजर शेड छोटा पड़ रहा है? यदि हां, तो उसे उत्तर की ओर बढ़ाने पर विभाग विचार करेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। स्टेशन को पूर्व की ओर और बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

५७—श्री झारखण्डेराय—

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि आजमगढ़ रोडवेज स्टेशन पर गाड़ियों के लिये शेड निर्माण की दिशा में कई वर्ष से केवल खम्भे बन कर खड़े हैं और अब तक उस पर छत नहीं पड़ी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे निर्मित कराने में जल्दी करायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, लोहा व पावर मिल जाने पर छत पड़ सकेगी।

लखनऊ-फतेहपुर बस सर्विस

५८—श्री राम आसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से फतेहपुर जिला बाराबंकी जाने वाली बसों में ५० प्रतिशत की कमी कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी का कारण बतायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सेवाओं में केवल ४ सेवायें कम की गई हैं। कारण यात्रियों की संख्या में कमी है।

बस सर्विस बढ़ाने की मांग

५९—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह जनहित में निम्न मार्गों पर सीधी और अधिक बसें शीघ्र चलाने की कृपा करेंगे ?

(१) अलीगढ़–खैर–टप्पल–बेवर–खुर्जा,

(२) खुर्जा–सोमना–खैर–अलीगढ़,

(३) खुर्जा–सोमना–खैर–टप्पल–खुर्जा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

६०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—

क्या परिवहन मंत्री निम्न मार्गों को गजट करके उन पर सीधी प्राइवेट बसें चलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

(१) बनकौर–सिकन्दराबाद–गुलावठी–धौलाना–देहरा,

(२) बुलन्दशहर–गुलावठी–धौलाना–देहरा,

(३) मेरठ–हापुड़–पिलखुवा–मसूरीपुर–देहरा–धौलाना ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अलीगढ़ क्षेत्र में अकबराबाद ड्रेन

६१—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—

क्या सरकार अलीगढ़ डिवीजन में नाला अकबराबाद एक्सटेन्शन के मील ७ व ८ के बीच फलांग ६ पर पुल बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार के पास अलीगढ़ से इस नाले के पुल बनाने की सिफारिश आई है ?

श्री गिरधारीलाल—

अकबराबाद ड्रेन के मील ७, फर्लांग ७, फीट ३३० पर गांव की सड़क पर पुल निर्माण के लिये एक प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है और आवश्यक धन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

पुल के निर्माण हेतु कुछ कृषकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ।

६२—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—

क्या सरकार मेरठ जिले में पिलखुवा व कन्धौला के बीच नाला छजारसी पर पिलखुवा–सरावा–खरखौदा रोड पर नाला कादराबाद पर ग्राम अमींपुर नगौला व मुकीमपुर के बीच पुल बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग, आजमगढ़ के कर्मचारी

६३—श्री सत्य देव तथा श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग, आजमगढ़ द्वारा ११ अगस्त, १९६० को अमीनों एवं उनके विभाग में काम करने वाले मुंशी के उम्मेदवारों की कोई सूची नियत की गई थी तथा उक्त सूची पर आपत्ति करने की आज्ञा २२ अगस्त, १९६० को दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

६४—श्री सत्य देव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप चालकों की कारगुजारी क्रमशः कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी देखते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

निम्नलिखित कर्मचारी एवं अधिकारी नलकूप चालकों की कारगुजारी देखते हैं :

१—जिलेदार,

२—सहायक अभियन्ता,

३—डिप्टी रेवन्यू आफिसर,

४—अधिशासी अभियन्ता ।

करनैलगंज बस स्टेशन के लिए भूमि

६५—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत बुढ़वल तथा गोंडा जिला स्थित करनैलगंज बस स्टेशनों के निर्माण के लिये कोई योजनायें हैं ? यदि हां, तो इन स्टेशनों के कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बुढ़वल में बस स्टेशन बनाने की कोई योजना नहीं है। करनैलगंज में बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही है।

बाराबंकी जिले में बरसाती पानी इकट्ठा होने से हानि

६६—श्री गिरजा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिलान्तर्गत परगना रामनगर तथा बड़ी सराय में मड़ना, लहड़रा, खुर्दा, बहलोलपुर आदि ग्रामों में बोहनिया और नौरहिया नाले का पानी बरसात में इकट्ठा हो जाता है ? यदि हां, तो उसका कितनी भूमि की फसल पर प्रभाव पड़ता है ? और उस एकत्रित पानी के निकास के लिए क्या सरकार कोई प्रबन्ध करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

इन ग्रामों में बरसात के समय अधिक जल वृष्टि से जो पानी इकट्ठा हो कर नौरहिया और बोहनिया नालों द्वारा आता है वह घाघरा नदी में बह जाता है क्योंकि यह नाले घाघरा नदी में मिल जाते हैं। १३६९ तथा १३७० फसली में १०१७ एकड़ तथा इस वर्ष १०१५ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। इस क्षेत्र के पानी के निकास के लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि ये ग्राम इतनी नीची सतह पर हैं कि कोई भी व्यवहार्य तथा उचित लागत की योजना बनाना सम्भव नहीं है।

हरदोई जिले में नलकूप

६७—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में कितने नलकूप हैं और उनमें कितने नलकूप काम कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

हरदोई जिले में ६३ नलकूप हैं और उनमें से ५६ नलकूप सिंचाई कर रहे हैं।

६८—श्री पूरनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले के अन्तर्गत तहसील शाहाबाद में कितने ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं और सरकार इस बारे में क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई विभाग, शाहजहांपुर में श्री मुसद्दीलाल जिलेदार की मृत्यु

६९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि श्री मुसद्दीलाल जिलेदार, शाहजहांपुर डिवीजन, की मृत्यु दिनांक २१ फरवरी, १९६१ को किन कारणों से हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

श्री मुसद्दी लाल जिलेदार की मृत्यु सेरिब्रल हेमरेज (Crerebral Haemorrhag) से २१ फरवरी, १९६१ को जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में हुई ।

७०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि श्री मुसद्दी लाल मरहूम जिलेदार, सिंचाई विभाग, शाहजहांपुर डिवीजन के टी०ए० बिल, एरियर पे, वार्षिक इन्क्रीमेंट और मंहगाई भत्ते के एरियर्स का भुगतान अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

श्री मुसद्दी लाल, जिलेदार के कुछ एरियर क्लेम (arrear Claims) विभिन्न डिवीजनों में अब भी बाकी हैं जिसके तुरन्त भुगतान के हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं। अभी तक क्लेमों का भुगतान न होने के कारणों की जांच की जा रही है ।

७१—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई विभाग में श्री मुसद्दी लाल की विधवा की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उनके पति की मृत्यु के कारण की जांच की जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

श्री मुसद्दी लाल की विधवा की ओर से कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें उनके पति की मृत्यु के कारण की जांच करने की प्रार्थना की गई हो ।

उरई-झांसी बस सर्विस

७२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई से झांसी तक तथा उरई से जालौन तक और शेरगढ़ तक सरकारी रोडवेज की बसें कब तक चलेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उरई-झांसी मार्ग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जिसके बारे में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है रोडवेज बसें चल पायेंगी ।

उरई-जालौन और शेरगढ़ मार्ग पर सरकारी रोडवेज की बसें चलाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

७३—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

७४—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया—

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया]

रोडवेज कर्मचारियों की मांगें

७५—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अक्तूबर, १९६३ के पहिले सप्ताह में रोडवेज मजदूर सभा उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद शाखा के संयोजक द्वारा भेजे गये रोडवेज कर्मचारियों के संबंध में १३ सूत्री मांग-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

७६—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री उक्त मांगों (मांग-पत्रों की प्रतिलिपि) को सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—

मांग-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५७७–५७८ पर)

७७—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने उक्त मांगों के संबंध में कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभी उन पर परिवहन आयुक्त द्वारा विचार किया जा रहा है । उनकी सिफारिश प्राप्त होने पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

७८—श्री लखीसिंह—

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किया गया ।]

दोहरीघाट पम्प नहर की शाखाओं को पानी

७९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट (आजमगढ़) पम्प नहर की किन-किन शाखाओं व उपशाखाओं में अब तक पानी नहीं दिया जा सका है और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

दोहरी घाट पम्प नहर की पूर्ण निर्मित शाखाओं एवं उपशाखाओं में से केवल कमरौली उपशाखा को छोड़कर शेष सभी में पानी दिया जा रहा है ।

कमरौली उपशाखा मधुवन उपशाखा के मील ४, फर्लांग ६ बांई पटरी से निकलती है परन्तु मधुवन उपशाखा भूमि प्राप्त न होने के कारण अभी निर्मित नहीं हो पाई है । इस कारण कमरौली उपशाखा में अभी पानी नहीं दिया जा रहा है । मधुवन उपशाखा के मार्च, १९६४ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । उसके पूर्ण होते ही कमरौली उपशाखा में पानी दिया जा सकेगा ।

जनकपुर माइनर में पानी की कमी

८०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनकपुर माइनर, चन्द्रप्रभा डिवीजन, चकिया वाराणसी, जिसे कैनाल ऐक्ट के अनुसार १५ जून से २५ अक्तूबर तक चलना चाहिये

इस वर्ष अगस्त में ७ रोज तथा सितम्बर में ८ रोज चलायी गयी है ? यदि हां, तो टाइम से न चलाने का कारण क्या है? क्या सरकार को पता है कि अब १० अक्तूबर से पानी दिया जा रहा है जो जल्द ही बन्द हो जावेगा ।

श्री गिरधारीलाल—

कैनाल ऐक्ट के अन्तर्गत ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि नहरें १५ जून से २५ अक्तूबर तक लगातार चलाई जावें । नहरें वास्तव में कृषकों की पानी की मांग के अनुसार चलाई जाती हैं । जनकपुर माइनर, चन्द्रप्रभा डिवीजन, चकिया, वाराणसी इस वर्ष उसके प्रस्तावित क्षेत्र के कृषकों की मांग के अनुसार जुलाई में ५ दिन, अगस्त में २८ दिन, सितम्बर में ८ दिन व अक्तूबर में १६ दिन चलाई गई ।

८१—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नहर लतीफशाह बान्धा के २८२ फुट के लेबिल पर चलती है और यह बांध नौगढ़ चन्द्रप्रभा मैसोरा से कनेक्टेड है ? यदि हां, तो लतीफशाह बांध के जल का स्तर १५ जून से लेकर २५ अक्तूबर तक २८२ फुट के ऊपर रख कर नहर में पानी क्यों नहीं दिया गया ।

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, जनकपुर माइनर लतीफशाह वीयर के २८२ फुट के लेबिल पर चलती है और यह वीयर नौगढ़ चन्द्रप्रभा तथा मौसोरा बांधों से कनेक्टेड है । जब भी जनकपुर माइनर कृषकों के पानी की मांग के अनुसार माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर में चलाई गई वियर में पानी का लेबिल २८२ फुट के ऊपर था ।

सिंचाई विभाग में चपरासियों व बरकन्दाजों का भत्ता

८२—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में चपरासियों तथा बरकन्दाजों को प्रति माह कितना टी०ए० दिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई विभाग के चपरासियों तथा बरकन्दाजों को प्रति माह टी०ए० उनके द्वारा की गई यात्रा के आधार पर जो धन नियमानुसार देय होता है, वही दिया जाता है ।

८३—श्री भगवानदीन—

क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को टी०ए० के स्थान पर साढ़े चार रुपया परमानेंट मन्थली अलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि इनके लिये एक माह में १२ दिन दौरा करना जरूरी होता है ?

श्री गिरधारीलाल—

साढ़े चार रुपये प्रतिमाह का एलाउन्स चपरासियों व बकरन्दाजों को तब दिया जाता है जब वह अपनी परिधि (within jurisdiction) के अन्दर दौरा करते हैं । जब यह एलाउन्स दिया जाता है तो रेल या बस भाड़े के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का एलाउन्स, जैसे डी०ए० इंसीडेंटल (incidental) व्यय, आदि नहीं दिया जाता है । चपरासियों व बरकन्दाजों को १२ दिन प्रति माह दौरा करना अनिवार्य नहीं है ।

८४—श्री भगवानदीन—

क्या यह भी सही है कि दूसरे विभागों के इन्हीं कर्मचारियों को ८ आने और १२ आने प्रति दिन के हिसाब से टी०ए० मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके टी०ए० में भी पुनः संशोधन करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

दूसरे विभाग के कर्मचारियों की ही तरह सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को भी ८ आने व १२ आने प्रति दिन डेली एलाउन्स नियमानुसार यदि वह देय हो, तो दिया जाता है । यह दरें प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिये हैं, अतः सिंचाई विभाग में किसी प्रकार के संशोधन का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युतीकरण

८५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन ग्रामों में बिजली देने का आयोजन किया गया है ?

श्री गिरधारी लाल—

चालू वित्तीय वर्ष में १,०२५ स्थानों के विद्युतीकरण की योजना है । इनमें से ६२४ स्थानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और बाकी स्थानों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक किये जाने की संभावना है । इन स्थानों की सूची मेरे पास है जो माननीय सदस्य आकर देख सकते हैं ।

८६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध की बिजली आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों को कब से उपलब्ध होने लगेगी और संप्रति उक्त जिलों को बिजली देने के लिये कौन सी कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जिलों को रिहन्द से बिजली सन् १९६४ के अन्त तक मऊ तथा गोरखपुर वाष्प विद्युत् गृहों को रिहन्द से तथा एक दूसरे से मिलाये जाने वाले प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर दी जायगी ।

जिला गाजीपुर में गंगा नदी के दक्षिणी हिस्सों में रिहन्द से बिजली देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नों के असन्तोषजनक उत्तर पर आपत्ति

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा एक निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री बैजनाथसिंह बैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मेरी एक प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा निवेदन यह है कि न्याय मंत्री जी हो कर वह अन्याय क्यों कर रहे हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा एक निवेदन यह था कि यह मामला जनहित से संबंधित है और इसमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं । सरकार ने इसमें चीजों को छिपाया है और सरकार ने स्वयं लिख कर दिया है कि उनका कांग्रेस पार्टी से संबंध था, इसलिये मैं इस प्रश्न के लिये आधे घंटे के विवाद का समय मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

हमको यहां दो वर्ष हो गये हैं । आपको तो नियमों की जानकारी होनी चाहिये । इस विवाद के लिये नियम ५० के अन्तर्गत लिख कर देना पड़ता है । आप लिखकर देंगे तब उस पर विचार होगा । मैं यहां पर कैसे कह दूं कि यह ले लिया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने इस मामले में गलत बयानी की है इसलिये मैं इस मामले में उन पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने का नोटिस देता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर सुने । मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि आप हमारे हितों के यहां रक्षक हैं और उसके बाद भी हम लोगों को आप उचित उत्तर नहीं दिला पाते । माननीय मंत्री जी के दो उत्तरों में हमने देखा कि उन्होंने सही उत्तर देना एवाइड किया है और मैं समझता हूं कि उनके उत्तर गलत हैं । वह इसलिये कि एडवोकेट जनरल जब एक अप्लीकेशन मूव करेगा . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब क्या है ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं मतलब पर ही आ रहा हूं । उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल की एप्लीकेशन में कोई कारण नहीं दिया गया था मुकदमें की वापसी के लिये कि वह क्यों मुकदमा वापस लेना चाहते हैं । तो इससे पता चलता है कि आपका उत्तर सही नहीं है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप उनसे

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

उस समय स्वयं कहते कि उत्तर सही नहीं है। इस प्रकार अगर आप हम लोगों को सही उत्तर दिलाने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

अगर प्रश्नों का समय होता तो उस विषय पर बात हो सकती थी। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं। मेरी बात सुन लें। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में असंतोषजनक उत्तर मिलता है तो हमारे पास नियम हैं जिनके अन्तर्गत वह फिर दुबारा उठाया जा सकता है। आप उसे उठाइये मैं उसे देखूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

एक बात मैं कह दूं एक मिनट में। आप इस उत्तर प्रदेश विधान सभा के सब से बड़े अधिकारी हैं और कानून जानने वाले भी हैं। इसलिये यह जो विषय उठा है उसको मैं आपके सामने रखता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री कैरो साहब के खिलाफ एक जांच हमारे प्रधान मंत्री करवा रहे हैं और आज हिन्दुस्तान में धन की रक्षा का सवाल उठा है। यह एक बड़ा सवाल है देश के हित के लिये, तो जब गबन का केस प्राइमाफेसी तौर पर साबित हो गया और वह सेशन सुपुर्द हो गया तो उसके बाद फिर केस को वापस लिया जाना पार्टीबन्दी में, क्या यह प्रजातन्त्र के हित के लिये है ?

श्री अध्यक्ष---

आप बिलकुल ठीक कहते हैं, किन्तु मोटी बात यह है कि प्रश्नों द्वारा हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और सरकार की गलतियों को प्रकाश में ला सकते हैं, यह सब आपके हाथ में है। किन्तु बीच में प्रश्नों के सन्दर्भ में कुछ कहना इर्रेलीवेन्ट हो जाता है और आप तो दीपनारायण जी स्वयं वकील हैं, जानते हैं कि यह कहां तक ठीक है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

मैं प्रश्न के संबंध में कहना चाहता था ....।

श्री अध्यक्ष---

मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रश्नों के संबंध में आप मेरे कक्ष में आकर पूछ सकते हैं, यहां पर मैं पत्रावली आदि मंगा कर आपको संतुष्ट कर सकता हूं, यहां कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

मेरे प्रश्न ८७-८८ हैं। सिंचाई मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि...

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के विषय में आप मेरे दफ्तर में आकर बात कर लें।

श्री लखीसिंह---

अच्छी बात है।

प्रदेश के कतिपय राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय शारदा भक्त सिंह जी का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं, वह इस प्रकार है—

"प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस तथा शासन के सम्मिलित षड़यंत्र द्वारा राज्य के विरोधी राजनैतिक दलों को समाप्त करने के लिये दलों के कार्यकर्त्ताओं को आतंकित करने तथा उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कानपुर में ६ राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या की जा चुकी है। २१ नवम्बर, १९६३ को भारतीय मजदूर संघ के एक नेता श्री आई० डी० सक्सेना जब कि वह अपने कार्यालय से घर जा रहे थे उनको गोली मार कर हत्या कर दी गई। २६ अक्तूबर, ६३ को जनसंघ के एक नेता श्री नित्यानन्द स्वामी, एडवोकेट को कोतवाली में बुलाकर तथा हवालात में पुलिस द्वारा पीटा गया। कानपुर में समाजवादी दल के कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में कांग्रेस तथा सरकार द्वारा राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं को आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस किसी भी घटना का पता लगाने में असमर्थ रहती है अर्थात् वह सरकार के इशारे पर उपेक्षा कर रही है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। . . ."

इसको मैनें स्वीकार नहीं किया है। आज मांगों के संबंध में बहस है, परसों सप्लीमेन्टरी पर भी बहस है जिसमें यह विषय आ सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस संबंध मे मैने अपना प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। नियम यह है कि अगर कोई विषय शीघ्र ही विचार के लिये आने वाला हो तो उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उनका तो नियम ५३ का है। वह बहुत महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब ५३ का नम्बर आयेगा तो सुन लेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

इस सम्बन्ध में एक ऐसी परिस्थिति पैदा है कि भविष्य में काम करना मुश्किल है और अगर कोई संकट काल आगया तो फिर क्या होगा, इसीलिये मैने दो एक मिसालें कामरोकों प्रस्ताव में दी है और इसीलिये तुरन्त आने की आवश्यकता है। क्यों तुरन्त हो उस सम्बन्ध में आप देखेंगे कि कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं जिनके मैंने दृष्टान्तमात्र दिये है। भविष्य में असुरक्षा का प्रश्न पैदा है। मैंने उसमें कहा है कि नित्यानन्द स्वामी को बुलाकर पीटा गया और इसी प्रकार की कितनी ही घटनायें हो रही है। अगर हमने इसे भविष्य के लिये छोड़ दिया और इस पर बहस नहीं हुई तो निकट भविष्य में यदि कोई घंटना हो जाय और यदि एकाध मृत्यु और हो जायं तो यह लोगों के लिये बड़ा भारी कलंक का प्रश्न होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनः विचार कर लें और इस प्रश्न को आज सदन के सम्मुख आने दें।

श्री अध्यक्ष---

देखिये इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे स्मरण है कि शायद अक्तूबर की ३० तारीख को उठने से एक या दो दिन पूर्व सारी घटनाओं पर जिनका उल्लेख आपने किया है सिवाय दो-एक घटनाओं को छोड़ कर यहां बहस ढाई घंटे की हो चुकी है।

श्री उग्रसेन---

आप शायद पुलिस की जो बहस ३० तारीख को हुई उसका हवाला दे रहे हैं। आप उस बहस का हवाला न दें अगर आप संरक्षण देना चाहते हैं जनतांत्रिक परम्पराओं का तो पुरानी बहस का हवाला यहां न दें ,क्योंकि उग्रसेन के लिये ही खतरा नहीं है, आप पर भी खतरा हो सकता है। उग्रसेन मारे जा सकते हैं तो माननीय मदनमोहन वर्मा अध्यक्ष, विधान सभा भी मारे जा सकते हैं। इसलिये हम और शारदाभक्त सिंह जी दोनों आपके लिये भी लड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह सही है कि अगर इसे मान कर चलें कि गम्भीर बात है तो सिर्फ गम्भीरता ही एक कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का नहीं है। गम्भीरता के साथ यह भी देखना होता है कि इस विषय पर विवाद का अवसर मिलेगा या नहीं और अगर वह शीघ्र ही मिलेगा तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता उसको स्वीकार करने का। नियम ५३ का जहां तक सम्बन्ध है उसमें भी दिया है :---

"परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिये इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेंगे।"

तो आज ही जो चर्चा होने वाली है एक्सेस ग्रांट्स पर उसमें पुलिस की मांग है और उसके बाद सप्लीमेंटरी जट में भी पुलिस की एक मांग है। तो उन पर आप पूरी चर्चा कर सकते हैं। इस वजह से कोई कारण नहीं है कि इसे स्वीकार करें।

दूसरी बात याद रखने की यह है कि अगर कोई एक घटना है और मैं मानता हूं कि आदमी मारे गये, तो वह कैसे मरे किसने मारा यह अनिश्चित है आपने सिर्फ एक इशारा कर दिया कि इससे प्रतीत होता है कि यह सरकार के इशारे पर ही रहा है। यह आपका एक अनुमान है और कोई निश्चित मैटर सामने नहीं लाया है जिससे पता चल जाय कि सरकार का हाथ उसमें है। इस बात को ध्यान में रखने के बाद केवल एक बात रह जाती है कि पुलिस द्वारा जो ला एण्ड आर्डर का तरीका है वह संतोषजनक नहीं है। वह जनरल बहस का विषय है और बजट में आ सकता है।

श्री उग्रसेन---

आप माननीय टंडन जी और माननीय खेर साहब के निर्णयों को देखने की कृपा तो करें इसमें ३ बातें हैं निश्चित घटना हाल की घटना और अविलम्बनीय महत्व। तो इसमें निश्चित घटना है हाल की घटना है और तीसरी बात अविलम्बनीय भी है। सरकार से उसका सम्बन्ध भी है।

श्री अध्यक्ष---

सरकार से इसमें कोई सम्बन्ध नहीं दिया है।

श्री उग्रसेन---

मैंने जो आपको कामरोको प्रस्ताव दिया था और श्रीमान् ने खारिज कर दिया था उसमें था।

श्री अध्यक्ष—

वह तो इस समय सामने नहीं है। जो मेरे सामने है उसमें नहीं है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन् एक नहीं छः-छः घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

दीपनारायण सिंह जी बैठिये। जो घटनाएं माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने बताई हैं उस तरह की घटनायें अगर आप संकलित करें तो न मालूम कितनी ऐसी घटनायें है जो महीने भर में हो चुकी हैं।

श्री शारदाभक्त सिंह—

यह राजनीतिक हत्यायें हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ तो जाइये। घटनायें होती हैं, लेकिन सवाल तो सिर्फ यह है कि आपने इस प्रस्ताव में क्या यह बताया है कि सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? आपने नहीं बताया केवल यही कहा है कि ऐसा अनुमान है। अनुमान पर किसी कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन् लोक सभा में श्री हीरेन मुखर्जी ने वह कहा था कि अगर सरकार खाने का इन्तजाम नहीं कर सकती है तो मरने की इजाजत दी जाय। इस पर सरकार की ओर से कहा गया था कि कानून के अनुसार किसी को भी मरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप तो स्वयं वकील रहे हैं, किसी के जान माल की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। राज्य की परिभाषा ही यह है कि वह जनता का संरक्षण करे। अगर वह रक्षा नहीं कर सकती है तो उसको हट जाना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय उग्रसेन जी की तो केवल यही विनती है कि इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो बहस हो रही है वह केवल यह हो रही है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हमें संरक्षण दे। यह एक ग्राम विषय है जो पुलिस की बहस के समय आ सकता है और उस पर बहस की जा सकती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब नेता सदन और नेता विरोधीदल खड़े हों तो उनको प्रायोरिटी दी जाय, लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता बार-बार खड़े होते है और आप बार-बार कह देते हैं, बैठ जाइए।

[श्री नेकराम शर्मा]

यह सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप सदन की परम्पराओं को क्यों तोड़ रहे हैं, कृपा कर के इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष---

एक परम्परा यह भी है कि जब अध्यक्ष बोलते हों तो सदन के किसी भी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये, चाहे वह सदन का नेता हो अथवा विरोधीदल का नेता हो। (श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयत्न करने पर) एक परम्परा का नमूना यह भी है।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, अगर आप परम्परा न बिगाड़ें तो कोई कैसे बिगाड़ सकता है?

श्री अध्यक्ष---

जब मैं बोल रहा हूं तो विरोधीदल के नेता का यह कर्त्तव्य है कि वे खड़े न हों लेकिन जब मेरे बोलने के समय वे खड़े हो जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि बैठ जाइये। मैं चाहता हूं कि कम से कम विरोधी दल के नेता अपने सम्मान के लिये, सदन के सम्मान के लिये और विरोधीदलों के सम्मान के लिये जब मैं बोलता होऊं तब न खड़े हुआ करें। मैं उनका आदर करना चाहता हूं और करता हूं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं बोलता होऊं और वे खड़े हो जायं और मैं यह भी न कहूं कि आप बैठ जाइये।

श्री शारदानन्द सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं कम से कम अपनी तरफ से बराबर यह प्रयत्न करता रहा हूं और करता हूं कि इस सदन की परम्पराएं बिल्कुल ठीक रहें लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो आप स्वयं बोलना शुरू कर देते हैं और सरकारी पक्ष की ओर से बहस करने लगते हैं। मैं आपसे निरन्तर यह बात कहता रहा हूं कि आप निर्णय दें, किसी प्रकार का विवाद न करें। हमारी कठिनाई तभी हो जाती है जब आप सरकारी पक्ष की ओर से बहस करने लगते हैं और अगर उसका हम जवाब देते हैं तो कहा जाता है कि हम आपकी बात नहीं मानते हैं और अगर उसको मान लेते हैं तो सरकारी पक्ष की बात हमें माननी पड़ती है। इसीलिये मैं निवेदन करता हूं कि बहस उनको करने दें आप केवल निर्णय दें लेकिन आपकी बहस का जब हम उत्तर देते हैं तो कहा जाता है कि हम आपकी आलोचना कर रहे हैं।

यहां इस तरह की परम्परा स्थापित करने की आवश्यकता है कि आप निष्पक्ष रूप से हमारी बात को सुनें और उसके बाद सरकारी पक्ष की बात को भी सुनें और उसके बाद अपना निर्णय दें, ताकि हमें किसी प्रकार की बात कहने और आलोचना करने की आवश्यकता ही न रहे। हम इधर से अपनी बात रखते हैं, सरकारी पक्ष के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करते हैं और आप उन को अवसर न देकर उन की ओर से स्वयं कहने लगते हैं और आप की बात को या तो हम मान लें कि आप की बात सत्य है और अगर हम उस पर कहते हैं कि आपका यह तर्क सही नहीं है तो उसको आप अपने निर्णय की आलोचना समझते हैं। जब हम अपनी बात रखते हैं और सरकारी पक्ष पर दोषारोपण करते हैं या उस से अपनी बात की सफाई चाहते हैं तो हम यह आशा करते हैं कि उसके उत्तर में सरकारी पक्ष से तथ्य आयें और हमारे और सरकारी पक्ष के तथ्यों को सुनकर आप का कोई समुचित निर्णय एक संतुलन के साथ मिले। यदि ऐसा हो तो हमें कोई आपत्ति न हो, लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि जो बात हम यहां रखते हैं उसके उत्तर में सरकारी पक्ष की सफाई मिलने नहीं पाती और आप का उत्तर उनके पक्ष में मिल जाता है। अब अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो सरकारी पक्ष की नीति हमको माननी पड़ती है हालांकि वह गलत होती है.....।

श्री अध्यक्ष —

यह तो आप कह चुके ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

इस लिये हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी व्यवस्था देने से पहले सरकारी पक्ष को मौका दिया करें, पहले उनकी बात सुन लें और फिर आप निर्णय दें। ऐसी हालत में कोई कठिनाई नहीं होगी ,लेकिन आप तर्क देकर उन की ओर से फौरन स्वयं ही अपना निर्णय दे देते हैं तो हमें कहने की और खड़े होने की आवश्यकता हो जाती है और आप के निर्णय के . . . ।

श्री अध्यक्ष—

यह सब वही आप कह रहे हैं, यह तो आप कह ही चुके ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि आप कोई निर्णय देते हैं तो हमें यह अधिकार है कि यदि हमें असन्तोष है तो हम उसके बारे में आप से निवेदन करें, लेकिन आप फिर अवैधानिक कह कर हमे खड़े नहीं होने देते कि अब विषय या समय समाप्त हो गया । जो प्रश्न इस समय आपके समक्ष है उस में राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की जान का खतरा है। पिछले दिनों में इसी सम्बन्ध में कुछ बातों पर यहां बहस हुई थी, लेकिन आप इस समय हमारी सूचनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते और ऐसी दशा में यदि आप सरकारी पक्ष को सुनते भी नहीं देते कि हमको आश्वासन ही मिल जाय कि उनका इस तरफ ध्यान भी है या नहीं और इसको यहीं स्वयं समाप्त करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कोई स्पष्ट बात न होगी और उससे कोई स्वस्थ वातावरण नहीं बनेगा। यदि आप की इस प्रकार की रूलिंग है तो निश्चित रूप से उसका हम विरोध करेंगे। हम विरोध प्रकट नहीं करना चाहते, लेकिन जब जन सुरक्षा और प्राणों का प्रश्न उपस्थित हो तो उस स्थिति में हमें आप की रूलिंग के विरोध में कहना पड़ता है कि उसके विरोधस्वरूप हम आज सदन का ५ मिनट के लिये परित्याग करते हैं ।

(श्री शारदाभक्तसिंह ने जनसंघ दल के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया ।)

श्री उग्रसेन—

इस अन्तिम चरण में अध्यक्ष महोदय, हम आप से निवेदन करना चाहते हैं. . .

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) —

अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने जो सवाल उठाया है और उससे पहले जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं वह एक चिन्ता का विषय है। देवरिया और आजमगढ़ वगैरह में डी० आई० आर० में हमारे श्री जगन्नाथ मसल जो प्रजासोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं गिरफ्तार किये गये हैं पूर्व की मिलें बन्द हैं, पुलिस के द्वारा लोगों की मारपीट की जाय और इस तरह से गिरफ्तारियां हों और कोई सुरक्षा न रह जाय और सरकारी पक्ष उस पर कोई ध्यान न दे तो प्रदेश में अराजकता ही समझनी चाहिये। आप ऐसे विषय पर भी इजाजत नहीं दे रहे हैं तो प्रजासोशलिस्ट दल भी ५ मिनट के लिये विरोध स्वरूप सदन का त्याग कर रहा है ।

(श्री बलवानसिंह ने प्रजासमाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि टंडन जी की कुर्सी पर आप बैठे हैं और आप के सामने बड़ा गम्भीर मसला है, अगर यह गम्भीर न होता तो आप के सामने

[श्री उग्रसेन]

आज न रखा जाता।" माननीय काशीनाथ जी ने सोच समझ कर ही आप के समक्ष नियम ५३ में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की कैसे हत्यायें हो रही है और कैसा वातावरण प्रदेश में व्याप्त है.....

श्री अध्यक्ष—

नियम ५३ वाले पर मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री उग्रसेन—

जो आदमी मारे गये हैं अगर आप उन के बारें में सुनेंगे तो आप को आश्चर्य होगा, ईश्वर दयाल सक्सेना का कत्ल हुआ, अर्जुन सिंह जैसा ६ फुटा लम्बा जवान मारा गया।

× × × ×

(श्री उग्रसेन ने समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जिस विषय पर अभी चर्चा हो रही है वह काफ़ी गम्भीर है। आप भी अखबारों में पढ़े होंगे और आप तो पूर्वी अंचल के जाने माने वकील रहे हैं। आप ने इस बात को महसूस किया होगा कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में पोलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, बड़ी संख्या में। साथ ही साथ सरकार की ओर से विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं पर सख्ती बरती जा रही है। अभी गाजीपुर से ४ कम्युनिस्टों को अकारण निकाल दिया गया....

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या काम रोको प्रस्ताव का विषय हो सकता है आम तौर पर कि प्रोटेक्शन नहीं है?

श्री झारखण्डेराय—

मैं वही बता रहा हूं कि पूरे मसले पर बहस होनी चाहिये। सरकार सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे रही है। हम वाक आउट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल यह चाहते हैं कि आप विवाद के लिये समय निश्चित कर दें कुछ घंटों का ही सही, ताकि हम पूरे मसले को आप के सामने रख सकें और सरकार तथा जनता जान सके। सरकार की ओर से कुछ आश्वासन मिले कि इनके जीवन रक्षा के लिये सरकार क्या कर रही है।

श्री नेकराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय झारखंडे राय जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह कार्यस्थगन प्रस्ताव का विषय बने या न बने यह प्रश्न दूसरा है, लेकिन आप ने सदैव यह प्रथा डाली है कि महत्वपूर्ण विषयों के लिये समय निर्धारित कर देते हैं। माननीय हुकुमसिंह जी, गृह मंत्री, माननीय राममूर्ति जी मौजूद हैं....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

नियमों में नहीं आता तो हम क्या करें।

श्री नेकराम शर्मा—

ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि विरोधी दल के नेताओं को गृह मंत्री जी, उपनेता सदन आदि समय दें बातचीत करने का, ताकि विचार विनिमय किया जा सके। कोई नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हों, लेकिन हो रही हैं उनके क्या कारण हैं, इस पर विचार विनिमय हो जाय। इसके लिये १, २ घंटे का समय दे दें या एक जगह बैठ कर विचार कर लिया जाय, क्योंकि ऐसे

[× × × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

विषय रोज आ रहे हैं, आते रहेंगे, आपको भी हेडेक है। अतः चाहता हूं कि आप सरकार को बाध्य करें कि इनके विषय में १, २ घंटे का समय दे दें, या एक कान्फ्रेन्स करा दें ताकि इस विषय पर हम लोग गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकें।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

माननीय नेकराम जी ने जो यह फरमाया है कि जो गंभीर सवाल यहां पेश होते हैं उन पर सब लोग बैठ कर विचार कर लें कि ऐसा क्यों होता है। यह तो सभी जानते हैं कि सरकार की यह इच्छा नहीं होती कि हमारे देश में और प्रदेश में ऐसे मामले हों लेकिन अनेक विधि विधानों के बावजूद मनुष्य की प्रकृति अपराधों की ओर चली ही जाती है उसको भी हम जानते हैं कि बावजूद सब कानूनों के ऐसी घटनायें हो जाती हैं। पुलिस अनेक मुकदमे चलाती है दंड दिलाती है और अगर नियम इजाजत देता है तो हाई कोर्ट तक भी छोड़ देती है। बहरहाल जो नियम दिए हुए हैं उन नियमों के अनुसार ही काम किया जायगा। अब आप के सामने सप्लीमेंटरी बजट उपस्थित है और उस संदर्भ में बात हो सकती है उस को लेकर आप बहस कर सकते हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या और साधारण व्यक्तियों की हत्या में बड़ा अन्तर इसलिये है कि साधारण व्यक्तियों की हत्या के फलस्वरूप यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इस देश में जनतंत्र की पद्धति को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, परन्तु जब राजनीतिक हत्यायें किसी देश में आरम्भ होती हैं तो उस देश में जनतान्त्रिक प्रणाली को बहुत खतरा हो जाता है। इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मैं राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या के लिए कोई विशेषाधिकार चाहता हूं, लेकिन केवल इतना ही है कि चूंकि इससे देश के जनतंत्र को खतरा हो जाता है और जनता खतरे में पड़ जाती है, इसलिये हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। चूंकि कोई समय इसके लिये निर्धारित नहीं किया गया है, अतः इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री भानुप्रतापसिंह ने स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

श्री दीपनारायणसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विश्व भर में श्री कैनेडी की हत्या की चर्चा हो रही है। वह भी एक राजनीतिक हत्या थी। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है वह भी सब को मालूम है। हमारे प्रदेश में जो राजनीतिक हत्यायें हुई हैं उनके बारे में माननीय राम मूर्ति जी और माननीय पुलिस मंत्री जी का जो रवैया है वह अत्यन्त खेदपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक केस में कांग्रेस पार्टी के पांच पांच नेतागण छोड़ दिए जायं और यहां से आदेश हों कि सेशन सुपुर्द होते हुए भी छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष---

यह बहस थोड़े ही हो रही है।

श्री दीपनारायणसिंह---

जब आप कार्यकर्त्ताओं और लीडरों की हत्या को कार्य स्थगन का विषय नहीं मानते हैं तो उससे बड़ा दुःख और क्या हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, आपने एक भी कार्य स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, यही शिकायत माननीय सदस्य करते हैं। अतः आप कोई समय मुकर्रर करें जिससे यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार हो जाय। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में कम से कम एक, दो महीने बाद एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि जब कोई प्रश्न व्यवस्था का आयेगा और जब यह प्रश्न आयेगा कि जो सूचना दी गयी है वह नियम के अन्तर्गत है या नहीं तो उसका निर्णय मैं करूंगा। आदरणीय नेता विरोधी दल यह समझते हैं कि यह आवश्यक है कि जब कोई ऐसा प्रश्न आये और यद्यपि मैं यह समझूं कि वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आ सकता है तो भी मैं सरकारी पक्ष से कहूं कि तुम कुछ जवाब दो तो ऐसा मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जिस बात को मैं देख रहा हूं कि यह किसी प्रकार से नियम के अन्दर नहीं आ सकती है तो मेरा कर्त्तव्य यह होता है कि मैं उसको अस्वीकार कर दूं। यहां पर रूलिंग्स मौजूद हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कि यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष उसे सदन में पढ़े और न उसके लिये यह आवश्यक है कि वह कारण ही बतलाये। लेकिन केवल इस कारण से कि वह प्रश्न नेता विरोधी दल के द्वारा उपस्थित किया गया था मैंने यह उचित समझा कि उसको पढ़ दूं लेकिन अब उसके ऊपर उनका यह आक्षेप है मेरे ऊपर कि मैंने सरकारी पक्ष से क्यों नहीं पूछा कि यह स्वीकार हो या न हो, क्यों नहीं उनके विचार जाने और बगैर जाने ही क्यों अपने मन से कह दिया? मुझे बड़ा दुख हुआ लेकिन यह मेरा उत्तरदायित्व है, मुझे कहने का यह अधिकार है कि यह नियम के अन्तर्गत आता है या नहीं आता है।

अब दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लालेसनेस पर यहां शिकायत हो रही थी तो ३० तारीख को मैंने उस विषय को नियम ५३ के अन्तर्गत लिया था और ढाई घंटे बहस हुई थी। फिर जैसा माननीय काशीनाथ जी ने नियम ५३ की सूचना में कहा उस पर ही मैं विचार कर रहा था, उसे देख रहा था, कोई निर्णय नहीं दिया था। लेकिन मुझे परेशानी यह थी कि आप उन विषयों को लिखते हैं जो ३० अक्तूबर से पहले हो चुके थे जिन पर सदन में विचार हो चुका है। उसके बाद जो घटनायें हुईं उन पर कामरोको प्रस्ताव आ सकता है या नहीं आ सकता है इस पर मुझे विचार करना था। इसमें यह नहीं लिखा है कि राजनीतिक कारणों से ये हत्यायें हो रही हैं इसमें केवल यह लिखा है कि कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार के संकेत से यह हो रहा है। इस प्रकार यह अनिश्चित है। आप की राय में निश्चित हो सकता है, लेकिन मैं इसे अनिश्चित समझता हूं। जिस प्रकार आप ने सूचना दी है उस प्रकार से किसी हालत में मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय हो नहीं सकता। इस कारण मैंने इसे अस्वीकार किया और अब भी मैं आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं अधिक से अधिक एकमोडेट कर सकूं। कल भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने ३ मिनट समय से अधिक दे दिये केवल इस वजह से कि अपोजीशन को शिकायत न हो। लेकिन आप चाहते हैं कि अखाड़ेबाजी होती रहे यह गलत चीज है। जब मैं समझता हूं कि किसी विषय के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है तो उस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दे देता हूं। यह हो सकता है कि आपके हृदय में यह भ्रम होता रहे कि मैं सरकारी पक्ष लेता हूं, अगर होता है तो मुझे बड़ा दुःख है। बहुत-सी बातें मैं सरकार के विरुद्ध कहता हूं तब आप यह नहीं कहते कि मैं ठीक कहता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

आप की व्यवस्था शिरोधार्य है। मेरा निवेदन यह है कि एक भूतपूर्व जमींदार, शाहजहांपुर के हैं जिनका नाम ज्योति स्वरूप है उनके सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव कौंसिल में स्वीकृत हुआ और बहस हुई। अध्यक्ष महोदय ने वहां व्यवस्था दी कि डी० एम० को हाउस का प्रस्ताव रिमव कर सकता है। अगर यहां नेता विरोधी दल ने स्पष्ट नहीं लिखा था तो आप उनको बुला लेते और ठीक करा लेते, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण था।

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह कहना है कि अगर नियम के अन्तर्गत नहीं आता है तो नहीं लिया जा सकता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। आप ने 'अखाड़ेबाजी' शब्द का प्रयोग किया। तो क्या यह शब्द संसदीय है?

श्री अध्यक्ष---

मेरा मंशा केवल यह था कि इस पर ज्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिये।

विधान परिषद् सदस्य, कुंवर ज्योतिस्वरूप के घर को शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा घेरे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसे माननीय दौलतलाल, माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय जगदम्बाप्रसाद, माननीय आर० एन० चौबे तथा माननीय हेमराज ने दिया है। वह इस प्रकार है :---

"श्री कुंवर ज्योतिस्वरूप एम० एल० सी०, शाहजहांपुर का घर पुलिस ने अकारण ही घेर लिया और जिलाधीश, शाहजहांपुर ने उनके सभी लाइसेंसों को रद्द कर दिया। पुलिस द्वारा अकारण उनका घर घेर लिये जाने से वे अपने घर में बन्द हैं और विधान परिषद् के अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सके। श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्त मंत्री, श्री बनारसीदास, सहकारिता मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, सभा सचिव गृह विभाग ने इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये फोन द्वारा जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित किया किन्तु वे फोन पर न मिल सके। जिलाधीश, शाहजहांपुर के इस कार्य से शाहजहांपुर के ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के सम्भ्रान्त नागरिकों और विधान मंडल के सदस्यों में क्षोभ व्याप्त है।

अतः प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली की धारा ५२ के अनुसार लोक महत्व के निश्चित प्रश्न पर आपके आदेश से गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

स्वीकार करने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं। माननीय ज्योतिस्वरूप जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से घर में बन्द हैं या उनके हथियार छिन गये इसलिये डर से सदन में नहीं आ पाये?

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

विधान परिषद् में जो टेलीग्राम आया है उसमें लिखा है कि वे बन्द हैं . . .

श्री अध्यक्ष---

माननीय जगदम्बा प्रसाद जी, क्या आप गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री तो यहां बैठे हैं।

श्री मुल्तानसिंह (जिला आगरा)---

क्या यह इसलिये मंजूर कर लिया गया है कि ये कांग्रेसी हैं?

श्री अध्यक्ष---

ये कांग्रेसी हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। (कुछ ठहर कर)
देखिये, मैं आप से बता दूं। श्री दौलतलाल, पी० एस० पी०, श्री रामसुन्दर पांडेय, पी० एस० पी०, श्री जगदम्बाप्रसाद, इंडिपेंडेंट . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जिसका घर घेरा गया वह कौन है ?

श्री अध्यक्ष—

भगवान जाने। माननीय गृह मंत्री जी, आप कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

परसों तक दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल मर्डर्स के ऊपर मैं अपने विचार रखूंगा।

श्री अध्यक्ष—

वह तो समाप्त हो गया।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, मैं बार-बार खड़ा हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में राजनीतिक हत्यायें घड़ल्ले से हो रही हैं और माननीय राममूर्ति जी की बातों को मैंने बड़ी गम्भीरता से सुना . .

श्री अध्यक्ष—

राममूर्ति जी ने यह कहा था कि . . .

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, अगर हम सुन्दर तरीके से जवाब न दें तो हमें बिठा दें। यह कहा गया कि केरेज हत्या वगैरह के चलते हैं और हाई कोर्ट छोड़ देता है। उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक हत्यायें जान बूझ कर कराई जाती हैं तो सदन में उनके ऊपर विवाद होना जरूरी है। जो प्रस्ताव आया है उसमें साफ नहीं लिखा है कि राजनीतिक हत्या है, लेकिन यह कहा गया है कि कांग्रेस के द्वारा यह हो रहा है। इसलिये इस पर घंटे दो घंटे की बहस होना अनिवार्य है। आप किसी भी नियम के अन्तर्गत विवाद करा दें ताकि कांग्रेस डिक्टेटर न बन जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि वह स्वत: अपने मकान में बन्द हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

परसों सूचना प्राप्त करके आप को देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, नियम ५३ के बारे में आप ने कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलना समाप्त कर दें तो मैं देखूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, नियम ५२ के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

देखिये, नियम ५२ में एक ही तो लिया जा सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, वक्तव्य ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं।

श्री श्यामलाल---

अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जाइये, मैं बोल रहा हूं।

श्री श्यामलाल---

आप ने यह कहा था कि नियम ५२ में स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि ठीक तरह से बना कर लाओ।

श्री श्यामलाल---

श्रीमन् यह आदरणीय शब्द है "लाओ" ?

श्री अध्यक्ष---

अच्छा लाइये अगर "लाओ" से तकलीफ होती है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों एवं कार्य के लिए समय निर्धारण के लिए प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी ९ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित कार्यों तथा विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय---

(१)	उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ पर विचार एंव उसका पारण	१० दिसम्बर, १९६३ को १ बजे अपरान्ह तक।
(२) (क)	वित्तीय वर्ष, १९५९-६० के अतिरिक्त व्यय की मांगों पर सामान्य चर्चा (यदि आवश्यक हुआ)	१० दिसम्बर, १९६३ को २ बजे अपरान्ह से ४ बजे अपरान्ह तक।
(ख)	उक्त अनुदानों पर मतदान, तथा	
(ग)	उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विवाद एवं उसका पारण।	

(३)	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसका पारण	१० दिसम्बर, १९६३ को ४ बजे अपराह्न से ११ दिसम्बर, १९६३ को साढ़े पांच बजे अपराह्न तक।
(४)	(क) वित्तीय वर्ष, १९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदान पर सामान्य चर्चा (ख) उक्त अनुदान पर मतदान, तथा (ग) उत्तर प्रदेश विनियोग, (१९६३–६४ के प्रथम पूरक) विधेयक, १९६३ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।	१२ दिसम्बर, १९६३।
(५)	गुड़ तथा खाण्डसारी पर प्रतिबन्ध तथा गन्ने की कीमतों के विषय में चर्चा।	१३ व १४ दिसम्बर, १९६३
(६)	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, १९६३ पर सामान्य विवाद।	१६ दिसम्बर, १९६३।
(७)	उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार तथा उसका पारण।	१७ दिसम्बर, १९६३।
(८)	उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के १ से ४, ६ व ७वें प्रतिवेदनों पर विचार।	१८ दिसम्बर, १९६३।
(९)	१३ दिसम्बर, १९६३ के असरकारी दिवस के स्थगन पर असरकारी दिवस।	१९ दिसम्बर, १९६३।
(१०)	विधान सभा के दो लम्बित असरकारी दिवसों के स्थान पर एक असरकारी दिवस।	२० दिसम्बर, १९६३।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आपके द्वारा पढ़ी गयी समय सारिणी के अनुसार विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तुत समय निर्धारण से सहमत है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––

श्रीमन् मैं आपके द्वारा परामर्शदात्री समिति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह फिर इस प्रश्न पर विचार करे। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें उदारता जरूर होनी चाहिए। १३–१४ को जो आपने गन्ना, गुड़ और खांडसारी तथा चीनी के सम्बन्ध में तिथि निश्चित की है और जो कल आपने पढ़ा था उसमें एक दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों द्वारा उस ओर ध्यान दिलाया गया था, प्रदेश की चीनी की स्थिति, चीनी बनने की स्थिति, गुड़ की पाबन्दी, और गुड़ की दुर्दशा के सम्बन्ध में और उसके साथ-साथ गन्ना के २० लाख काश्तकार अजीब स्थिति में पड़े हुए हैं उनके सम्बन्ध में सारे प्रस्ताव थे, अब उसको स्थगित करके १३ और १४ को ले जाया जा रहा है। यह आपकी बड़ी कृपा है कि आपने अपनी तरफ से इस बात का प्रयत्न किया कि उस पर विवाद हो सके। दो दिन में इस सदन का विचार सरकार को भी जानने का मौका मिलेगा, लेकिन

इस सिलसिले में मैं माननीय नवलकिशोर जी से यह जरूर कह दूं कि इसी शुगर केन और गुड़ के सिलसिले में लोक सभा में ढाई दिन तक बहस हुई, जिसकी पचास-बावन प्रतिशत पैदावार करने वाला उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ही मसला सबसे अधिक उलझा हुआ मालूम पड़ता है। इतना होने के बाद पांच फैक्टरियां बिल्कुल बन्द हैं और २९ फैक्टरियों को अपनी भूख भर गन्ना नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन रोज घट रहा है। चीनी खाने वाले लोगों को दुर्दशा हो रही है वह सभी को मालूम है। गुड़ की दुर्दशा जो है वह माननीय सदस्य सदन के सामने रखेंगे। इसलिए जो बहस १३–१४ तारीख को होने वाली है उसके लिये ११–१२ तारीखें निश्चित की जायँ और जो कर बढ़ाने वाला, खांडसारी, गुड़ पर आक्रमण करने वाला बिल है उसका आक्रमण रोका जाय।

श्री अध्यक्ष–

मेरी दिक्कत यह है कि १२ तारीख निश्चित हुई है बजट के लिए। वह गवर्नर निश्चित करता है। बजट की तिथि वहां से निश्चित होती है, हम उसको बदल नहीं सकते। सिर्फ ११, १३, और १४ आप के पास हैं।

श्री गेंदासिंह–

मैं ऐसा समझता हूं कि ११ को पूरा दिन ले लिया जाय। १२ को सप्लीमेंटरी बजट के लिए अगर कोई गुंजायश हो सके, सरकार की कृपा से या गवर्नर साहब के कहने से तो सप्लीमेंटरी बजट दूसरे दिन कर दिया जाय। लेकिन अगर न हो तो ११ को कल वह ले लिया जाय और फिर १२ को बजट ले लिया जाय और १३ को फिर उस पर बहस हो और इस बिल का आक्रमण रोक दिया जाय। यह बिल बड़ा खराब है जिस पर वाद-विवाद होगा तो एक या सवा दिन बिलकुल नाकाफी होगा।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रस्ताव सिर्फ यह हो सकता है कि समिति का प्रतिवेदन समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय और संशोधन आ नहीं सकता। तो प्रश्न यह है कि पुनर्निर्दिष्ट किया जाय।

श्री नवलकिशोर–

श्रीमन्, वैसे तो आपकी आज्ञा हो, वह हमें स्वीकार है, लेकिन माननीय गेंदासिंह जी ने जो बातें कहीं, मैं उनको बता दूं कि कार्य मंत्रणा समिति में इन सब बातों पर भी विचार किया गया था और खयाल यह था कि जो गन्ने का बिल है इसमें जब जनरल डिस्कशन होगा तो वे सब बातें भी उसके अन्दर आ सकती हैं जो १३ और १४ को भी आयेंगी। तो इस तरह से १०,११ और १३,१४ तक यह आपका डिस्कशन चल सकता है। जैसा आपने फरमाया कि लोक सभा में ढाई दिन दिया गया था और हम ५२ परसेन्ट पैदा करते हैं तो उसके हिसाब से मैथेमेटिकली सवा दिन बैठता है, उसकी जगह दो दिन रखे गए तो मैथेमेटिकली तो वह बात ठीक हो गई। केवल इतना प्रश्न है कि बजाय १३ के ११ को लें तो उसमें १३ को अगर लेते हैं तो एक कान्टीन्यूइटी उसमें रहेगी और उस कान्टीन्यूइटी से फायदा यह होगा कि आज १० से ले कर १४ तक वह बराबर चलता रहेगा, लेकिन अगर माननीय गेंदासिंह जी की राय ऐसी नहीं है तो फिर जैसी आप आज्ञा करें। उसमें एक दि कत और भी है कि सटरडे इसी ख्याल से लिया गया था कि शुक्र और शनिवार दोनों दिन कान्टीन्युअस बहस होती चली जायगी। जो मंशा माननीय गेंदासिंह जी की है उसकी पूर्ति इसी बिल के आने से भी होगी, क्योंकि उसमें भी यही सब बातें आयेंगी और १२ तारीख को सप्लीमेंटरी के जनरल डिवेट में भी सब बातें आजायेंगी। इस तरह १० तारीख को ४ बजे से ले कर १४ तारीख तक कन्टीन्यूअसली यही प्रश्न चल सकता है। लेकिन अगर फिर भी माननीय गेंदासिंह जी की जिद्द हो तो जैसा आप उचित समझें आज्ञा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गेंदासिंह जी, एक बात मैं निवेदन कर दूं। कुछ विभाग में यह भी था कि १४ तारीख को प्रश्न नहीं होंगे तो सारा ६ घंटे का समय इसके लिये मिल जायगा। और दिनों में तो प्रश्न और और बातें भी होती हैं। तो आप स्वयं इसको समझ लीजिये कि १४ तारीख को मैंने स्वयं सोचा था कि न प्रश्न होंगे न और कोई बातें होंगी, सारा दिन, पूरे ६ घंटे इसके लिये मिल जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं इसको स्वीकार कर लीजिये।

श्री गेंदासिंह---

ऐसा है, मैंने पहले भी निवेदन किया और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अजेंसी उसकी ऐसी है ....

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, तो अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं वोट लिये लेता हूं।

श्री गेंदासिंह---

अगर आपकी कृपा होगी तो समय वैसे भी कुछ बढ़ाया जा सकता है और कुछ समय और मिल जायगा, लेकिन यह जो बिल है इस बिल के लिये जो समय निर्धारित किया गया है, माननीय नवलकिशोर जी हमसे सहमत होंगे कि इतने कम समय में उस पर विचार नहीं हो सकेगा। बड़ा ही विवादास्पद बिल है।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, तो माननीय गेंदासिंह जी अपने संशोधन को वापस नहीं ले रहे हैं तो मैं पहले उन्हीं के संशोधन को सामने रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि जो कार्यक्रम समय का बटवारा, कार्यमंत्रणा समिति द्वारा हुआ है उसको स्वीकार न करके समिति का प्रतिवेदन समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, यह प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं? माननीय नवलकिशोर जी ने यह कहा था कि मुझे कोई खास एतराज नहीं है। तो माननीय नवलकिशोर जी से फिर पूछ लीजिये।

श्री नवलकिशोर---

मैं तो श्रीमन्, यह समझा कि माननीय गेंदासिंह जी को शिकायत यह है कि इस बिल के लिए समय कम है और असल में वह चाहते हैं कि इस बिल को पीछे हटा दिया जाय उस से मैं इत्तफाक नहीं करता हूं ....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर समय बढ़ा दिया जाय, उसमें आपको क्या ऐतराज है?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह कार्यक्रम कार्यमंत्रणा समिति को पुनर्निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

इसके लिये मैं लाबी में डिवीजन की मांग करता हूं। इसके लिये लाबी में डिवीजन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

इसकी आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर लाबी में डिवीजन हो।

प्रश्न यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१३४,

विपक्ष में---८३।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

मुझे, अध्यक्ष महोदय, आप से यह निवेदन करना है कि जो आपने १४ तारीख का सैटरडे लिया है वह बजट के समय में ही लिया जाता है। इस दिन सदस्यों के अलग-अलग इंगेजमेंट होते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस सैटरडे को इस से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद आपने प्रस्ताव किया है। कैसे इजाजत दी जाय ?

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३*

माल मंत्री (श्री हुकमसिंह विसेन)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान कर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय। यह विधेयक सब माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुसार यहां पर आया है। आशा है सब लोग इस विचार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं और उनको बधाई भी देता हूं, लेकिन हार्दिक बधाई तब देता जब कि पहली जुलाई, १९६३ के स्थान पर पहली जुलाई, १९६२ होता। उन्होंने यह स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में काश्तकारों के लगान में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये। यह मांग प्रारम्भ से ही सभी विरोधी दल रखते रहे हैं। हां, जिस समय यह कानून पास हुआ था उस समय एक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर सभी विरोधी दलों की यह मांग थी, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता। अन्त में विरोधी दलों की बात मान कर एक सद्कार्य सरकार ने किया। इसी

---

*९ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री शारदा भ तसिंह]

तरह की लगान बढ़ोतरी मध्य भारत में भी हुई थी और हमें और आपको पता है कि लगान बढ़ोतरी वापस की गयी और बढ़ा हुआ लगान वापस किया गया और यह भी निश्चय किया गया कि जो लगान काश्तकारों से वसूल कर लिया गया है ....

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रस्ताव पढ़ तो दें ।

श्री शारदाभ र्तासिंह---

मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जावे जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दें ।

जैसा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक यह लगान वापसी का सवाल है या इस विधेयक के निरसन का सवाल है,इसका हम या हमारे विरोधी दल के सभी सदस्य इसका स्वागत करते हैं, किन्तु हमको यह अनुभव हो रहा है कि हमारे माल मंत्री जी ने इसमें शायद थोड़ी सी कंजूसी कर ली है । संभव है यह उनकी आदत हो, वरना आप सर्वसम्मति से बधाई के पात्र होते । माननीय द्वारिका प्रसाद जी ने ऐसा कार्य किया है कि जिसका उदाहरण लेते हुये इस उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही निर्णलय लिया जाना चाहिये । जैसा कि हम और आप जानते हैं, जहांतक काश्तकारों की आर्थिक दशा का सवाल है, वह शोचनीय है और जो योजना काल मध्य मूल्यांकन किया गया है उसमें यह बात देखी गयी है कि जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है आशातीत उन्नति हमने नहीं की है और इस सम्बन्ध में सभी विद्वान एक प्रकार की उदासीनता और अफसोस जाहिर कर रहे हैं । देश के सबसे बड़े दल कांग्रेस और शासन की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिये और जैसा कि, जिस समय यह विधेयक लाया गया था उस समय भी हमने कहा था कि, काश्तकारों के साधन अगर नहीं बढ़ते उनके द्वारा काश्तकारी के साधनों में अधिक पैसा खर्च नहीं किया जाता तो कृषि उत्पादन बढ़ाना कठिन हो जायगा । वही बात आज सत्य सिद्ध हो रही है । सरकार की ओर से बराबर काश्तकारों पर लगान बढ़ाने की बात कही गयी और वह बढ़ा हुआ लगान पिछले साल वसूल भी किया गया, और उसका फल हमारे कृषि उत्पादन पर पड़ा रहा है । मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से एक ही बात कही गयी थी कि खाद्यान्न का मूल्य बढ़ रहा है और इसलिये काश्तकारों को उसमें मुनाफा भी अधिक हुआ है,लेकिन यह बिलकुल सत्य बात है कि उनको जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य देना पड़ रहा है और इसलिये उनके पास कोई धन नहीं बचता । जहां तक उत्तर प्रदेश के काश्तकारों का सवाल है, हम इस बात को जानते हैं कि उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है । उनके साधन कम हैं और इसलिये काश्तकारों को उत्पादन बढ़ाने के लिये उनकी जो आवश्यकतायें हैं वह पूरी नहीं हो रही हैं और इसका खमियाजा सारा देश और प्रदेश भुगत रहा है । ऐसी स्थिति में जब सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह अधिभार निरसन कर लिया जाय और इसे काश्तकारों पर नहीं डालना चाहिये ताकि कृषि उत्पादन वह बढ़ा सकें और अपने लिये साधन जुटा सकें । तो साथ ही साथ यह भी न्यायसंगत होगा कि जो धन पिछले दिनों हमने उनसे जबरदस्ती वसूल कर लिया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है और माल मंत्री जी ने अपनी आज्ञानुसार शासन द्वारा उन से वह धन वसूल करवा लिया है, उसे हम वापस कर दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यही हमारी आपत्ति है । मैं यह बिलकुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ की तरफ से और अन्य दलों की तरफ से बराबर यह बात कही गयी कि काश्तकारों का लगान जो इस समय था वही बहुत अधिक था, उसे आधा किया जाय । मुझे आशा है जिस प्रकार आपने इस कानून को वापस लिया, समय आपको आधा लगान करने के लिये भी मजबूर करेगा । जब आप काश्तकारों को राहत देंगे, तभी आपका कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ज

कृषि उत्पादन बढ़ेगा तभी देश खुशहाल होगा। भूतकाल के आंकड़े बताते हैं कि जब-जब कृषि उत्पादन बढ़ा है अन्य चीजों की कीमतें कम हुई हैं, महंगाई कम हुई है। जब कृषि उत्पादन कम होगा तो अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वद्धि होगी। कृषि के लिये जो साधन जुटाने चाहिये हम वे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों से जो धन वसूल कर लिया गया है, मध्य प्रदेश की तरह, या तो उसे वापस किया जाय या जो लगान उनसे वसूल होने वाला है उसमें उसे मुजरा कर दिया जाय ताकि काश्तकारों को कुछ राहत मिले और देश खुशहाल हो। जब देश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा, तभी आप अन्य समस्याओं को भी हल कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं, आशा है सरकार उसे स्वीकार करेगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सा विधेयक था, और मेरी मंशा भी इस पर बोलने की नहीं थी, मगर मुझे एक अजीब परेशानी हुई जब मैंने नेता विरोधी दलका भाषण सुना और उनके प्रस्ताव को देखा। उन्होंने एक शब्द भी अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नहीं कहा कि उसको क्यों प्रवर समिति में जाना चाहिये, किन्तु एक आदत सी पड़ गयी है कि बिना बिल को देखे हुये, बिना पढ़े हुये प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव कर दिया जाता है भले ही उसका खामियाजा गलत पड़ता हो। वही बात है जैसा कि माननीय राममूर्ति जी कह रहे हैं 'खत लिखेंगे चाहे मजमून कुछ न हो'। नेता विरोधी दल इसको १५ दिन के लिये प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। इसका मतलब होगा यह बिल बजट सेशन में न आ सकेगा। तो फिर इस बिल की अरजेन्सी ही आप कुछ नहीं समझते।

यह कहा गया कि सरकार ने अपोजीशन की बात को मानकर यह बिल वापस लिया। अगर उनको यह कहने में कुछ संतोष हो तो मुझे आपत्ति नहीं है, मगर मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसका बड़ा विरोध किया तब वापस हुआ, वरना आप तो पहले ही बहुत कुछ कर चुके थे, कुछ हुआ नहीं था। इसके लिये तो आपको कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहिये और इस कार्य का श्रेय उसको देना चाहिये।

आपने फरमाया कि जो लगान वसूल किया गया, वह जबरदस्ती वसूल किया गया। तो वह तो आपने जो कानून पास किया उसी के अनुसार वसूल हुआ।

एक बात कही गयी कि मध्य प्रदेश की तरह यहां भी उसे वापस कर दिया जाय, उसमें हम साथ देने वाले नहीं हैं।

एक बात कह दूं और वह यह कि चूंकि यह इमर्जेन्सी के लिये था और एक साल के लिये था इसलिये सरकार ने ऐसा करके अपने मारेल कमिटमेंट को पूरा किया है। इन शब्दों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस वक्त यह बिल पास किया गया था उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर सभी अन्यान्य विरोधी पार्टियों ने विशेष कर हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था, लेकिन हमारे नवल किशोर जी अब यह कहते हैंकि इस बिल को वापस करने में बहुत से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का भी हाथ है। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि यह हाउस की भावना नहीं है कि यह बिल पास हो। आपने जबरदस्ती इस बिल को पास कराया। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, आपने गल्ती को मान तो लिया। श्रीमन् मैं आपके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सरकार और उनकी पार्टी को सद्बुद्धी दे और जो बात हम लोग सही कहें उसको सोचें, समझें और मनन करें। उनको बुद्धि आये कि जो हमेशा संख्यासुर के बल पर

[श्री उमाशंकर तिवारी]

जो गलत काम करते रहते हैं वह न करें। मैं चाहता हूं इस बिल में यह तरमीम कर दी जायें कि इस बिल के विरोध में जो बहुत से सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य निकाल दिये गये थे उनका जो वेतन वगैरह काटा गया था उसको लौटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह कहना शोभा नहीं देता।

श्री उमाशंकर तिवारी—

साथ ही इसमें एक तरमीम और कर दी जाय कि सोशलिस्ट पार्टी की जो नीति यह है कि अलाभकर जोतों से जो लगान लिया जाता है उसके माफ करने के लिये इसमें एक धारा लगा दी जाय। वह सही चीज होगी। किसानों को तब तक राहत मिल नहीं सकती जब तक सोशलिस्ट पार्टी द्वारा किसानों के लाभ के लिये बताई गई नीति को सरकार स्वीकार नहीं कर लेती। योजनायें तो आपकी कागज पर चलती रहेंगी और अगर आप उनको चलाते जायेंगे तो भी किसान जो इस देश और प्रदेश की रीढ़ है उसका उत्थान कभी नहीं हो सकता। मैं आपके द्वारा कांग्रेस सरकार से निवेदन करूंगा कि वह सोशलिस्ट पार्टी की नीतियों को मानकर अलाभकर जोतों पर मालगुजारी न लगाये और जो लगान लिया गया है वह वापस कर दे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बुजुर्गवार माल मंत्री जी को और सरकार को भी इस कदम को उठाने के लिये। यह मैं धन्यवाद इसलिये दे रहा हूं कि सरकार तो ताकतवर है। अगर वह नहीं मानती तो हम लोग झगड़े करते रहते हैं और यह सरकार की जेब से पैसा निकालते रहते हैं।

एक सदस्य—

यह सही बात आपने कही। ईमानदारी की बात यही है।

श्री गेंदासिंह—

मैं तो हमेशा ईमानदारी की बात कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब वह आपको सूट नहीं करती तब आप गड़बड़ी करने लगते हैं।

नेता विरोधी दल, शारदाभक्त सिंह जी ने कहा कि जो पुराना कर एक साल का आपने वसूल कर लिया है अगर आप उसको वापस कर सकें तो बहुत उत्तम बात होगी। आपने पैसा उसकी जेब से निकालना शुरू किया और कुछ देर में आपकी बात समझ में आयी कि किसान की जेब में से पैसा निकालना वाजिब नहीं है जुर्म है। ताकतवर को हमेशा समझाना चाहिये कि गरीब की मदद करे और बेजा गरीब को न सतावे और यह आपने मान लिया तो उसके लिये हम धन्यवाद दिये बिना आप को रह नहीं सकते।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जरा गम्भीर हो और इस प्रश्न पर सोचे कि किसानों की आर्थिक स्थिति पिछले १५ वर्षों में अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में बिगड़ी है, उनकी उपज कम हुई है और उनको अपने उपज की कीमत कम मिलने लगी है। उनके ऊपर बोझ भी बढ़ रहा है। तीन बातों को एक साथ देखने के बाद, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सचमुच किसानों के बल पर चलने वाली सरकार है, को दस मरतबे सोचना चाहिये कि आखिर जो इस प्रदेश की स्थिति बिगड़ रही है उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। मैं इस अवसर पर आपको ध्यान दिलाता हूं कि अगर प्रजातंत्र को इस देश में जीवित रहना है

तो वह खेत जोतने वालों के बल पर रहता है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती रही जैसा बिगड़ती चली आ रही है तो मुझे खतरा दिखाई देता है। सरकार उस स्थिति को देखे और ठंढे दिल से सोचे कि किस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है उसको रोका जाय कैसे उसकी उपज बढ़े और कैसे उस पर व्यर्थ का बोझ न बढ़ने पावे। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको सोचे बिना देश का कल्याण सम्भव नहीं है।

श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली जुलाई, १९६२ से वह निरसन माना जाय, मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे मान कर हम लोगों को हार्दिक बधाई के पात्र होंगे।

श्री हुकमसिंह विसेन---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस भी है और ताज्जुब भी है, कि अगर कोई सारधाण आदमी इस प्रस्ताव को लाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन नेता विरोधी दल, जिन्हें मैं बहुत योग्य समझता हूं और समझदार भी मानता हूं, उनकी ओर से यह प्रस्ताव आया है, तो मैं यही नतीजा निकालता हूं कि यह रसमन् है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने एक बात भी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं कही। यदि उनके प्रस्ताव को हम मान लें तो १५ दिन में रिपोर्ट आवेगी प्रवर समिति की। २४ तारीख तक यह सदन बैठेगा, जैसा कि मौजूदा प्रोग्राम है, तो इस सेशन में यह बिल पास नहीं होगा। उसके बाद बजट सेशन आवेगा जिसमें बिलों के लिये कम गुंजाइश होती है। इसके मायने यह हैं कि ३, ४ महीने बाद यह बिल पास होगा। हमारे मित्र ने बहुत ही सख्त भाषा इस्तेमाल की कि अत्याचार के जरिये से हम वसूल कर रहे हैं। वह इस सदन का फैसला था जिसकी इज्जत करना इस सरकार का कर्तव्य है और सदन के फैसले को सरकार पूरी तरह से अमल में लावेगी। लिहाजा ये नुमाइशी जो जन-सेवक हैं, यह उन्हीं की भावना है कि देर कर दो, ताकि किसानों पर लगान लगता रहे और यहां कह दो कि लगान अबालिश करो, लगान अबालिश करो। मैं इन नुमाइशी जन-सेवकों से हमेशा सतर्क रहता हूं। बाना दुश्मन अच्छा, नादान दोस्त बुरा। यह कहावत यहां लागू होती है। अगर आप उनके दोस्त हैं तो इस विधेयक को तुरन्त पास कीजिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे। हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने बधाई दी, लेकिन उसे क्वालिफाई कर दिया मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसी बधाई देने से तो न देना अच्छा है। मैंने बहुत बधाइयां पायीं हैं और गालियां भी सुनी हैं। हमें काफी जमाना हो चुका है। यह संशोधन बिलकुल बेकार है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं अपना संशोधन नहीं रखूंगा।

खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३

उ० प्र० अधिनियम संख्या २७, १९६२

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम १९६२ का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २७, १९६२ का निरसन

२—उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२, १ जुलाई, १९६३ से निरस्त होगा व किया गया समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक, के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह जिसेन—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(अपराह्न १२ बज कर ५६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होशीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—राजस्व से पूरे किये गये सिंचाई के निर्माण कार्य—अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से पूरे किये गये सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ६,४६,६३४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय के अन्तर्गत ७,६०,२६४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०–राजस्व से पूरे किये गये सिंचाई के निर्माणकार्य के अन्तर्गत ६,४६ ६३५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११–सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय के अन्तर्गत ७,६०,२६४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री बंशीधर पांडेय —

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४–आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय के अन्तर्गत १२,२१४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध करने का कारण यह है कि बजटिंग का प्रिन्सिपिल और विधायन के कार्य को अगर देखा जाय तो यह बात सही है कि उसमें एक्सेस ग्रान्ट के एप्रूवल के लिये पद्धति की व्यवस्था की गयी है, लेकिन श्रीमन्, नियम चाहे जो बनाये गये हों, देखा यह जाता है कि यह सरकार कोई सुनियोजित बजट पेश नहीं करती है। उसका अन्दाजा अगर ठीक होता तो एक्सेस ग्रान्ट पेश करने की नौबत ही न आती, लेकिन यह जो ग्रान्ट पेश की जाती है वह इसलिये कि आप ने जिला प्रशासन पर ज्यादा खर्च किया है, कमिश्नर को प्रशासन के के ऊपर आप ने खर्च किया है, लेकिन उस खर्च को करने के लिये जो नीति निर्धारित हुई है या जो उसका स्वरूप पाया जाता है, उस स्वरूप से प्रदेश में बहुत असन्तोष पैदा हुआ है। आज जिस समय वित्तमंत्री जी इस बजट को पेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वित्त मंत्री जी के सामने इस प्रदेश की एक रूपरेखा होती है, जब कोई मंत्री अपनी ग्रान्ट पेश करता है तो समझा जाता है कि प्रदेश या विभाग की एफीशियेंसी को बढ़ाने के लिये यह मन्तव्य रखा गया है, लेकिन हमारे सामने उदाहरण हैं जिनके बिना पर मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार या सदन को इस प्रकार की एक्सेस ग्रान्ट को मंजूर नहीं करना चाहिये। मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह मेरे पास कुछ बहीखाते मौजूद हैं, उन में अगर देखा जाय तो कितनी चोरी की गई है, वह चोरी किस चीज की की गई है, वह टैक्सेज की चोरी है, बही खातों को छिपाया गया है और बड़े बड़े व्यापारियों को टैक्सेज से बचाया गया है और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का इसमें हाथ है, मैं आप के सामने आंकड़े पेश करूंगा जो इस बही खातेमें दिये हुये हैं।

हमारा एक एक्साइज विभाग है, उसका कर्त्तव्य है कि जो भी विभिन्न तरीकों से स्मगलिंग होती है और जो स्मगलर्स हैं उनको रोके और सही तरीके के उनको कानून के हवाले करे, लेकिन आज हमारे विभाग के लोग उसमें भाग लेते हैं और हिस्सा लेते हैं, गांजे का तस्कर व्यापार करते हैं, इससे हमें तकलीफ होती है और ताज्जुब होता है। एक तरफ तो सरकार की आय में कमी होती है और उसमें स्वयं सरकारी अफसर हाथ बटाते हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथ बटाते हैं।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

यह सन् १९६२ की रोकड़ बही सदन के सामने पेश है, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि मैंने माननीय गृह मंत्री जी को ऐसे तथ्य दिये हैं और जिसकी वह हाई लेविल इन्क्वायरी चला रहे हैं।

एक बार जब एक्साइज अफसर और पुलिस अफसरों को पावर दिये जाने का कानून चल रहा था और जब डाक्टर सीताराम जी ने संशोधन पेश किया था तो मैंने कहा था कि हाई पावर मूडीशियल इन्क्वायरी की जाय कि किस तरह से अन्तर प्रादेशिक गिरोह स्मगलिंग का काम कर रहा है और मैंने यह चैलेंज उस वक्त किया था कि अगर कमीशन नियुक्त हो तो मैं उसके सामने साबित करूंगा कि किस तरह से स्मगलिंग होता है। मंत्री जी ने उस वक्त मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। आज मैं पुनः सदन में इस केस को रखता हूं और सारे रिकार्ड्स मैं गृह मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं और वह देखें कि किस तरह से आज उनका प्रशासन चल रहा है और किस तरह से उनके अधिकारी और अफसर काम कर रहे हैं। यह मेरे पास गोरखपुर जिले का एक मामला है, इसमें बम्बई तक के गांजे के दुकानदारों का नाम खाते में दर्ज है, एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं उनका नाम 'साहब' के नाम से दर्ज है। यह खाता है बाद में नोट किये हैं कि गांजे को "गंगा सागर" कहते हैं। मेरे पास एक वहां के व्यापारी हैं वह मेरे कहने से विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि इन खातों और किताब के साथ में उनको माननीय गृह मंत्री जी के सामने पेश करूं ताकि वह जांच और इन्क्वायरी करायें। इसमें कांग्रेस के उच्च नेता और बड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं उनको दंड दिया जाय। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार की, प्रदेश की और इस सदन की इज्जत में फर्क पड़ जायगा। इसमें १-५-६२ का एक आइटम दिया है, इसमें १ मन १५ सेर गांजा ३० रुपए की दर से साहब के नाम लिखा है जिसका टोटल १,६५० रु० होता है। १-५-६२ का रेकार्ड है। १-६-६२ को २,२५७ रु० ८ आना "साहब के खाते नाम" लिखा हुआ है। १०-६-६२ को १,१०० रु० एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम लिखा हुआ है जो साहब के नाम से लिया गया। ३०० रु० साहब को सदन और मंगल मुन्शी के मारफत। १३-८-६२ को २,००० रु०, १,००० रु० रामचन्द्र और १,००० रु० बेचू राम के नाम से लिया गया। अगर टोटल किया जाय तो करीब डेढ़ लाख का यह खाता है स्मगलिंग का, यह असली खाता है, इसका रोजनामचा है। दोनों खाते में मेरे पास हैं। गोरखपुर से गांजा ले कर बम्बई तक पहुंचाया जाता है, जिसमें एक्साइज के सारे अफसरों के नाम हैं, और कांग्रेस के नेताओं के नाम भी हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, क्योंकि वह सदन में मौजूद नहीं हैं, अतः मैं चाहता हूं इसकी हाई ग्रेड जुडिशियल इन्क्वायरी की जाय। माननीय गृह मंत्री जी को ऐसी बातों में दिलचस्पी है इसलिये मैं उनको भेज दूंगा यह खाता। सेल्स टैक्स की अलग चोरी होती है और जुर्म अलग किया जाता है। अब अगर ऐसे जिला प्रशासन के लिये सरकार ऐसेस ग्रांट मांगे तो कैसे हम स्वीकार करें। मैं विरोध इसलिये कर रहा हूं कि प्रदेश आज कहां जा रहा है। आज माननीय गुलजारी लाल नंदा ने एलान किया कि मैं करप्शन दूर करूंगा नहीं तो त्याग पत्र दे दूंगा, ऐसे ही यहां के मंत्रियों को अपने विभाग से करप्शन दूर करने का बीड़ा उठाना चाहिये। हमारे यहां सेक्रेटेरियट में ऐसे पत्र जो जनता की जिन्दगी से ताल्लुक रखते हैं पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, मुख्य मंत्री ने हुक्म दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। चीफ़ सेक्रेटरी तक मुख्य मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं करता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। अतः सरकार अगर स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा स्थापित करना चाहती है, कि समाजवाद की रचना हो तो जैसा नंदा जी ने कहा कि अगर करप्शन दुर नहीं कर पाया तो राजनीति से सन्यास ले लूंगा, आप भी ऐसा ही कहें और प्रयास करें। अगर आपने अपने अधिकारियों को ठीक नहीं किया तो आपको भी कहना चाहिये जो माननीय नन्दा जी ने कहा है। आप श्रीमन्, जानते हैं कि मेरे खिलाफ़ झूठा प्रचार किया जाता है, परचे बांटे जाते हैं, वह मामला भी प्रिविलेज कमेटी में आपके सामने आया था, मैं प्रश्न करता हूं, लोग कहते हैं, कि मैं सदन में मौजूद नहीं था। आज वही पार्टी जो बाहर है मुझे मारने की कोशिश कर रही है। दो, दो रिवाल्वर लेकर लोग मुझे मारने के प्रयास में हैं, मैं जब इन बहीखातों को लेकर चला गोरख-

पुर से। मैंने अपना ट्रेन टाइमिंग नहीं बताया था। मैंने गृह मंत्री जी को भेज दिया है। आज भी जो हमारे सामने आये हैं उनको भी मैं गृह मंत्री के पास पहुंचा दे रहा हूं। लोग २-२ रिवाल्वर ले कर घूमते हैं मेरी हत्या करने के लिए। ऐसे सदस्य की हत्या की जाय जो सही चीजों को सही कहते हैं और चाहते हैं कि स्वस्थ तरीके से शासन चले और गंदे लोगों को शासन से बाहर निकालें। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मसला है। मैं ने तो अपनी जिन्दगी को देश-सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि ब्लैकमार्केटिंग करने वाले बड़े-बड़े लोग हैं, क्योंकि मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि मेरा जीवन देश से ऊंचा नहीं है और मैं एलान करना चाहता हूं कि उधर के लोग भी समझें कि मेरा जीवन देश के लिये है। अगर आप को भी देश की मोहब्बत है तो इन रैकेटियर्स के खिलाफ कारवाई करें और जो आज मैं प्रमाण दे रहा हूं उसके लिये एक जुडिशियल एन्क्वायरी बैठायें या सी० आई० डी० के सबसे बड़े अधिकारी को नियुक्त करें, ताकि सही तरीके से इसकी जांच हो सके और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके।

मैं इन सब्दों के साथ इस ग्रान्ट का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, यह एक बहुत थोड़ा सा अतिरिक्त व्यय है और सन् १९५९-६० से सम्बद्ध है। इधर हाल का है भी नहीं और हमारे पांडे जी ने जो सवाल उठाया वह एक साधारण सी चर्चा हो गयी, सारे प्रशासन की। कुछ उन्होंने बही खाते भी दिखाये और कुछ बातें भी कहीं। मैं समझता हूं कि उनका कहना ठीक ही है। अतः इन कागजात के सम्बन्ध में जो शिकायत हो वह माननीय मुख्य मन्त्री जी या माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्हें वे मुनासिब समझें, भेज दें, अवश्य ही जांच पड़ताल की जायगी। अपने जीवन के बारे में भी उन्होंने ख़तरे की बात बतायी है, यह एक चिन्ताजनक बात है और इसकी सूचना भी अवश्य गृह मंत्री जी को दे दें। इनके जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए।

जहां तक सिक्योरिटी की बात है कैनेडी के बचाने की बहुत एहतियात की गयी थी, किन्तु.....। मैंने कहीं पढ़ा है कि सिक्योरिटी फोर्स पर ३०० आदमी थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। और जहां वह खाना खाते थे या जहां वे बाल डान्स में जाया करते थे वहां पर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी वैसे ही कपड़े पहन कर जाया करते थे तो यह बात ऐसी है कि कितनी ही एहतियात बरती जाय बहरहाल उसकी सूचना आप को दे देनी चाहिए। जहां तक ग्रान्ट का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, और मैं माननीय पांडेय जी से भी विशेषरूप से यह ग्रान्ट १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त मांग है केवल १२,२१४ रुपये की। प्रशासन की करोड़ों रुपये की ग्रान्ट आप स्वीकार करते हैं। यह तो एक छोटी सी ग्रान्ट है और जिसमें रिकार्ड आफिस में कुछ रिकार्ड कीपर्स की तनख्वाहों के बारे में है, जिसकी वजह से १२,२१४ रुपये का अतिरिक्त खर्च हो गया। वैसे तो यह अनुचित बात मैं मानता हूं और जो ग्रान्ट मंजूर हो चुकी हो लेजिस्लेचर से और जितना पैसा विधान सभा दे चुकी है किसी कारण से भी उसमें किसी प्रकार का एक्सेस नहीं होना चाहिये। यह नामुनासिब बात है। ऐसा होना नहीं चाहिये और विभागों को और वित्त विभाग को मुख्य रूप से इस सम्बन्ध में एहतियात बरतनी चाहिए। वास्तव में ऐसे खर्चों का कुछ दिनों के बाद पता चलता है जब वह पी० ए० सी० के सामने आते हैं और अगर अनुचित एक्सेस हुई है तो बहुत लानत मलामत करती है और अगर देखते हैं कि साधारण तरीके से कुछ हो गया है तो यह सिफारिश कर देते हैं कि लेजिस्लेचर में पास करके उनकी स्वीकृति ले ली जाय। उनकी सिफारिश से यह आ गया है। थोड़ा सा अनुदान है, मैं समझता हूं कि सदन उसे स्वीकार करेगा। जो करप्शन की बातें हैं वे गंभीर बातें हैं उनको वह सरकार को सूचना दें। ठीक से उनकी पड़ताल होनी चाहिये और मुझे आशा है कि उनकी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय के अन्तर्गत १२,२१४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८—पुलिस

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—पुलिस के अन्तर्गत १,७५,५९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रान्ट पेश की जा रही है हर सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अतिरिक्त अनुदान पेश करे और सदन में उन्हें लाये और विचार करने के पश्चात् हम उनको पास करें, लेकिन पुलिस के महकमे पर यहां काफी लम्बी बहस हो चुकी है और जो रुपया सरकार उसके लिये मंजूर कराती है उसे वह किसी अच्छे काम में लगाये, सुधार में लगाये तो हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं साफ साफ यह कहूंगा कि ब्रिटिश राज्य के बाद भी पंत जी संपूर्णानन्द जी, गुप्ता जी और सुचेता जी के सामने तक हमको पुलिस में कोई अन्तर नजर नहीं आ रहा है। चोरी, डकैती, कत्ल, भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक हत्याओं की बात रोज चल रही है। हमारे जिले में भी पुलिस कप्तान और अधिकांश थानेदार मिल कर भरतपुर और राजस्थान के बार्डर पर गुड़ के तस्कर व्यापार में १ लाख रुपया रोज पैदा कर रहे हैं। उसके लिये फिर यह अनुदान मंजूर किया जाय और गृह मंत्री कोई कदम न उठायें तो इससे ज्यादा खेद की बात और क्या होगी ? अगर गृह मंत्री विश्वास दिलायें कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वह कदम उठायेंगे, उनको सर्विसेज से निकाला जायगा, अहितयात बरता जायगा और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी तो इससे बड़ा भी अनुदान वह ले आयें तब भी हमको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया सही काम में इस्तेमाल न होकर भ्रष्टाचार को बढ़ाने में इस्तेमाल हो तब हमको बड़ा दुख होता है। अगर रोकथाम नहीं की जाती है तो फिर कितना भी रुपया जो जनता की गाढ़ी कमाई का है पुलिस पर व्यय किया जाय वह व्यर्थ हो जाता है। लिहाजा गृह मंत्री जी के इस आश्वासन के उपरान्त ही कि जो तस्कर व्यापार गुड़ में हमारे जिले में हो रहा है उसे रोका जायगा और पुलिस में जो भ्रष्टाचार है उसकी रोकथाम की जायगी तब मैं यह सोचूंगा कि इसे पास किया जाय या न किया जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, अनुदान संख्या १८ जो पुलिस विभाग से संबंधित है इसमें १,७५,५९२ रुपये सदन ने जो बजट मंजूर किया था उससे अधिक खर्च हुए १९५९–६० में। यह अधिक खर्चा किस बात पर हुआ ? मान्यवर, अगर आपके हाथ में अतिरिक्त अनुदानों वाली लिस्ट हो तो आप देखेंगे कि कुछ पद रिक्त रह गये थे उनको भरा गया इसलिये यह अधिक खर्चा हुआ। बड़ी हैरानी होती है। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे वित्त विभाग से इस बात को जानने की चेष्टा करें कि आखिर इस प्रदेश में होने वाला क्या है। अनेकानेक इस तरह की गड़बड़ियां हमको देखने को मिलती हैं। बजट मैनुअल बना हुआ है, फाइनेन्शल हैन्डबुक बनी हुई है। उसमें सीमायें निर्धारित की गयी हैं कि कितना अधिक और कितना कम धन आप खर्च कर सकते हैं। उन नियमों का आज रत्ती भर भी पालन नहीं किया जा रहा है और उसी का कारण है कि ऐसी प्रथायें, जिनको कम से कम हमारे जैसे प्रदेश में कदापि प्रश्रय नहीं मिलना चाहिये, बढ़ रही हैं। यही नहीं कि व्यय अधिक हो रहा है, इस प्रदेश में एक नया काम भी हो रहा है।

आज से कुछ दिन पहले एक कमेटी के सिलसिले में मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहां के अधिकारियों को यह भी साहस होता है कि सदन जिन बातों के लिये पैसा नहीं भी मंजूर करता है वह भी खर्चा वे कर डालते हैं। यह फाइनेन्स का सीरियस अपराध है। चाहे वह अन-आथोराइज्ड एक्सपंडीचर की बात हो, चाहे एक्सेस ग्रांट की बात हो, यह भयंकर अपराध है। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान वित्त मंत्री जी ऐसे भयंकर अपराधों को नहीं होने देंगे। इसके पहले जो ग्रांट पेश की गयी थी उस संबंध में उन्होंने अपने बिचार व्यक्त करते हुए कहा था कि बहुत थोड़े पैसे की बात है। थोड़े पैसे और ज्यादा पैसे की बात नहीं है, बात है प्रिन्सिपिल की। बजटेड एकोनामी में होता यह चाहिये कि जितना पैसा हम दें उससे कम भी खर्च न हो और ज्यादा भी खर्च न हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको यह मानकर चलना चाहिये कि हम जो बजट बनाते हैं उसका अधिकारी तनिक भी ध्यान नहीं रखते। आप बताइये कि ये पद भरे नहीं गये। आखिर इन पदों की स्वीकृति ली गयी होगी, बजट में उसकी व्यवस्था होगी . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें यह है कि रिक्त पड़े हुए थे।

श्री रामायणराय—

पदों का सृजन तो हुआ होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें कहां पर लिखा है ?

श्री रामायणराय—

इसमें लिखा है कि रिक्त पड़े हुए पदों के कारण यह व्यय अधिक हुआ। जब पदों का सृजन होता है तो उसका प्राविजन बजट में होता है। गमनागमन में हमारी पुलिस ऐसी व्यस्त हो गयी, पुलिस रानी का काम बहुत बढ़ गया और यह खर्च उसकी वजह से बढ़ गया। बात कुछ साफ नहीं हुई। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी स्वयं साफ कर दें। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि मुख्यतः शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के बढ़े हुए गमनागमन तथा परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रिक्त पढ़े हुए पदों के भरे जाने के कारण यह व्ययाधिक हुआ। गमनागमन और रिक्त पड़े हुए पद, इन दोनों में क्या सामंजस्य है, भाषा का मैं उतना पंडित नहीं हूं, लेकिन मुझे साफ विरोधाभास मालूम होता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कुछ पद थे जो रिक्त थे तो उनके लिये विधिवत् बजट में व्यवस्था हुई होगी और छोटी-छोटी रकमों का अंतिम परिणाम यह होता है कि कुछ महीनों के बाद मंत्री जी १० करोड़ और १५ करोड़ रुपये घाटे का बजट प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने रुपये के घाटे का बजट पेश कर रहे हैं और संभव है कि आगे चल कर जनता को अतिरिक्त कर के भार से लादना पड़े। मान्यवर, छोटी-छोटी रकमों का आगे चलकर आकार बहुत बड़ा हो जाता है।

मान्यवर, इतनी बात कहने के बाद मैं इस विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जाती तौर पर मैं उन लोगों में से हूं जिनकी यह राय बन गई है कि मौजूदा पुलिस डिपार्टमेन्ट पर एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। इतना निकम्मा डिपार्टमेन्ट और कोई नहीं होगा। इसका एक मात्र काम है विद्यार्थियों पर लाठी चलाना तथा भले आदमियों के कत्ल में मदद करना, अभी हमारे जिले में पुलिस का एक सिपाही डकैतों के साथ पकड़ा गया। मैंने सोचा था कि दीवाली को चलकर घर पर त्योहार मनाऊं। दीवाली की रात को थाने की बगल में निर्मम हत्या हुई। लेकिन थाने की पुलिस आठ बजे तक तशरीफ नहीं लाई। घटना थाने से एक मील दूर पर हुई, मैं स्वयं वहां गया था। पिछले छः साल पहले दूसरी स्थिति थी, लेकिन आज हालत यह है कि कोई भी आदमी शाम होने के बाद डाकुओं और चारों के भय से घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता है। इसके साथ ही साथ बैलों की चोरी भी शुरू

[श्री रामायण राय]

हो गई है। हमारे जिले में घमन्डी सिंह पुलिस कप्तान थे उनके प्रयास से यह खत्म हो गई थी, लेकिन अब फिर शुरू हो गई है। (व्यवधान) मेरी कांस्टीटुएन्सी में हो रही है। मैंने पता लगाया कि गृह मंत्री जी कहां हैं तो मालूम हुआ कि किसी उद्घाटन में गये हैं। मैं यह जानता हूं कि चाहे वह वाराणसी हो चाहे देवरिया हो यदि पंडित जी स्वयं अपने हृदय से पूछेंगे तो उनका हृदय गवाही देगा कि जो मैं सदन के सामने कह रहा हूं वह अक्षरशः सत्य है। आज पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने यह व्यवस्था कर दी है कि हर एक घटना की रिपोर्ट लिखी जाय, इसलिये जरायम बढ़ गये हैं। लेकिन आज जितनी चोरी डकैती होती है उनका १० प्रतिशत भी जिक्र नहीं किया जाता है। हमारे थाने का कांस्टेबिल भी गोली से उड़ा दिया गया। (माननीय कृष्णानन्द राय जी के बोलने पर) मैं नहीं समझता कि जब मैं बोल रहा हूं तो यह किस आधार पर बोल रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम १९६ में लिखा है कि "The debate on the supplementary Grants shall be confined to its items and no discussion shall be raised on the original grants nor on the policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion." पालिसी के ऊपर डिस्कशन जनरल डेट में हो सकता है।

श्री रामायण राय—

यह एक्सेस ग्रांट है। सप्लीमेन्टरी नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

१९५ में सप्लीमेन्टरी और ऐडीशनल ग्रान्ट के लिये एक ही प्रोसीजर दिया हुआ है।

श्री रामायण राय—

मैं पालिसी पर बहस नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात है कि आपने हां दो घंटे रखे हैं। तो जरा सी जल्दी कर दीजिये।

श्री रामायण राय—

बहुत जल्दी करने जा रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर यह सचमुच चाहते हैं कि हम ग्रांट मंजूर करें—हैरानी यह है कि गृहमंत्री इस वक्त पता नहीं किस काम से गये हुए हैं। अगर पुलिस मंत्री जी यह समझते हैं कि इस तरह की मांग करने का कोई भी जस्टीफिकेशन हो सकता है तो मेरी समझ में माननीय लाल बहादुर शास्त्री की तरह से उनको भी तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सुबह क्या हुआ? जो वाक आउट हुआ उसके पीछे कोई राजनीतिक हथकन्डा नहीं था। यही बात है कि समूचे प्रदेश में चाहे राजनीतिक कार्यकर्त्ता हों या साधारण किसान हों प्रत्येक आदमी का जीवन संकटापन्न है। ऐसी स्थिति में पुलिस पर एक पैसा भी खर्च करने से सदन की शोभा नहीं बढ़ेगी, बल्कि घटेगी। इसलिये मैं इस ग्रांट का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दे दिया, लेकिन मेरी सफाई तो पहले हमारे मित्र रामायण राय जी ने कर दी। उनकी राय से ही मैं सहमत हूं। या तो हमसे ही स्वीकृति लें या तस्कर व्यापारी डाकू—चोरों से ले लें। आखिर पुलिस

का जुल्म बढ़ क्यों रहा है? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके कारण पुलिस विभाग के मंत्री हैं। मेरे जमाने में माननीय रफी अहमद यहां पुलिस मंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। माननीय कमलापति त्रिपाठी पुलिस मंत्री रहे और चौधरी चरणसिंह पुलिस मंत्री रहे। आज माननीय हरगोविन्द सिंह जी हैं क्या कारण है कि यहां जो सच्ची बात होती है पुलिस के संबंध में, और माननीय मंत्री जी समर्थन करते हैं पुलिस को बढ़ावा देते हैं, उधर पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी बैठे होते हैं तो वह तार का बेतार होकर कांस्टेबिलों के कान में थानेदारों के कान में जाती है और वह मस्त हो जाते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है—पुलिस मुख्यतः शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस डिपार्टमेन्ट बढ़े हुए गमनागमन तथा परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रिक्त पड़े हुए पदों के भरे जाने के कारण व्यवस्था है। क्या-क्या लिख दिया? उपाध्यक्ष जी, एक दो मिनट और लूंगा। (व्यवधान) अच्छा एक ही मिनट और। तो क्या कारण है इसका? मैं यह कोई शेखी की बात नहीं कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार जरा भी हमारे और अपने मान की रक्षा करना चाहती है तो देखे जाकर पंजाब की पुलिस को। पंजाब की पुलिस को देख ले, कहीं दूर जाकर खोजने की जरूरत नहीं है। यहां की पुलिस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है और हम पंजाब की सीमा के विधायक बनकर यहां आये हैं, मैं यह कहता हूं कि पंजाब की पुलिस को हम कह सकते हैं कि वह वास्तव में पवित्र है, चरित्रवान् है और इन्तजाम में बहुत आगे है, चोरों डाकुओं और तस्कर व्यापारियों को वह सख्त सजा देती है, लेकिन यहां हमारी सरकार ने खुली छूट दे रखी है, क्योंकि अभी-अभी जो भाई राधे श्याम जी ने बताया, मैं कह सकता हूं कि वर्तमान एस० पी० जो मथुरा में है उनसे थोड़ा अच्छा पहले एस० पी० भी आये थे, लेकिन यह तो हिस्सेदार है, सीधी बात है। राधे श्याम जी ने तो सारे जिले के थानेदारों के लिये कहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोसी कलां, बरसाना और गोवर्धन थाने के थानेदारों ने अब तक दस बारह लाख रुपये बना लिये हैं। मैंने मुख्य मंत्री को टेलीफोन किया कि या तो इसको रोकिये नहीं तो मैं किसी दरख्त के नीचे कटकर मर जाऊंगा तो माननीय मुख्य मंत्री सुचेता कृपालानी जी ने "थोड़ा इन्तजाम किया", नहीं तो पुलिस के मंत्री तो कान में तेल डालकर सो रहे थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं बिलकुल सच्ची बात कह रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से माननीय रामायण राय जी ने इस ऐडीशनल ग्रान्ट के विचार के समय विवाद को एक बड़ा ही गलत लीड दे दिया। यदि इस ग्रान्ट को देख जाय तो पुलिस का आइटम बहुत छोटा है। ज्यादातर तो विद्युत् के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है और सिंचाई के ऊपर है और विद्युत् शिक्षा और सिंचाई ऐसे आइटम्स है कि जिनका कोई भी सदस्य विरोध नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने उन आइटम्स को तो छोड़ दिया और इस छोटे से आइटम को लेकर इस प्रकार बहस कर रहे हैं जैसे कि सारी एडीशनल ग्रान्ट पुलिस के ऊपर खर्च करने के लिये ली जा रही है, हालांकि वह सबसे छोटा आइटम है। इस प्रकार से मिसलीडिंग बहस इस सदन को शोभा नहीं देती।

दूसरी चीज जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि यदि हम इस सदन की अपनी परम्परा देखें तो १९५८-५९ से लेकर केवल १९५९-६० को छोड़कर १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ तक हर साल जितना बजट में हम एलाट करते रहे हैं उसमें कभी १४ लाख, कभी ३ करोड़ और कभी ७ करोड़ की सेविंग हुई है और इसी सदन में हम यह बहस करते हैं कि यह गवर्नमेन्ट कितनी इनएफिश्येंट है कि जितना हम एलाट करते हैं उतना भी खर्च नहीं कर पाती है। यहीं पर यह भी बहस हो चुकी है कि फाल्स डेफिसिट हर साल दिखाई जाती है जब कि साल के अन्त में सेविंग हो जाती है। तो श्रीमन्, पिछले छः सात सालों की हिस्ट्री में केवल एक साल, यह १९५९-६० का ही ऐसा रहा है कि जब हमें ऐडीशनल ग्रान्ट की जरूरत पड़ी है, तो सरकार को जहां उसके लिये बधाई देनी चाहिये थी कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि उसको और अधिक रुपये की आवश्यकता पड़ी, वहां यह न करके हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। इसके मानी हैं कि हम वही पुरानी परम्परा कायम रखना चाहते हैं कि रुपया कम खर्च

[श्री कृष्णानन्द राय]

हो और सारा प्लानिंग का काम रुका रहे, मैं समझता हूं यह बड़ी गलत परम्परा होगी और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं इस ग्रान्ट का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि यह ग्रान्ट ऐसे विषय से संबंधित है कि जिसकी जिम्मेदारी जैसा कि इसमें लिखा है शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की है, लेकिन अगर देखा जाय पूरे प्रदेश के पैमाने पर तो शान्ति और व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। चोरियों, डकैतियों और कत्ल इत्यादि के बारे में पुलिस के रेकार्ड को भी उठाकर देखे तो उसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ कायदे कानून बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल पुलिस के हाथ में है उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है, बल्कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। १०९, १०७, ११७, ११० वगैरह का भी बड़े भारी पैमाने पर दुरुपयोग होता है। इसका उदाहरण मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनके सामने पेश कर दूंगा। संक्षेप में मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गाजीपुर के हमारे चार लोग किस तरह से परेशान किये गये। उनमें एक पब्बर राम जी जो पहले यहां पर विधायक थे और नगरपालिका गाजीपुर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जिन्होंने राष्ट्रीय आजादी में लड़ाई लड़ी थी और जिनका अपना एक इतिहास है, उनको भी पुलिस वालों ने इस तरह से परेशान किया कि उनके खिलाफ रिपोर्ट पुलिस ने सरकार को दी और उनको दूसरे जिला निकाला कर दिया। इसी तरह से हमारी पार्टी के दूसरे लोग शिवमूरत सिंह जी, राज नाथ सिंह मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी, गाजीपुर जन्नत खां को भी जिला छोड़ने का आदेश दिया गया है। आज पुलिस का काम राजनैतिक तरीके पर दखलन्दाजी करना और पक्षपात करना हो गया है। जो अधिकार उनको दिया गया है उसका वे दुरुपयोग करते हैं। एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय गृह मंत्री जी की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र भेज रहा हूं। वह प्रार्थना पत्र मु० कमला देवी, ग्राम बंडिया थाना खटीमा जिला नैनीताल का है। इनके पति की हत्या कर दी गई है। इनके यहां डकैती पड़ी। पीलीभीत के डी० एस० पी० ने नैनीताल के डी एस० पी० को लिखा कि इसमें काफी आदमी मिले मालूम होते हैं। कुछ लोग इसमें पीलीभीत में पकड़े भी गये हैं। इसमें पुलिस मिली हुई मालूम होती है जिसकी वजह से आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसमें पुलिस बिल्कुल पक्षपात कर रही है। इसमें डी० एस० पी० का भी नाम लिया जाता है जिनका नाम मैं यहां पर नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस प्रार्थना-पत्र को गृह मंत्री जी की सेवा में भेज दूंगा। मैं समझता हूं कि यदि आप आज सदन के सामने ग्रान्ट प्रस्तुत करते हैं तो आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों को देखें कि पुलिस क्या करती है। जहां पुलिस का काम शान्ति और व्यवस्था को कायम करना है वहां पर किसी के साथ पक्षपात करना काम नहीं है। आज बहुत से मामलों में पुलिस इसका दुरुपयोग कर रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ग्रान्ट लेने के साथ साथ इन सब चीजों को भी देखें और इस तरह की बातों को रोके। तभी प्रदेश में शान्ति स्थापित हो सकती है और जरायम को रोका जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर विचार करें। हमारे जिला मंत्री जी तो बनारस के रहने वाले हैं। बनारस शहर में आये दिन हड़ताल होती है इस पुलिस के खिलाफ वहां काफी अराजकता व्याप्त है। उसी सिलसिले में आई० जी० वहां पर गये थे और लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है। बनारस में आये दिन इस तरह की घटना हो रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गृह मंत्री जी को सचेत करें जिससे वहां पर शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो सके। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मेरी बातों पर ध्यान दिया जाय ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

अभी यह पुलिस से संबंधित जो अतिरिक्त अनुदानों के लिये प्रस्ताव पेश किया गया है उस संबंध में मुझे भी कुछ कहना है। वह यह है कि यह कहा जाता है कि यह व्यय १९६३-६४ की

बाबत है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देर करके क्यों यह अनुदान इस सदन में पेश किया गया है। मैं इस सदन के लिये नया सदस्य हूं। बहुत लेट यह अनुदान यहां पर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अतिरिक्त अनुदान है। यह ३, ४ साल के बाद ही निकलते हैं।

श्री तमेश्वरप्रसाद—

दूसरी बात यह है कि पुलिस के संबंध में इस तौर से जनरल बातें कही जाती हैं। यह एक परिपाटी बन गई है कि जब कभी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट पेश होता है तो उसमें बहुत सी बातें पुलिस के संबंध में बढ़ाकर कही जाती हैं। वैसे देखा जाय तो आज समाज में जैसा नैतिक स्तर है चाहे वह सरकारी कर्मचारियों में हो और चाहे जनता में हो—नैतिक स्तर गिरा हुआ है और हमें उसे उठाने का प्रयत्न करना होगा। केवल यह कह कर कि पुलिस के लोग बेईमान हैं, गड़बड़ है, और इसलिये उन पर एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहिये, मैं समझता हूं कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं देते। जहां कहीं भी पुलिस की ज्यादती होती हो उसकी सूचना हम उसके उच्च अधिकारियों को दें, सम्बन्धित मंत्री को दें, ताकि उस पर कार्यवाही हो कर उसका निदान किया जा सके। इस पुलिस विभाग ने अच्छे काम भी किये हैं, डाकुओं का विनाश भी किया है, चोरों को पकड़ा भी है, बहुत से जरायम रोकने का काम वह करता है। तो अगर एक कूची से हम उनके सारे कामों को काला कर देंगे तो उससे ईमानदार कर्मचारी हतोत्साहित हो जायेंगे और सोचेंगे कि जब जनता के प्रतिनिधि बिना किसी अच्छे काम का लिहाज किये हुए ही सब को खराब कह देते हैं तो अच्छा काम करने का फायदा क्या? वे निरुत्साहित हो जायेंगे। मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूं और मैंने बहुत से अच्छे काम पुलिस से करवाये हैं, खराब कामों की रिपोर्ट करके उनमें सुधार करवाया है। तो केवल आलोचना करके अच्छे लोगों को भी खराब कहना ठीक नहीं है। अभी हमारे मित्र ने बतलाया कि अब जो राशन पुलिस वालों को दिया जाता है उसमें गड़बड़ कम होती है इसका कारण यह है कि जो नये अफसर आये हैं वे घूस नहीं लेते, वे ईमानदार हैं। तो हमें विभाग के अच्छे कामों की प्रशंसा करनी है और बुरे लोगों की निन्दा करनी है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये ५ मिनट का समय दिया। मैं अपने को केवल सिंचाई के अनुदान तक ही सीमित रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय पुलिस का अनुदान चल रहा है। आप बाद में जब सिंचाई का अनुदान आये उस समय बोल लीजियेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे मित्र मिश्र जी को सारा समय दे दिये होते तो मैं शायद न बोलता। (व्यवधान)

मेरे एक मित्र ने कहा कि चार साल के बाद यह अनुदान यहां लाया गया है। श्रीमन्, आप देखें कि यह २१ करोड़ २५ लाख का अनुदान है और यह १९५९-६० में स्वीकृत मदों के अतिरिक्त खर्च किया गया है। मैं समझता हूं कि यह भयावह स्थिति है और इस सरकार की नालायकी का जीता-जागता सबूत है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

बड़े सुन्दर शब्द हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

शास्त्री जी कह रहे हैं कि उपयुक्त विशेषण हैं इस सरकार के लिये। तो मैं यह कह रहा था कि आज ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो गयी है जो सरकार की नालायकी का सबूत है। अगर अधिकारियों ने दिमाग से काम लिया होता तो आज इस अतिरिक्त अनुदान को पेश करने की जरूरत न पड़ती। सरकार को बजट बनाते वक्त और व्यय करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जितना रुपया स्वीकृत है उसी के अन्तर्गत खर्च किया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मित्र टम्बेश्वर जी ने कहा कि जब वे अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो पुलिस की भी प्रशंसा सुनते हैं। उन्होंने बड़ी दबी जबान में ऐसा कहा। क्या वे हमको भी अपने यहां आने के लिये दावत देंगे, ताकि हमको भी पुलिस की कुछ प्रशंसा सुनने को मिले और हम भी उनकी नकल इस सदन में कर सकें।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---

बना दें स्वर्ग भारत को अगर चाहें पुलिस वाले,
वह कर दें नर्क से बदतर अगर चाहें पुलिस वाले।

श्रीमान् जी, मैं अपने जिले का एक प्रमाण आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी ६ महीने हुये। एटा के गंगा प्रसाद जी को जो एम० एल० ए० हैं उनके कत्ल के लिये कोई विपक्षी दल प्रयत्नशील था। वे अपने मकान के अन्दर कोठरी में बिजली के पंखे के नीचे सोया करते थे। एक दिन रात को १२ बजे उनके साले आ गये। उस कोठरी में पंखे के नीचे उन्होंने अपने साले को सुला लिया और खुद मकान की छत पर सो गये। उसी दिन रात को इन्हीं गंगाप्रसाद जी के धोखे में उनके साले का कत्ल हो गया। पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वह इसका पता लगायेगी, मगर ६ महीने हो गये अभी तक कुछ पता नहीं चला।

दूसरे वहां पर रोजाना बच्चे पकड़े जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब वहां के कलेक्टर महोदय छुट्टी पर जाते हैं तो उनकी जगह जो चार्ज लेते हैं वे हजारों लाइसेंस बन्दूक आदि के बिना पुलिस की सिफारिश के ही बदमाशों को दे देते हैं। एक डीलर से उनका कान्ट्रेक्ट है और उन्हीं से वे बात करके लाइसेन्स दे देते हैं। पुलिस से सिफारिश तक वे नहीं मांगते हैं। नतीजा यह है कि रोजाना बच्चे पकड़े जाते हैं। हम इस अनुदान को स्वीकार करने के लिये मना नहीं करते, मगर इन सब बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

श्रीमान्, कानपुर के बारे में आज सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि वहां पर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के कत्ल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों को सदन में कह कर वहां पर गुन्डाइज्म को बढ़ाया जा रहा है। जो भी कार्यवाहियां पुलिस करना चाहती है उसमें भी बाधा डाली जाती है। वहां जो भी इस तरह की कार्यवाहियां हुई हैं वह अधिकतर व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हुई हैं, लेकिन कांग्रेस को हर मामले में घसीटा जाता है। चाहे जो जुर्म करने वाला आदमी ४ आना का कांग्रेस का सदस्य न हो, चाहे वह और किसी पार्टी का आदमी हो, लेकिन जब सदन में बातचीत होती है तब उसमें हमेशा यह कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं। ऐसी बातें करके, मौके पर जाकर जांच न कर और सभायें व प्रदर्शन करके गलत सलत बातें की जाती हैं जिससे गुंडों को बल मिलता है, वहां के गैर जिम्मेदार तबके को बल मिलता है। मेरी बिल्हौर कांस्टीटुयेंसी में जो भी अराजकता आजकल पैदा हो रही है वह सोशलिस्ट पार्टी की वजह से हो रही है जो बगैर सोचे समझे हुये, बगैर जांच किये हुये सदन में इस तरह की चर्चा उठा कर पैदा की है। आज जो स्थिति पैदा है उसकी जिम्मेदारी पुलिस नहीं है, राजनीतिक दल के लोग हैं जो सस्ती राजनीति को लेकर सस्ती प्रसिद्धि के लिये इस तरह की कार्यवाहियां करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे मामलों में सचेत रहना चाहिये और जांच करके उसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे गुंडों को कोई रियायत न मिले। जो लोग पुलिस को दबाने के लिये और अपनी मनमानी करने के लिये जिस तरह का दिखावा और प्रदर्शन

करते हों ऐसे लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ में यह आग्रह करता हूं कि पुलिस के स्टाफ को बढ़ा कर इस तरह की कार्यवाहियों को अवश्य रोका जाय। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त अनुदान संख्या १८ का मैं विरोध करता हूं और इस सदन विषय में पुलिस की बाबत में भी कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक पुलिस का सवाल है उत्तर प्रदेश की, यह दल और इसका हर एक अधिकारी और कर्मचारी जितनी कानूनशिकनी खुद करता है, उतनी मैं समझता हूं कि कोई बदमाश और गुंडा शायद अपनी पूरी जिन्दगी में नहीं करता हूं आज किससे यह बात पोशीदा है चाहे इधर का बैठने वाला हो और चाहे उधर का बैठने वाला हो। मैं आप को बताता हूं कि अनीसुर्रहमान साहब और मोहनलाल आचार्य जी इन आदरणीय सदन के सदस्य हैं उन पर पीलीभीत के एस० पी० ने झूठा मुकदमा चलाने की कोशिश की। वह उधर के बैठने वाले सदस्य हैं। मैं अपने जिले के टाउन एरिया बुगरसा की बात कहता हूं। वहां एक पुलिस चौकी है। उस पर एक सब-इंस्पेक्टर रहता है। मैंने कितनी बार एस० पी० से कहा, डी० एम० से कहा। वहां सट्टा चलन करता था। वह सट्टा नहीं रुका और रुका तब जब उस सब-इन्स्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया। आज भ्रष्टाचार पुलिस में कितना है। कितना उस पुलिस चौकी पर है। कई दफा उसने बेगुनाह लोगों का चालान करना चाहा। कई दफा उसने लम्बी रिश्वत भी लीं। वहां पर एक ग्राम मुहम्मदपुर परवाला है। लोगों ने कहा। मैंने कहा कि तुम इसकी कम्प्लेन्ट करो। उन्होंने कम्प्लेन्ट की, लेकिन उसके बाद जब यह मालूम हुआ उसको कि कम्प्लेन्ट आफिसर आने वाले हैं तो उसने किस तरह से उन गरीब लोगों को वहां पर दबाना शुरू किया। गांवों में पुलिस के कुछ खास लोग होते हैं उन्होंने वहां के गरीबों को सताना शुरू किया और हर तरह से कोशिश की।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म कीजिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

दो मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, बहुत से काम हैं। १ मिनट में जरूर खत्म कर दीजिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इसी तरह से गुड़ मेरे जिले से जो सीमा के थाने हैं पुलिस की मदद से पंजाब को और दिल्ली को जा रहा है और एक-एक रोज में वहां के एक-एक थानेदार को १०, १० और १२, १२ हजार रुपये रिश्वत के मिल जाते हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसी पुलिस की मदद की जाय? क्या यही पुलिस का काम है? अगर पुलिस इस तरह से कानूनशिकनी करती रहेगी तो मुल्क का क्या हाल होगा और हमारा तहफ्फुज कौन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब खत्म कीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारे भाई कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रश्न उठाया था वह इसलिये नहीं कि वह एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते थे, लेकिन इसलिये उठाया कि सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाय। यह ठीक है कि वह अतिरिक्त मांगों के लिये नहीं था, लेकिन अतिरिक्त मांगों पर भी वह नियम लागू होता है। वह यह कि इस प्रश्न पर विवाद को सीमित रखा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जाय। अगर सारा मामला खोल दिया जाय तो महीने डेढ़ महीने बाद जो बजट आ रहा है, जब कि सारी बातें कहने का अवसर मिलेगा, क्या कहा जायगा? १९५९-६० जो खर्चा हुआ था, यह मांग तो उससे सम्बन्ध रखती है। जो पैसा उस वर्ष में खर्च होना था उसके सम्बन्ध में इस सदन ने अपनी स्वीकृति दी थी। जो कुछ भी पुलिस विभाग की अच्छाई या बुराई थी उस पर उस समय बहस हो गयी होगी और उसके बाद उसको स्वीकार किया गया। अब उसमें लाख सवा लाख रुपया ज्यादा खर्च हो गया। यह ठीक है कि सदन जितना रुपया मंजूर करे उससे न तो ज्यादा ही खर्च होना चाहिये और न ऐसा ही होना चाहिये कि कुछ पैसा उसमें से खर्च ही न हो, बेकार ही पड़ा रह जाय। लेकिन फिर भी कभी-कभी इस तरह की चीजें होती हैं और इसीलिये संविधान में उसकी व्यवस्था है और इस प्रकार से जो अतिरिक्त व्यय हो जाता है उसको रेगुलेराइज किया जाता है। अतः इसमें लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है।

नारायण राय जी ने कहा कि चूंकि संकटापन्न स्थिति है, इसलिये पुलिस पर एक पैसा भी खर्च न किया जाय। लेकिन दूसरी ओर वे कहते हैं कि राज्य में ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब हो रही है। ये दोनों बातें एक साथ कहना कुछ असंगत लगा। अगर पुलिस पर खर्चा न किया जाय तो जो कुछ हो रहा है वह भी न हो। अगर पुलिस पर एक पैसा भी खर्च न किया जाय तो हमें दारुलशफा भी छोड़ कर भागना पड़ेगा।

यह जो पुलिस पर अतिरिक्त व्यय हुआ है वह इसलिये कि कुछ स्थान खाली पड़े हुए थे उनको भरा गया। वैसे ही पुलिस की संख्या कम है, पुलिस कमीशन ने भी इस बात को कहा। अतः जो पद रिक्त थे उनको भरा गया और उन पर कुछ अधिक रुपया खर्च होना ही था। यह तो आप को २१ करोड़ की मांग दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं है। यह तो केवल हिसाब-किताब की बात है। जो वास्तविक खर्चा है वह केवल २१ लाख के करीब ही है। जैसा कि आपने देखा होगा जो कर्जा हम लेते हैं उसको दो हेड इस में दिखाया जाता है। एक तो हेड है डेट रिडायडेंस का और दूसरा हेड है पब्लिक डेट का। वह दोनों जगह दिखाया जाता है। अगर ४ करोड़ रुपया अदा करना है कर्जे का तो उन्होंने वह ४ करोड़ रुपया दो जगह दिखा दिया है, अकाउन्टिंग के प्वाइंट आफ व्यू से उसको पब्लिक डेट के कैपिटल में भी दिखा दिया है। वह ८ करोड़ नहीं है, है ४ करोड़ ही केवल दिखाया २ जगह अलग-अलग है। ९ करोड़ रुपया सरप्लस का है। होता यह है कि कुछ विभाग सामान खरीद लेते हैं और उसमें से हर साल खर्च होता रहता है और उसको वह हर साल के खर्च में डालते रहते हैं, लेकिन अब अकाउन्टेन्ट जनरल के हुक्म से वह व्यवस्था बदल रही है। आगे ऐसी डिमान्ड्स नहीं आयेंगी। अब ए० जी० साहब की राय है कि ग्रास बजटिंग हो। इसलिये इसमें बहुत बड़ा एक्सेस का भाग खाली कागजी है। यह ठीक बात है कि यह सदन के सामने जल्द आना चाहिये, अगर किसी मद में किसी साल एक्सेस हो जाय और मंजूरशुदा रकम से ज्यादा खर्च हो जाय तो यह एक्सेस ग्रान्ट्स जल्द से जल्द सदन के सामने आनी चाहिये, इस तरह से ४-५ साल की देर होना ठीक नहीं है यह मैं मानता हूं, वह फौरन आना चाहिये, ताकि छानबीन करके मंजूरी दी जाय। भविष्य में इसको ठीक किया जायगा। होता यह है कि विभागों से हिसाब आने में देरी होती है और इसी कारण से यह देरी हो जाती है। मैं दोनों बातों को मानता हूं, यह कि एक तो एक्सेस का अवसर ही न आये और अगर आये तो वह जल्द ही लेजिस्लेचर के सामने लाई जाय। अब हमारे सप्लीमेंटरी आते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यह तो वास्तव में टेक्नीकली ही एक्सेस है, वैसे तो यह नहीं है, थोड़ी सी ही रकम की है। अभी वोट और डिमांड्स भी हैं उनमें कोई वादविवाद की आवश्यकता नहीं है अभी एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा, अभी सप्लीमेंटरी पर भी वाद-विवाद होगा और पूरा बजट भी डेढ़ मास के बाद आयेगा और उस वक्त सवा महीने तक हर विभाग के बारे में चर्चा की जा सकेगी। इसलिये इस वक्त अधिक वाद-विवाद की इस पर आवश्यकता नहीं है। सदन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—पुलिस के अन्तर्गत १,७५,५९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा अब समय बहुत कम है हम पहले यह ग्रान्ट्स खत्म कर लें और जब एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा तो उस पर श्री गंगवार जो ५ मिनट बोल लेंगे।

अनुदान संख्या २०—शिक्षा

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा के अन्तर्गत ३,६७,५१६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा के अन्तर्गत ३,६७,५१६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—परिवहन विभाग

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—परिवहन विभाग के अन्तर्गत ५५,०२६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—परिवहन विभाग के अन्तर्गत ५५,०२६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान पर व्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान पर व्यय के अन्तर्गत ६८,४२४ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान पर व्यय के अन्तर्गत ६८,४२४ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९–६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६-राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ३,९४,८७,०३८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ३,९४,८७,०३८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री जगन्नाप्रसाद रावत—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४४,५६,७५० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४४,५६,७५० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ५,४८,७१,०६७ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ५,४८,७१,०६७ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने के लिये वह अनुज्ञा प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है परन्तु जो दो-चार खराबियां हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। सिंचाई विभाग के बारे में बहुत तारीफ की गयी है कि इसने बड़े-बड़े काम किये। श्रीमन् मैं एक-दो उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं। इस महकमें में जितना भ्रष्टाचार है वह तो काग़जात से ही जाहिर है कि किस अनर्गल तरीके से खर्चा किया गया है। साथ ही साथ यह विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और इसमें कुछ अनियमितताएं अपने आप हो जाया करती हैं। इसके भी २–१ उदाहरण देना मैं मुनासिब समझता हूं। हमारे यहां बरेली में बीरपुर ड्रेन के संबंध में कुछ काग़जात चल रहे थे। अभी कृपा करके सरकार ने ९,००० रुपये मंजूर कर दिये और पुलों के लिए ईंटें आदि भी मंगवाना शुरू कर दिया था, परन्तु पता नहीं कि खुदाई का काम शुरू करने के बाद ईंटें भी हटवाना शुरू कर दिया। मैंने इस सम्बन्ध में, मान्यवर, एक शिकायत श्री बी० बी० लाल, सेक्रेटरी महोदय के पास भेजी। उन्होंने २–३ पत्र भेजे, लेकिन उनको अब जवाब मिला होगा। कितनी अवैधानिकता है कि सरकार के हुक्मों की खिलाफवर्जी होती है। अधिकारी वर्ग इस बात को नोट करेंगे कि इस प्रकार की अवहेलनाएं व अनियमितताएं इस विभाग में हो रही हैं।

एक दूसरी अनियमितता इस विभाग की है। पहले जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसे सिंचाई विभाग के जिम्मे कर दिया है। इस इंजीनियरिंग विभाग में जो वर्कशाप थीं मेरठ, झांसी, बरेली और रुड़की में वे सब की सब अब इस विभाग में आ गयी हैं। इन वर्कशाप्स के जितने भी कर्मचारी हैं वे भी उन्हीं के मातहत कर दिये गये हैं। चीफ इंजीनियर के नीचे एक सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का कार्यालय कानपुर में है जिसके नीचे ये वर्कशाप काम करती हैं। यद्यपि यह सब कार्यालय और वर्कशाप इर्रीगेशन के नीचे हैं तो भी बड़े खेद की बात है कि १९५२ से १९६३ तक अर्थात् ११ वर्ष के अन्दर उस डिपार्टमेन्ट में कोई स्थायी नहीं किया गया है, जबकि नहर विभाग ने अपने कई सौ अधिकारी और कर्मचारी स्थायी व पदोन्नति कर दिये हैं। ऐसे बहुत से कर्मचारी इन वर्कशापों में हैं जो आखिरी पे पर पड़े हुये सरकार को दुहाई दे रहे हैं। इंजीनियरों और बाकी स्टाफ को भी पदोन्नति नहीं दी गयी है।

इस प्रकार की अनियमितता १९५४ में श्री प्रतापनारायण ने की थी जो वहां के सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर थे। उन्होंने खर्चा कम करने के लिये ३३ आदमियों को रिवर्ट कर दिया था और बाद में ५५ में १४ प्वाइंट फार्मूला इवाल्व किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग रिवर्ट कर दिये गये हैं प्रोमोशन के साथ उनका ध्यान रखा जायगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस तरह से उनकी हकतल्फी की गयी है। जो लोग वहां रिवर्ट हुये उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जब ये लोग रिप्रिजेन्टेशन करते हैं तो उनको उत्तर दे दिया जाता है कि कन्सीडर्ड ऐंड रिजेक्टेड।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

इस प्रकार सिंचाई विभाग के अन्दर जो आंतरिक खराबी है उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। ये केवल एग्रीकल्चरल वर्कशाप के पुराने आदमी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और जुल्म हो रहा है। श्रीमन्, मैं आप के जरिये माननीय राममूर्ति जी व गिरधारीलाल जी जो उस समय मंत्री थे और इस समय सदन में नहीं हैं का और जो मौजूदा मन्त्री हैं उनका ध्यान इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इन दोनों बातों पर भली प्रकार से ध्यान दें। सैकड़ों कर्मचारियों का इसमें फायदा होने वाला है।

इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि शिक्षा के विषय में हमने कोई निश्चित कदम नहीं उठाया। आज भी हमारा जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत गिरा हुआ है और हाई स्कूल बोर्ड ने ठीक रिपोर्ट दी है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उपस्थित है उस पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। पुलिस के सम्बन्ध में अनेक बातें आईं उनको दोहराना उचित नहीं है, लेकिन इतना बतला दूं कि पुलिस की जब इस सदन में तारीफ कर दी जाती है और उसके नाजायज कामों पर मोहर लगा दी जाती है तो उसका दिमाग और खराब हो जाता है। इतना हर विभाग के मंत्री को ध्यान में रखना चाहिये कि जब वे अपने अधिकारियों की तारीफ कर देते हैं तो उससे उनकी आदत बिगड़ जाती है। (व्यवधान) जैसा कुरील जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां बवंडर खड़ा किया करती हैं, यह तो सही नहीं है पर पुलिस यह समझ कर कि फलां शख्स अमुक पार्टी में है, अगर मार डाला गया है तो भी तकलीफ नहीं होनी चाहिये। यह जो भावना है निन्दनीय है और ऐसा अधिकतर अब देखने में आ भी रहा है। देहरादून के नित्यानन्द स्वामी, जो जनसंघ के हैं, उनको थाने में पीटा गया। प्रदर्शन हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रघुनाथसिंह जी जो जनसंघ के सदस्य हैं उनको एस० पी० द्वारा साजिश करके पुलिस की जीप द्वारा प्रदेश से बाहर ट्रान्सपोर्ट करा दिया गया। भारतीय मजदूर संघ के जो प्रधान हैं उनके लड़के के स्कूटर का पैडल खो गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस का कर्त्तव्य है कि छानबीन करे गंगाप्रसाद, एम० एल० ए० के कत्ल किये जाने के बारे में घर में। सोये हुए उनके साले का कत्ल कर दिया गया और मार्च से अब तक कोई जांच नहीं हुई है।

सिंचाई के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब कि फतेहपुर जिले में खेत काटने का समय आता है और पानी की आवश्यकता नहीं रहती तो अधिक मात्रा में किसान को पानी दिया जाता है और जब ईख बो देते हैं, यह दुर्भाग्य का विषय है कि मार्च और मई में पानी की जब आवश्यकता होती है तो पानी नहीं दिया जाता है।

जब बिजली उद्योग का विषय आता है तो कहा जाता है कि उससे उद्योग बढ़ेंगे और बिजली दी जायगी, लेकिन फतेहपुर में कानपुर से मिलनेवाली बिजली उससे आगे नहीं बढ़ाई गई और न इलाहाबाद की तरफ से बिजली मिली जिसके फलस्वरूप बीच का जो हिस्सा है वहां बिजली आज तक नहीं पहुंच पाई है। खागा, हथगाम, किशनपुर आदि बिना बिजली पड़े हैं।

परिवहन विभाग के बारे में ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि १० साल का जो कर्मचारी है वह तो अस्थायी बना हुआ है और तीन साल का कर्मचारी स्थायी हो जाता है। लिहाजा उसको भी स्थायी बनाया जाय ताकि स्थिरता रहे। ओवरटाइम में भी घपला होता है उधर भी ध्यान देना चाहिये। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, १९५९-६० में अतिरिक्त व्यय पर जो विवाद चल रहा है उस सम्बन्ध में जो विधेयक आया है वह तो पास हो ही जायगा, लेकिन मैं खास तौर से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह सदन जो रुपया स्वीकार करता है उसे ठीक ढंग से खर्च करना चाहिये।

मैं परिवहन विभाग के अधिकारियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की सीमाओं के बीच यह मसला तय हुआ कि आपस में रोडवेज बसेज चलेंगी, लेकिन इसको कार्यान्वित नहीं किया गया और मुजफ्फर हसन साहब ने अपनी सास हुरमुती बेगम को जो नूरुल्ला रोड, इलाहाबाद में रहती हैं उनको बनारस से जबलपुर के लिये पर्मिट दे दिया जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को १५ हजार रुपये फी महीने घाटा हो रहा है। इसी तरह से इलाहाबाद संग्रामपुर रोड पर पहले उनके साले को पर्मिट मिला हुआ था और जब वह रूट सरकार ने ले लिया तो इलाहाबाद--दिरवा रूट का पर्मिट मुजफ्फर-हुसैन साहब के साले को मिल गया जिसको डेढ़ सौ रुपये महीने पर वह बेचे हुए हैं। इतनी धांधली परिवहन विभाग में चल रही है और इसकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री तथा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि परिवहन विभाग का यह भ्रष्टाचार दूर हो सके और अगर इसकी जांच हो तो मुजफ्फर हुसैन साहब ने परिवहन विभाग से कितना रुपया गबन किया है, कितना रुपया लूटा है, उसका भंडाफोड़ भी हो सकेगा।

कहा गया कि सारे प्रान्त को सरकार बहुत जल्दी बिजली देने जा रही है और रिहन्द डैम से बिजली आ रही है। कानपुर में जो तमाशा हुआ वह भी ज्ञात है। मेरा सुझाव यह है कि भले ही कितना रुपया खर्च हो जाय कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक टेक्निकल एडवाइजर अपने दफ्तर में आप बैठाइये ताकि राय ठीक मिल सके। आप को पता नहीं चलता है कि बिजली क्या है, मशीन कैसे चलती है, उसके फंक्शन्स क्या हैं। जो चीज आप को जिस तरह भी बतला दी जाती है उसी पर आप को निर्भर रहना पड़ता है। अभी कानपुर में मंत्री जी तथा अन्य लोग गये थे। वहां पर इंजीनियरों ने समझा दिया कि यह तो दैवी प्रकोप था। उसी पर लोगों ने विश्वास कर लिया। मैंने वहां पर अलग से देखा तो पता चला कि १० साल से नदी कानपुर से हट रही है और हमारी सरकार सोती रही और लोग मंत्री जी के साथ जो गये थे वे दावत खा कर चले आये। यदि सही माने में मंत्री जी उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण करना चाहते हैं जो आप सस्ते दर पर बिजली पूंजीपतियों को दे रहे हैं उनको न देकर उस बिजली को जिलों में दें। हमारे यहां बलिया वगैरह में कभी कभी ऐसा होता है कि २४-२४ घंटे तक बिजली की सप्लाई बन्द रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी व्यवस्था को चलाने का एक ही कारण है कि मंत्री जी सोचते हैं कि बहुमत हमारा है इसलिये हमारी ग्रान्ट पास हो जायगी और विरोधी पक्ष के लोग चिल्लाते ही रह जायेंगे। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को मंत्रिगण, उनके गुर्गे इन सड़े हुये पुराने आई० सी० एस० आफिसर्स से मिल कर सांठ गांठ कर के खाने पीने में खर्च कर देते हैं। कितना काम होता है इसको इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले जो लोग देहातों में घूमते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। आज परिवहन, विद्युत् तथा सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। पुल वगैरह का कागजात पर तो नक्शा बनता है, लेकिन मुकाम पर जाइये तो कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारे भाई उमाशंकर जी ने कहा था और मैंने भी देखा कि जहां १ लाख ८२ हजार का हिसाब दिखाया गया है वहां पर कुछ बोरे बालू और बल्लियां इकट्ठा कर दी गई हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां बलिया में एक सड़क बनना शुरू हुई बलिया से देवरिया तक। यह २६ मील लम्बी बननी थी। इस पर फी मील १ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान था, लेकिन यह १५ साल में भी नहीं बन पाई। अभी तक केवल ७.८ मील ही बन पाई है। इस तरह से हमारे यहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, इस तरह से हमारी सरकार चल रही है। अगर विरोधी दलों में कुछ दम होत तो वह तूफान बरपा होता जिसको कुछ कहने को नहीं। जब तक यह सरकार हटेगी नहीं तब तक उत्तर प्रदेश में कोई निर्माण या उन्नति का कार्य नहीं हो सकता है। मैं वित्त मंत्री जी की नैतिकता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की ग्रांट उन्हें पेश नहीं करनी चाहिये। आप पैसा ले कर अफसरों को लुटायेंगे या क्या करेंगे? इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इस ग्रांट को पास न होने दें जिससे भ्रष्टाचार और गबन को मौका मिल सके।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर विचार करते समय अवसर नहीं है कि विभागीय नीतियों की विशेष चर्चा की जाय या पार्टीकूलर शिकायतें रखी जायं क्योंकि उनका जवाब देने के लिये मौका नहीं होता है। इस अवसर पर तो इस बात की आवश्यकता होती है कि सदन जिस रकम की स्वीकृति दे रहा है उसका सदुपयोग हो और गलत खर्च न हो यही इस अवसर पर सदन देखभाल कर सकता है। यह विनियोग विधेयक अतिरिक्त मांग के सम्बन्ध में है जो पहले खर्च हो चुका है और इस खर्च के बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अच्छी तरह से विचार कर लिया है और उसका सर्टिफिकेट दिया है कि यह खर्चा ठीक हुआ है, उसमें दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो माननीय सदस्यों के सामने काफी यह प्रमाण है कि जो अतिरिक्त रुपया खर्च हुआ है थोड़ा सा, वह ठीक खर्च हुआ है। उसको स्वीकार करना ही चाहिए। यह रकम बड़ी जरूरी दिखायी पड़ती है। अभी सिंचाई विभाग के बारे में एक शिकायत की गयी, लेकिन सिंचाई विभाग में ऐक्चुअल कोई खर्चा नहीं हुआ है। पहले नेट बजेटिंग का सिस्टम था, अब उसको ग्रास बजेटिंग का सिस्टम करने की वजह से इतनी रकम दिखायी पड़ती है। ऐक्चुअल कोई खर्चा नहीं है। इस लिए रकम के बारे में शिकायत करना कोई जायज बात नहीं है। विभागों के सम्बन्ध में जो शिकायतें होती हैं वे देखी जाती हैं। पुलिस के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी शिकायतें कीं। पुलिस से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वह शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पूरी सफल हो और अच्छी तरह से काम करती रहे और उसके सम्बन्ध में जो शिकायतें होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। उनके काम के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो कभी बताते रहेंगे उनको अच्छी तरह से देखा जायगा और इस बात की कोशिश की जायगी कि उस तरह की बुराइयां न होने पाएं। लेकिन पुलिस विभाग तभी अच्छी तरह से सेवा कर सकता है जब माननीय सदस्यों का पूरा-पूरा सहयोग मिले। तो इस बात की जरूरत है कि अगर सबकी इच्छा है कि पुलिस देश की सेवा ठीक कर सके तो माननीय सदस्यों की तरफ से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि अतिरिक्त मांगों के सम्बन्ध में शिकायत करने का कोई मौका नहीं है। वह खर्चा हो चुका है और ठीक खर्चा हुआ है और उसकी स्वीकृति माननीय सदस्यों को देनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—२, ३ तथा अनुसूची

२—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग २१,२५,००,७७९ (इक्कीस करोड़, पच्चीस लाख सात सौ उन्नासी) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा। १९५९–६० को कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से २१,२५,००,७७९ रुपये का दिया जाना।

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के विनियोग।

सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती: स्वीकृत भाग	बढ़ती: राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
	राजस्व व्यय—	रु०	रु०	रु०
१०	राजस्व से पूरे किये गये सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	६,४६,६३५	..	६,४६,६३५
११	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय ..	७,६०,२६४	..	७,६०,२६४
१४	आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय ..	१२,२१४	..	१२,२१४
१६	न्याय प्रशासन ..	..	११,०९१	११,०९१
१८	पुलिस ..	१,७५,५९२	..	१,७५,५९२
२०	शिक्षा	३,६७,५१६	५१०	३,६८,०२६
३१	परिवहन विभाग ..	५५,०२६	..	५५,०२६
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	..	१२६	१२६
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान पर व्यय ..	६८,४२४	..	६८,४२४
	भारित विनियोग (संख्या रहित) ऋण कम करना अथवा उस का परिहार ..	..	११,१५,८८,५२६	११,१५,८८,५२६
	योग, राजस्व व्यय ..	२०,८५,६७१	११,१६,००,२५३	११,३६,८५,९२४
	पूंजी व्यय—			
४६	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	३,९४,८७,०३८	..	३,९४,८७,०३८
४९	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्य पर लागत	४४,५६,७५०	..	४४,५६,७५०
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	५,४८,७१,०६७	..	५,४८,७१,०६७
	योग, पूंजी व्यय ..	९,८८,१४,८५५	..	९,८८,१४,८५५
	बड़ा योग ..	१०,०९,००,५२६	११,१६,००,२५३	२१,२५,००,७७९

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३

३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

संक्षिप्त शीर्षनाम

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यों खड़ा होना पड़ा कि सिंचाई मंत्री जी नये बने हैं, उनके दर्शन आज हुए हैं इस वजह से कुछ कहना है। वैसे मैं जानता हूं कि कोई भी विधेयक और कोई भी सरकार या प्रशासन इस तरह से चल नहीं सकता। अभी कमलापति जी ने कहा कि पुलिस हटा ही दी जाय। उसका यह भाव नहीं था कि पुलिस हटा दी जाय। उसका यह भाव था कि जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे को गुलछर्रे में न उड़ाया जाय। यह पंडित जी, आप तो विद्वान् हो, समझो न इस बात को। यह इधर के बैठने वाले विद्वान् लोग हैं जो एक एक बात कहते हैं तो समझकर कहते हैं। पढ़े लिखे हैं, नालायकों का गिरोह इधर नहीं बैठा है। यह है मतलब इसका। इसी तरह और क्या क्या बताऊं इसको? सिंचाई के ऊपर मैं कहना चाहता हूं। पहले सिंचाई का मसला लीजिए मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। एक तरफ सरकार कहती है अधिक अन्न उपजाओ, दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र में चकबन्दी हुई है और वहां जितनी गूलें हैं वह सब बरबाद हुई पड़ी हैं। आपके चकबन्दी के कर्मचारी महानालायक थे। उन्होंने गूलें नक्शे के अन्दर ठीक से नहीं बनायीं। अब देखिए, कितना नुकसान होगा उससे? नहर का कितना कीमती पानी बरबाद होगा? गूल नक्शे में ठीक लेवेल लेकर बनायी नहीं और यहां इंजीनियर महोदय हों तो वह देखें इस बात को। आबपाशी होगी नहीं, फसल बोयी पड़ी है। सारा पैसा बरबाद होगा। सिंचाई विभाग कुछ ध्यान नहीं देता। वह कहता है कि चकबन्दी के कागज नहीं आये और चकबन्दी वाले कहते हैं कि अभी हमारे कागज नहीं जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री लखीसिंह—

एक मिनट और दे दीजिए ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । यह बिल की थर्ड रीडिंग है । इसमें बहस का कहां प्राविजन है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप ठीक कह रहे हैं । इस तरह की बहस नहीं हो सकती ।

श्री लखीसिंह—

मैं इसका विरोध कर रहा हूं । दो मिनट और दे दीजिए । सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात भी कह दूं । इसी सदन में मंत्री जी ने कुछ महीने पहले यह बताया था कि वृन्दावन में जमुना का पुल हम नवम्बर तक बनवा देंगे । अब पैसा तो पास है, लेकिन पुल का श्री गणेश भी नहीं हुआ ।

इसी तरह हम आपको बिजली की समस्या को बारे में बतायें । बिजली की समस्या के बारे में हमारे और साथियों ने आपको बताया । मैं भी बताना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में तहसील के हेडक्वार्टर पर छाता में और बरसाना जैसे तीर्थस्थान में आज तक बिजली नहीं है और सरकार कहती है कि स्वराज्य हो गया, विकास हो गया । हमने बड़ी प्रगति की । यह सारा रुपया जाता कहां है ? इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा—

मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९-६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय । श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस संशोधन को लाने की आवश्यकता यों पड़ी कि खांडसारी और गुड़ असोशियेशन ने एक रिप्रिजेन्टेशन सरकार के सामने किया कि जैसे सेल्स टैक्स में एकमुश्त उगाही होती है उसके परचेज पर, वैसे ही गन्ना के क्रय-कर की एक मुश्त उगाही हो । इसके लिये एक मिश्रित प्रणाली कम्पोजिट लेवी कैसे हो उसको लाने के लिये इस १९६१ के हमारे अधिनियम में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी । अभी श्रीमन्, इसी साल भारत सरकार ने यह तय किया कि उत्तर प्रदेश में १५ लाख टन चीनी का उत्पादन किया जाय और अभी तक हमारा उत्पादन ८।। लाख टन था । इस कार्य-क्रम को करने के लिये यह भी हुआ कि गन्ने का जो रिजर्व्ड एरिया है उसके अन्तर्गत उन मिलों को शुगर केन निश्चित रुप से मिले । जो उनकी रिक्वायरमेन्ट हो उतनी मात्रा में सप्लाई होता रहे । जो और इकाइयां हैं उनकी रिक्वायरमेन्ट को देखते हुए ऐसे रेगुलेशन्स बनाने के

*२३ सितम्बर, १९६३ को कार्यवाही में छपा है ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

लिये यह आवश्यक हुआ कि इस ऐक्ट में परिवर्तन किये जायं। उसके लिये १० मील के रेडियस में जो एरिया है उसके लिये १६ नये पैसे से बढ़ाकर ३२ नये पैसे खंडसारी और गुड़ के लिये पर-चेज टैक्स करने का प्रस्ताव है ताकि उनसे वसूल किया जा सके। आज खंडसारी और गुड़ की प्राइस चीनी की कंट्रोल्ड प्राइस से ज्यादा है। इसलिये १० मील के एरिया में चीनी बनाने के लिये लोगों को प्रोत्साहन मिले इस कारण १० मील के एरिया में ३२ नये पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। १० मील के बाहर के लिये सरकार ने यह अपने अधिकार में रखा है कि वह १६ नये पैसे छूट दे सकती है। इस प्रकार से यह विधेयक है जिसके द्वारा शुगर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना है। जब हम इसके अन्दर यह परिवर्तन करेंगे तो कुछ कांसिक्वेन्शल चेन्जेज भी हो जायेंगे। पहले गन्ने के कमिश्नर को अपील का अधिकार हुआ करता था और उस समय तमाम अपील इकट्ठा हो जाया करती थी। लाइसेन्स के नवीनीकरण के समय बहुत देर हो जाया करती थी। उसमें बहुत सी दरख्वास्तें खारिज भी हो जाया करती थी और लोगों को बहुत शिकायत हुआ करती थी। इसलिये अब इसमें चीनी कमिश्नर भी कर दिया गया है। चीनी कमिश्नर के साथ उप चीनी कमिश्नर को भी पावर डेलिगेट हो जायगी ताकि लोग अपने निकट स्थान पर उस सुविधा को प्राप्त कर सकें।

इसी तरह से दरख्वास्त की बात है। दरख्वास्त का समय १ अक्तूबर से लेकर ३० दिसम्बर तक कर निर्धारण वर्ष में होता था, लेकिन अब दरख्वास्त प्राप्त करने के लिये, जो लाइसेन्स के नवीनीकरण या नये के लिये होगी उसके लिये एक तिथि निश्चित हो जायगी और उसके बाद फिर विलम्ब से लेने के लिये कुछ लेट फी दे करके वह हो सकेगी। गन्ना कमिश्नर को लाइसेन्स स्वी-कार करने या खारिज करने की बहुत बड़ी पावर थी। इस सरकार ने सोचा कि इस तरह से बहुत-सी दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं और लोगों को परेशानी होती है तो इसलिये यह प्रबन्ध किया गया कि उसमें एक व्यवस्था जोड़ दी जाय कि किन-किन परिस्थितियों में प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत किया जायगा और किन-किन परिस्थितियों में प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार किया जायगा। इस कार्यक्रम को लेकर इस विधेयक में १० क्लाज रखी गई ह और उनमें ये परिवर्तन किये गये हैं। इसमें और भी बातें हैं।

इसी के साथ-साथ यह भी है कि जो लोग क्रशर चलाते थे उनमें कुछ बिना लाइसेंस के चलाते थे। उसमें जो जुर्माने की बात होती थी उसको वह अदा कर देते थे। वह लोग कुछ लाभ समझकर जुर्माना अदा करते थे और नाजायज तरीके पर क्रशर चलाया करते थे। जुर्माना अदा करते जाते थे और नाजायज तरीके पर उसको चलाते रहते थे। इस ऐक्ट के अन्दर इस बात का संशोधन पेश किया जा रहा है कि इसमें इस बात का प्राविधान कर दिया जाय कि उनको सजा भी मिलेगी। उनको सजा निश्चित रूप से होगी। उस जुर्माने के साथ सजा भी जोड़ दी गई है। उनको जुर्माने के साथ सजा भी अवश्य हो सकती है ताकि जो लोग गलत-तरीके पर नाजायज रूप से क्रशर बिना लाइसेन्स के चलाते हैं उनको रोका जा सके।

इसके अलावा और भी बहुत से नियम हैं जिनमें इसमें सुधार किया गया है। जो लोग गुड़, रस और राब का उत्पादन करते ह उनके लिये यह किया गया है कि उसमें जो लोग नाजायज तरीके पर गुड़, रस और राब का उत्पादन करते हैं चीनी कमिश्नर उनके प्रेमिसेस को भी जाकर देख सकेगा और जांच कर सकेगा। अगर ऐसी नाजायज वस्तुएं गुड़, रस और राब वहां मिलेंगी तो वह उनको प्राप्त करके जब्त कर सकेगा और उनको मुहरबन्द कर सकेगा और उन वस्तुओं को उस समय तक नहीं खोला जायगा जब तक कि उनका अन्तिम फैसला न हो जाय। इस तरह से जैसा मैंने प्रारम्भ में निवदन किया इसमें रखा गया है जिससे बहुत से अलग-अलग खाते रखने वाले लोगों पर प्रतिबन्ध हो सके। लोग अलग-अलग विवरणी पेश करते थे और कर निर्धारण के समय बहुत कठिनाई होती थी। अब यह हो गया है कि कम्पोजिट तरीके से लेवी सरकार नियत रीति से प्रेस्क्राइब करेगी कि इतनी मात्रा की कोल्हू (पावर क्रशर) से इतना गन्ना क्रय हुआ समझा जाय जिससे उतनी मात्रा में कर वसूल हो सके या जो उसके लिये हैं

या इकाई के मालिक हैं या फैक्टरी के मालिक हैं वे स्वयं उसका विवरण पेश कर सकें। इस बात को दृष्टि में रखकर उनसे यह कर वसूल करने का ढंग सोचा गया है। तो श्रीमन्, मैं इस पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। १० क्लाजेज में यह संशोधन गन्ना (क्रय-कर) विधेयक का है और यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं समझता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और इसे पारित करेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने....

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

मैं यह चाहता हूं कि यह बिल इस हाउस में विचार न किया जाय। मैं इसका टोटल अपोजीशन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बाद में करियेगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

इसके लिये नियमों में दो तरह की बातें हैं। एक तो यह कि किसी विधेयक को हम सिद्धांततः मानते हैं तब हम उसे प्रवर समिति में भेजने या जनमत संग्रह करने के लिये या संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव करते हैं और दूसरे यह कि हम किसी विधेयक को उसूलन ही सही नहीं मानते। दूसरे प्रकार के बिलों का हम टोटल विरोध करते हैं कि यह बिल हाउस में किसी तरह से भी पास न किया जाय। तो ऐसी हालत में हमको यह हक हासिल है कि जो मुख्य मंत्री जी ने बिल पेश किया है उसका हम टोटल अपोजीशन करें। नियमों में इसका प्राविधान है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों में यह है कि विचार के लिये जो मोशन होगा उस पर अमेंडमेन्ट हो सकते हैं और फिर जो माननीय सदस्य उसका टोटल विरोध करना चाहते हैं वह अपनी बात कहेंगे और जो उसके सिद्धान्त को मान कर चलते हैं वे अपनी बात कह सकते हैं और उसे प्रवर समिति में भेजने या जनमत संग्रह के लिये अपनी बात कह सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप नियम बतलायें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उनका कहना यह है श्रीमन् कि यह बिल इतना बेमतलब है कि इसे इस हाउस में नहीं आना चाहिये। यह रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है, तो इसे जनमत संग्रह के लिये क्यों घुमाया जाय। यह बड़ा मौलिक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, यह बात नहीं है। आप बैठिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय कल्पनाथ जी उस धारा को देख रहे हैं, इस बीच मेरा निवेदन सुन लिया जाय। किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि जब कोई मंत्री कोई बिल सदन के सामने पेश करता है, यदि वह सदस्य उसके सिद्धान्त से ही सहमत न हो तो उसका विरोध करे। बार-बार कहा जाता है कि जब आप लोगों ने प्रवर समिति में भेजने की बात मान ली तो उसका अर्थ यह हुआ कि आप उसके सिद्धान्त से सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अमेन्डमेन्ट के मूव करने वालों के लिये यह बात है।

श्री रामायणराय—

जो माननीय सदस्य उसके सिद्धान्त से सहमत न हों उनको आपको छूट दे देनी चाहिये कि सदन में जब विधेयक के लिये मंत्री जी आज्ञा ले रहे हों तो उसी समय उसका विरोध कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम पढ़ कर सुना देता हूं। यह नियम १३२ है जो इस प्रकार है—

"विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा (१) उस दिन जब नियम १३० में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाय या किसी अनुवर्ती दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाय, विधेयक के सिद्धान्तों और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उसमें अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो।

(२) इस प्रक्रम पर विधेयक में संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे किन्तु यदि विधेयक भार साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक (क) विचारार्थ लिया जाय, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय जानने के लिये उस तिथि तक, जो प्रस्ताव में दी गयी हो, परिचालित किया जाय, अथवा

(ख) एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को यथास्थिति एक संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या विधेयक को राय प्राप्त करने के लिये उस तिथि तक जो उस प्रस्ताव में दी गयी हो परिचालित किया जाय।"

श्री रामायणराय—

इस नियम से साफ हो गया। इसमें दो स्थितियां दी गयी हैं। पहली तो यह कि उसके सिद्धान्तों पर जिस समय विवाद हो रहा हो, कोई भी माननीय सदस्य उन सिद्धान्तों से जो सहमत न हों, उसका विरोध कर सकते हैं। आप उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लें। पहले सिद्धान्तों पर बहस हो जाने के बाद ही बिल को प्रवर समिति आदि में भेजने का कोई प्रस्ताव हो सकता है....

श्री उपाध्यक्ष—

नियम यह है कि जब कोई विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत होगा तो उस समय दोनों चीजों पर बहस हो सकेगी। जो लोग उसके सिद्धान्तों को मानने वाले होंगे वे उसका समर्थन करेंगे। और प्रवर समिति आदि में भेजने का प्रस्ताव भी कर सकेंगे, दूसरे वे होंगे जो बिल के सिद्धान्तों से सहमत नहीं होंगे। तो चर्चा एक ही होगी—प्रस्ताव पर भी और उसके सिद्धान्तों पर भी।

श्री रामायणराय—

आपको पहले उन माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहिये जो उसका टोटल विरोध करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं । मैंने इसको अच्छी तरह से मनन किया है । जो निर्णय मैंने दिया है वह ठीक है । जब विचार के लिये विधेयक पेश होगा तो उस पर पहले अमेन्डमेन्ट्स हो जायेंगे । जो माननीय सदस्य उसके समर्थन में बोलना चाहेंगे वे उसका समर्थन करेंगे, जो महानुभाव उसका विरोध करना चाहेंगे वे विरोध करेंगे ।

श्री रामायणराय—

यह गलत परिपाटी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को जनमत संग्रह हेतु छः मास के लिये परिचालित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है और अन्याय है । आजादी के बाद किसानों की हालत जिस प्रकार दिन-प्रति-दिन गिरती गयी है वह सभी को मालूम है । उसको देखते हुए गन्ने जैसे प्रमुख विषय पर जो यह कानून बनाया जा रहा है यह किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये । श्रीमन्, इसी सदन में पहले गन्ना विकास मंत्री ने बताया था कि लगभग २८ लाख रुपया ऐसा है जो किसानों का गन्ने का बकाया है। तो एक तरफ यह रकम बकाया है और दूसरी ओर हम यह कानून बनाने जा रहे हैं कि किसानों से जबरदस्ती गन्ना वसूल किया जायेगा ! फिर गन्ना तो जबरदस्ती वसूल किया जायेगा, मगर उसकी कीमत की अदायगी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । पूरे प्रदेश में गन्ने की मूल्य स्थिति में एक रुपता नहीं है । इस मामले में सरकार का दिमाग साफ नहीं है। आप देखें कि रात-दिन किसान गन्ने की खेती में मेहनत करता है और अगर उसके एवज में उसे पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि कोई भी किसान मेहनत से काम नहीं कर सकता । पूर्वी जिलों में गन्ने के मूल्य बढ़ाने के लिये बराबर हड़ताल और मांगें हो रही हैं । किन्तु सरकार आंखें बन्द किये हुए अपनी जिद पर अड़ी हुई है और गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की ओर कोई कदम नहीं उठा रही है । एक तरफ तो हम चाहते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़े और दूसरी तरफ उत्पादकों को हैरेस करते हैं । इस प्रकार के प्रतिबन्ध किसानों पर लगाये जा रहे हैं और उनका बकाया और सही मूल्य नहीं दिया जा रहा है, तो क्या इस प्रकार प्रगति हम कर सकेंगे ?

मेरा विचार है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को एक सर्वेक्षण करना चाहिये कि गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में और जो मिल एरिया है वहां के किसानों की क्या स्थिति है, उत्पादन बढ़ाने के लिये उनके पास क्या साधन हैं और क्या उनमें, साधनों में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये । खास तौर से उन्हें गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुदान देना चाहिये , सिंचाई के साधन जुटाने चाहिये और दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन मिलने चाहिये ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । वह यह कि ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चीनी खरीद कर अपनी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते । वे गुड़, राब और खांडसारी से ही अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं । तो ऐसी दशा में जब कि गरीब किसान शकर के खरीदने में असमर्थ हैं तो उसके ऊपर गुड़, राब और खांडसारी के टैक्स में बढ़ोत्तरी करना बहुत बड़ा अन्याय होगा । सरकार को इस विषय पर गहराई से विचार करना चाहिये।

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

एक ओर हम यह चाहते हैं कि मिल एरिया १० मील तक सीमित किया जाय और गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय और दूसरी ओर यह बात भी है कि उत्पादन कैसे बढ़े ? इसके लिये हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक हम किसानों को पूरे साधन नहीं देंगे तब तक बढ़ोत्तरी के बजाय घटोत्तरी ही होगी। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों से इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि किसानों को उनके गन्ने का मूल्य समय से नहीं मिला। साल भर मेहनत करके वे गन्ना पैदा करते हैं अगर समय से पैसा नहीं मिलेगा तो किसान उसकी तरफ से उदासीन हो जावेगा।

मंत्री महोदय ने बतलाया कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में १५ लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने यह भी बतलाया कि ८॥ लाख टन अब तक चीनी का उत्पादन होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें दुगुने पर उत्पादन ले जाना है। जब गन्ने पर कोई टैक्स नहीं था तो हमारे उत्पादन की यह हालत थी और जब आप दैनिक आवश्यकताओं की चीज, गुड़, खांडसारी और राब पर टैक्स का प्रतिबन्ध लगा देंगे तो फिर आप यह आशा कैसे किसानों से कर सकते हैं कि वे उत्पादन को बढ़ायें, उसमें दिलचस्पी लें। अगर इस तरह किसानों पर कर भार डाला गया तो किसान उत्पादन में दिलचस्पी लेना छोड़ देगा और उत्पादन घट जायगा।

इसके अतिरिक्त अब तक जो किसानों को गन्ने के मूल्य का रुपया दिलाने की व्यवस्था रही वह इस प्रकार रही कि किसानों को मूल्य मिलने में कुछ असुविधायें रहीं। असल में सरकार किसानों को गन्ने का मूल्य जल्द से जल्द दिलाना चाहती है, लेकिन उसके लिये जो सरकार इसमें संशोधन ला रही है, मैं समझता हूं उससे किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं। मेरे खयाल में सरकार को इस प्रकार के नियम निर्धारित करने चाहिये कि किसानों को उनके गन्ने का मूल्य एक निर्धारित समय में मिल जाय। जब तक इन नियम का पालन मिल वालों से सख्ती से न कराया जायगा उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मिल मालिक अपनी इच्छा से किसानों को कोई सुविधा देने वाले नहीं हैं। आज बड़े-बड़े मिल मालिकों से पैसा दिलाने में सरकार हिचकिचाती है, यह बात समझ में नहीं आती। एक ओर सरकार कहती है कि वह देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। लेकिन करोड़ों रुपया जो गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है उसको देने के लिये उनको बाध्य नहीं करती। यह समाजवाद के बिलकुल प्रतिकूल है। सरकार को इस करनी और कथनी के अन्तर को मिटाना चाहिये और सरकार को समाजवाद के विरुद्ध जाने वाली नीतियों को छोड़कर उसके अनुकूल नीतियों को अपनाना चाहिये।

अभी मंत्री जी ने यह बताया कि कोल्हू के लाइसेंस दिये जायेंगे और जो लाइसेंस नहीं लेगा उसके विरुद्ध सजा तक की कार्यवाही की जायगी। श्रीमन्, यही बुनियादी गलती है जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजों को पैदा करता है वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने उपभोग की वस्तुओं का निर्माण न कर सके, यह दुख की बात है। सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये लोगों को साधन जुटाये, १०-२० मील के एरिया में इस प्रकार के साधन उसको जुटाये जिससे कि पैदावार बढ़े। यदि गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है तो प्रत्येक किसान यही समझेगा कि गुड़, खांडसारी और राब से जो गन्ना बचता है उसको मिलों को दें और नकद पैसा प्राप्त करें। अतः इस प्रकार का नियंत्रण लगाना बहुत गलत बात होगी और किसानों को सजा देने की व्यवस्था रखना तो उनके साथ बहुत ही ज्यादती होगी।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। जो गन्ने का एरिया है, हम एक ओर तो उनको प्रतिबन्धित करते हैं कि वे गन्ना मिलों को दें और दूसरी ओर मैंने यह भी देखा है कि हजारों बीघा खेत सूख जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बाराबंकी जिले की बात खास तरीके से सरकार के सामने रख देना चाहता हूं कि गन्ना मिलें किस तरह से अपनी मिलों को चलाती हैं और किस तरह से सीमित एरिया के किसानों का गन्ना भी समय पर नहीं लिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उनका गन्ना सूख जाता है, रस कम निकलता है और इस तरह से किसानों का बहुत बड़ा

नुकसान हो जाता है। सरकार को इस ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिये कि जहां हम एक ओर किसानों को प्रतिबंधित करते हैं वहां मिलों पर भी इस प्रकार का नियंत्रण रखना चाहिये कि वे निर्यंत्रित क्षेत्रों में जो गन्ना मिलों द्वारा पर्चियां बांटी जाती हैं उनको वे वक्त से ले लिया करें। मिलें वक्त से पेरें। ऐसा अगर नहीं होता है तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो १६ नये पैसे से अब ३२ नये पैसे टैक्स हो जायगा जिसका कारण यह बताया है कि गन्ना किसान अधिक से अधिक मात्रा में मिलों को दें। यह किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इस प्रकार की कठिनाई पैदा करने से सरकार की जो मंशा है कि चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन हो वह पूरा नहीं होगा। इसके अलावा किसान गन्ने के उत्पादन से उदासीन हो जायगा और इसकी खेती छोड़कर अन्य प्रकार की खेती में लग जायगा। नतीजा यह होगा कि उत्पादन का लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा बल्कि उत्पादन गिर जायगा।

एक बात और मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में शक्कर का अभाव है। हमारे उत्पादन का वितरण सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के हाथ में हो यह अजीबोगरीब बात है। हम अपने घर में खाना बनाते हैं, लेकिन हम उस खाने को न खा सकें और हमारा पड़ोसी या बाहर का आदमी कहे कि आप अपने घर में कितना खाते हैं, इतना खायें इतना न खायें, यह बड़े शर्म की बात है। सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार की नीति निर्धारित करे कि जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है उसको हमारे प्रदेश के उत्पादन के हिसाब से, जनता की जरूरतों के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से जब तक हमारी जरूरतें पूरी न हो जायं तब तक शकर बाहर न भेजी जाय। जरूरत से बचने के बाद जो बढ़े वह भेजी जाय। श्रीमन्, आये दिन प्रदेश के कोने-कोने से इस बात की शिकायत आ रही है कि शकर नहीं मिल रही है। दो सवा दो रुपये सेर १८०, २०० और २२५ रुपये बोरी के हिसाब से शकर बिक रही है यह बहुत ही खेद की बात है कि उत्पादन करने वाला व्यक्ति जो खाना इस आशा से बनाता कि वह अपने शरीर का पोषण करेगा उसको वह न मिले, उसकी विवाह और शादी तथा विभिन्न त्योहारों के लिये उसे शकर न मिले यह बड़े ही खेद और क्षोभ की बात है। मैं सदन का अधिक समय न लेकर इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि किसानों पर जो गन्ना क्रय-कर में बढ़ोत्तरी की जा रही है उसको समाप्त किया जाय और गुड़, खांडसारी, राब के नियंत्रण से किसानों को मुक्त किया जाय ताकि वह स्वतंत्रता के साथ पहले की भांति अपना उत्पादन कर सकें। इस ओर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को ६ मास के लिये जनता तथा गन्ना उत्पादकों की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

रामकिशोर जी, आपने अपना संशोधन पहले पढ़ दिया था ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जी हां, मैंने पढ़ दिया था।

श्री रामायणराय—

अब श्रीमन्, कौन बोलेगा जो इसके सिद्धान्त ....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी है वही सही है।

श्री रामायणराय—

अब जो रामकिशोर जी के संशोधन पर बोलना चाहें वह बोलें और जो संशोधन का विरोध करना चाहें कर लें ....

श्री उपाध्यक्ष---

बात यह है कि प्रस्ताव विचार करने का हो गया और अब जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव भी आ गया है और अब एक संशोधन और है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। इन तीनों पर बहस साथ ही चलेगी। जो इसके सिद्धान्ततः विरोधी हैं वह कह सकते हैं कि हम सिद्धान्ततः इसका विरोध करते हैं, जो प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में हैं वह वहां भेजने के लिये कह सकते हैं और जो परिचालन के पक्ष में हैं वह परिचालन के लिये कह सकते हैं, बहस सब साथ ही चलेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र---

सिद्धान्त पर कब बोलने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

पहले प्रवर समिति का श्री कल्पनार्थसिंह जी प्रस्ताव कर दें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का तहेदिल से विरोध करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह संशोधन पेश कर रहे हैं अपना या नहीं ? अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं कमलासिंह और जो और २ सदस्य हैं उनसे पूछूंगा और अगर कोई नहीं कहेगा तो मैं आपको बोलने दूंगा .....

श्री कल्पनार्थसिंह---

इसीलिये तो मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, तो झगड़ा ही खत्म हो गया।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं चाहता हूं कि इसका विरोध करूं और विरोध करने के लिये ही मेरा यह मत है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और प्रवर समिति, जनमत संग्रह, या संयुक्त प्रवर समिति में जहां भी यह विधेयक जायगा यह रिजेक्ट किया जायगा और इसलिये मैं यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि "उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इस विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और जो अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों, चीनी उत्पादकों, चीनी मिलों, खंडसारी बनाने वालों और गुड़ बनाने वालों के इतिहास में एक क्रम है कि हर ४ साल बाद गन्ना अधिक पैदा होगा और हर चार साल बाद गन्ने की कमी हो जायेगी। यह बढ़ोत्तरी और घटोत्तरी किसान नहीं करता, मिल मालिक नहीं करते बल्कि केन्द्र की सरकार करती है जिस से प्रदेश के किसान का बहुत बड़ा अहित होता है। सब से पहले गन्ना क्रय-कर विधेयक, १९६१ में पेश किया गया। उसके बाद १९६२ में संशोधन उसमें किया गया मामूली सा। इस बार आप देखेंगे तो पायेंगे मूल अधिनियम में १४, १५ धारायें हैं उन सभी में करीब-करीब संशोधन हो रहा है, करीब आधे से ज्यादा में संशोधन हो रहा है। हर क्लाज में संशोधन किया जा रहा है। किस लिये ? उद्देश्य और कारण में सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्य कारण यह है कि १५ लाख टन चीनी बनाने की सीमा केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश के लिये निश्चित की है। पिछले साल प्रदेश में साढ़े आठ लाख टन चीनी पैदा हुई थी। इस बार १५ लाख टन चाहते हैं,

और किसके बल पर कराना चाहते हैं ? हम लोग जब १९६२ में चुन कर आये तो आवाज उठायी कि बस्ती में खेतों में खड़ा गन्ना जलाया गया, लेकिन आज सरकार की निश्चित नीति न होने के कारण गन्ने की पैदावार घट रही है। गुड़ और खांडसारी यूनिटों पर प्रतिबन्ध लगा कर सरकार उनको मारने जा रही है चीनी मिल मालिकों के हक में। मिल मालिक मुनाफा उठायेगा, उसको टैक्सेज में छूट दी गयी और अगर किसान कहेगा कि हमारे गन्ने का दाम दो रुपया मन दिलाया जाय तो सरकार मना कर देगी। हर हालत में सरकार किसानों का गला काटना चाहती है, पूरे प्रदेश के चीनी उपभोक्ताओं का गला कटाने पर तुली हुई है। कहते हैं १६ नये पैसे से क्रय-कर बढ़ा कर ३२ नये पैसे कर दिया जायगा अधिक चीनी बढ़ाने के लिये। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की नीति समाजवादी नहीं है। गृह उद्योगों को बरबाद करने पर सरकार तुली है, यह विधेयक रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। करना क्या चाहिये था सरकार को ?

करना यह चाहिये था कि गन्ने की सुक्रोज की जो परसेन्टेज थी उसको बढ़ाने की कोशिश करती। इस सरकार को चाहिये था कि वह किसानों को इतनी सुविधा देती कि वे गन्ने की पैदावार बढ़ाते। रिसर्च की जाती कि इस तरह गन्ने की पैदावार बढ़ाई जाती है। अलग-अलग वेरायटी पैदा की जाती जिससे गन्ने का सुक्रोज परसेन्टेज ज्यादा आता, लेकिन ऐसा न करके किसानों के ऊपर उल्टे प्रतिबन्ध लगा दिये गये। यह सरकार की अदूरदर्शिता का ही प्रमाण है कि आज चीनी का भाव क्या है और पहले क्या था। अगर गन्ना ज्यादा पैदा होता तो किसान खुशहाल होता और अगर किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोता तो आज चीनी की कमी न होती। हमारे यहां कहा जाता है कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ने का दाम। पर सरकार ने मिलों को टैक्स में छूट दे दी है परन्तु किसानों का कोई भला नहीं सोचा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज किसानों ने मिलों को गन्ना देना मना कर दिया है। किसान इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि वे गन्ना मिलों को नहीं देंगे। यह किस नीति का परिचायक है, यह किस बात का द्योतक है कि यह सरकार मिल मालिकों को, बिरला और टाटा को, बराबर छूट देती चली जा रही है यह सरकार, नेहरू की सरकार। इस सरकार ने भी सिफारिश की थी कि २ रुपये प्रतिमन बढ़ा दिया जाय, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो दिल्ली में है, मुझे अफसोस है ने नहीं माना। अगर उनके अफसर बैठकर सुनते तो यह जरूर समझते कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार आज उत्तर प्रदेश के किसानों का गला घोंटने पर उतारू है। उस सरकार को अपनी चिन्ता होनी चाहिये, केन्द्रीय सरकार को जहां लालबहादुर शास्त्री बैठते हैं और और लोग बैठते हैं उनको ज्यादा चिन्ता होनी चाहिये प्रदेश की। उसमें कमी पैदा की गयी। चीनी मिल मालिकों से अधिक पैसे में चीनी खरीद कर खाद्य का व्यापार किया और आज जब चीनी की मांग बढ़ी तब इस सरकार ने चीनी की कमी का नाटक रचना शुरू करके और मिल मालिकों को साहस देकर। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जब सुमात्रा की चीनी यहां आती थी, वह चीनी देने के बजाय जब हमारी चीनी का युग आया तो आज सरकार ने बन्दिश लगा कर किसानों का गला घोंटना शुरू कर दिया। एक ओर सरकार यह चाहती है कि चीनी का उत्पादन बढ़े और दूसरी ओर किसानों के ऊपर बन्दिश लगायी जाये तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। मैं माननीय बंशीधर जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार को सलाह दें कि अगर आप इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं तो इस प्रकार से गन्ने का उत्पादन नहीं होगा। गन्ना उत्पादकों का हित आज इस बात में है कि उनकी जायज मांगें स्वीकार की जायं और जब तक यह नहीं होता तब तक इस प्रदेश में चीनी की पैदावार अच्छी नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातों की ओर जो ये संशोधन कर रहे हैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जहां तक ३२ नये पैसे की बात है यह इसलिये किया जा रहा है कि खांडसारी का उत्पादन मंहगा बना दें। यह कहां तक उचित है ? चीनी मंहगी पैदा करें और फिर कहें कि नहीं, खांडसारी भी मंहगी बना देंगे। खांडसारी कौन खाता है, बाबू लोग जो लालफीता शाही के मास्टर हैं ? वे तो सफेद चीनी खाते हैं। खांडसारी खाने वाला तो देहात का गरीब किसान है और खांडसारी की

[श्री कल्पनाथसिंह]

मिठाई बनाने वाला छोटे-छोटे कस्बों का हलवाई है। आप माफ करें मुझे कहने के लिये। एक साहब को चीनी नहीं मिली। उनके नौकर ने ब्लैकमार्केट से खांडसारी खरीद ली और उनकी चाय में मिला दी। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा कि कैसी चीनी ले आये? उसने कहा कि दुकान से तो चीनी मिली नहीं, बाजार से खरीद लाया हूं। उन्होंने मेरे सामने चाय उठा कर फेंक दी और कहा कि मैं खांडसारी की चाय नहीं पीयूंगा, फिर से कोशिश करो और सफेद चीनी लाओ। तो वह खांडसारी जिसको हाकिम लोग खाते ही नहीं, जिस से उनको बदबू आती है उसकी भी कीमत बढ़ाने पर यह सरकार तुली हुई है। उसकी कीमत अगर कम रखे तो अपने आप खांडसारी बनाने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, वह गन्ना नहीं खरीदेगा और वह गन्ना सीधे मिलों को मिलेगा। आप उस खांडसारी को मंहगी क्यों कर रहे हैं? उनको सीधे-सीधे यह कहना चाहिये कि हम खांडसारी इसलिये मंहगी कर रहे हैं कि खांडसारी की यूनिट इतनी अधिक मंहगी हो जाय कि वह न गन्ना खरीदे न उसे पेरे, न खांडसारी बनाये और इनकी कृपा मिल मालिकों पर बनी रहे। क्या आपने २० प्रतिशत की छूट मिल मालिकों को उस चीनी पर नहीं दी है जो वे परसाल से अधिक पैदा करेंगे? और गरीबों के लिये १६ से ३२ नये पैसे करेंगे यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है? आप उल्टी बात करने की कोशिश मत करिये।

इसमें यह भी प्राविधान करते हैं कि जेल भेजा जायगा। ठीक है, जेल भेजिये, लेकिन कितने मिल मालिकों को आज तक आपने जेल भेजा है? किसानों का करोड़ों रुपया उन पर बकाया रहता है, लेकिन किसान एक-एक आने की मालगुजारी के लिये हवालात में बन्द किया जाता है। उसी तरह जो छोटी खांडसारी यूनिट वाला होगा, जो रिश्वत नहीं दे सकेगा उसको अनियमितता का चार्ज लगा कर ये बन्द कर देंगे। आपके कानून में है कि माल का बकाया या टैक्स का बकाया रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जायगा। लेकिन आपने कितने मिल मालिकों को इस सम्बन्ध में जेल भेजा है? मैं समझता हूं कि यह सरकार यह सारा संशोधन विधेयक इसलिये ला रही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का गला कटे और इसके पीछे केन्द्रीय सरकार की साजिश है। उस साजिश से श्रीमन्, आप बचायें और इसलिये मैं इस हाउस से निवेदन करूंगा कि इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश करे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह कम्पोजिट लेवी का प्रस्ताव तो पारसाल भी था और पारसाल के मार्च के गजट में यह नोटीफाई हुआ था। जहां तक उसका ताल्लुक है, मेरे खयाल में मुनासिब ही बात है क्योंकि जो वजन पर टैक्स लगता है उसमें जो कर्मचारी देहात में वसूल करने और टैक्स लगाने जाता है उसको काफी छूट मिल जाती है और करप्शन का रास्ता खुल जाता है और जो छोटे-छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको भी काफी कठिनाई होती है। लेकिन पारसाल जो कम्पोजिट लेवी लगी थी, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, वह बेलन की साइज पर लगी थी। तो पारसाल तो जिसको लाइसेंस मिल गया उसको चौबीसों घंटे चलाने की छूट थी, लेकिन इस साल तो ११ घंटे चलायेगा। लिहाजा उस लेवी को उसी हिसाब से इस साल लगा देना बड़ा अतरफ का हो जायगा। लेवी के दो पहलू हैं। एक तो प्रोड्यूसर की रक्षा के लिये और दूसरे प्रोडक्शन को डिस्करेज करने के लिये, दोनों काम होते हैं। जब प्रोड्यूसर की रक्षा करनी हो और मशीनरी भी पवित्र हो तब तो ठीक वही है कि जितना गन्ना पेरे उस पर टैक्स लगे। मशीनरी पवित्र न हो तो अच्छा यही है कि कम्पोजिट लेवी लगा दे। लेकिन कम्पोजिट लेवी इतनी लगा दे कि वह उतना गन्ना पेर ही न सके यह शायद मुनासिब न होगा। मंत्री महोदय इस प्वाइंट को देखलें कि वह पहला गजट न दोबारा इस समय रख दिया जाय, बल्कि उसमें टाइम का भी खयाल रखना चाहिये।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहता था वसूलयाबी की एजेन्सी के बारे में। गन्ना विभाग से ही टैक्स वसूल करने के लिये एक तो टैक्स वसूल करने वाली एजेन्सी है, एक लाइसेन्स की फीस वसूल करने वाली एजेन्सी है। सन् १९३७ में जब पहले-पहले कांग्रेस गवर्नमेंट हुई उन दिनों यह कायदा था कि मालगुजारी वसूल करने के लिये ५ फी सदी मालगुजारी का हिस्सा नम्बरदार को मिल जाता था, पचोतरा उसको बोलते थे। फिर और वसूलयाबी बढ़ी, इरीगेशन की भी हुई। तो ५ फ़ीसदी मालगुजारी की और ५ फीसदी इरीगेशन की यह बहुत हो जाता था। तो यह सोचा गया कि दोनों एजेन्सी अलग-अलग हों या यह मुमकिन नहीं कि एक ही एजेन्सी हो जाय। तो फिर अमीन रखे जाने लगे। अभी आप गाजियाबाद चले जाइये तो वहां एक कालोनी बसी हुई है हिन्डन ब्रिज पर। यह कौन है ? यह फलां टैक्स वसूल करने वाले हैं, ये फलां टैक्स वसूल करने वाले हैं। हर टैक्स वसूल करने वाली एजेन्सी अलग-अलग हैं। पंजाब में ऐसा कायदा नहीं है। वसूलयाबी की एजेन्सी एक ही है यह बात विचारणीय है। अगर वसूलयाबी की एजेंसी एक हो जाय तो टैक्सों से कुछ बचत हो, वरना जितनी टैक्सों से आमदनी हो उतना ही वसूल करने में खर्च कर दें तो टैक्स लगाने से क्या फायदा होगा ? मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हुआ। उसमें ६० हजार की आमदनी थी और ७०/८० हजार का खर्चा था। तो इस से क्या फायदा है ? इसलिये इसको सोचना चाहिये कि वसूलयाबी के लिये एक यूनिफाइड एजेन्सी हो तो कुछ बचत के चान्सेज होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों में दो बातों की चर्चा है। एक तो कम्पोजिट लैवी की और दूसरी १० मील के एरिया में रिजर्व जोन बनाने की। इसके अलावा असाइन्ड एरिया बनाने की बात है और कोई चर्चा नहीं है। मैं अभी सहारनपुर गया था और वहां की सारी मिलों की पोजीशन को देखा था। अभी तक जो बाउंडेड केन है वह इतना है कि सारी फैक्टिरियां जून तक चलेंगी और शायद जुलाई तक चल जायें। यह जो आपने आर्डर निकाला है कि दो तिहाई गन्ना किसान मिल को दे, इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसका हिसाब लगाया जाय कि अगर सारा गन्ना मिलों में पहुंच गया तो वह कब तक पेर पायेगी। यह बात बहुत महत्व की है। चाहे आप १० मील का एरिया बढ़ायें या २० मील का बढ़ायें इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जिनके लिये आप बढ़ा रहे हैं वे जिन्दा भी रहेंगे या मर जायेंगे। अच्छी बात तो यह है कि सरकार अपने पास पावर रख ले और जरूरत हो तो बाद में एन्फोर्स करे। जून में जिस किसान का गन्ना जायगा वह तबाह हो जायगा। उसकी मुसीबत हो जायगी।

मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है कि फैक्टरियां चलें और जितना गन्ना उनको चाहिये वह मिलना चाहिये। जहां किसान पर गन्ना देने की पाबान्दी है वहां इस बात की भी पाबन्दी होनी चाहिये कि उनको दो रुपये मन गन्ने का दाम मिले। मार्च के बाद किसान के पास साधन नहीं रहते हैं। मार्च के बाद अगर मिल वालों ने मुंह फेर लिया तो किसान तो मर जायगा। अगर आपको अपनी बात से हटना पड़ा तो आपको मरना होगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि प्राइसेज कायम रहेंगी। ऐसा न हो कि किसी के गले में सांप पड़ जाय। मेरा कहना यह है कि यह आपका दस मील का एरिया ज्यादा न हो जाय, इसको आप देख लें क्योंकि बार-बार बदलना ठीक नहीं है।

एक बात की मुझे और शंका हुई कि उन्होंने यह कहा कि मिल एरिया में भी कोल्हू के लाइसेंस करेंगे। अगर यह बात कही है तो बहुत गलत बात कही है। इस बिल के उद्देश्य में यह शामिल नहीं है। उसकी चर्चा न होते हुये आप यह नहीं बढ़ा सकते हैं। जो इसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स हैं, यू कैन नाट गो बियांड दैट, । (you cannot go beyond that) कर का विधेयक है, लाइसेंसिंग ऐक्ट थोड़े ही है जो सभी चीज इसमें भर देंगे। मैं समझता हूं कि यह बात बड़ी सीरियस है। अगर यह गलत बात हो तो मंत्री जी तरदीद कर दें और मैं इसको न कहूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

पावर ऋशर पर लगेगा।

श्री फूलसिंह--

पावर क्शर पर अब भी लाइसेंस है। तो वह ठीक है। भूल कर भी वोल्टेज पर लाइसेंस न सोचियेगा। यह किसान की जिन्दगी-मौत का सवाल है। इस बिल में काफी चीजें हैं जो सोचने वाली हैं। इनको जरा थोड़ा-सा ढीला रखना चाहिये ताकि आपको गुंजायश रहे जिससे किसान की भी रक्षा हो सके। और बातें इस वक्त कहने की आवश्यकता नहीं है, कितना पैसा बकाया है, क्या है। पर यह दो तीन बातें आपके निवेदन के लिये रखना चाहता हूं।

श्री रामायणराय--

मान्यवर, मेरी अपनी राय यह है कि इस सदन को माननीय मंत्री जी को इस तरह का बिल लाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। इसमें जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और इसका जो लक्ष्य रखा गया है उस में कोई सामंजस्य नहीं है। लक्ष्य रखा गया है कि १५ लाख टन हम चीनी बनाना चाहते हैं इस वर्ष और इसलिये यह जरूरी समझा गया कि शक्कर मिल के जो रिजर्व एरियाज होंगे उनके ऊपर गुड़ और खांडसारी बनाने वाली इकाइयों के ऊपर परसेज टैक्स, १६ से बढ़ाकर ३२ कर दें। पैरिटी लाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि गन्ना डाईवर्ट होकर इन यूनिट्स में न चलाया जाय, अधिक से अधिक शक्कर मिलों को मिले जिससे १५ लाख टन को पूरा कर सकें। लेकिन मैं आप के सामने पिछले दिनों का जो लक्ष्य हमारे सामने है, उस चित्र की ओर, उन आंकड़ों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १९६०-६१ में लगभग १४ लाख टन चीनी बनी। उस वर्ष गन्ना मिलों की क्या हालत थी? कितने महीने चलती रहीं? जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत ही सारगर्भित ढंग से संकेत करके छोड़ दिया मैं साफ अर्ज करना चाहता हूं। १४ लाख टन चीनी हम बना चुके हैं। आपने १५ लाख टन का लक्ष्य रखा है। उसकी पूर्ति के लिये जनता के ऊपर अतिरिक्त कर का भार क्यों लादने जा रहे हैं? एक भेद नीति चलाना चाहते हैं। इस राज्य में अभी हाल ही में गन्ने के मूल्यों के संबंध में आप ने एक भेद नीति चलाई उसका जो परिणाम हुआ वह आप के सामने है। पुनः आप वही भूल दुहराने जा रहे हैं, एक डिस्पैरिटी आपने गन्ने के मूल्य में कायम की। मैंने इसी सदन में आपको उस समय भी चेतावनी दी थी कि आप ऐसा न करें, यह आपकी भयावह नीति है। पुनः आपके द्वारा मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद पुनः ऐसी एक भयावह स्थिति पैदा होगी कि जिस स्थिति का मुकाबिला आप नहीं कर सकेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य अगर इस बिल के सारे विधान को ठीक-ठीक ढंग से समझ जायं और मैं समझता हूं कि जरूर समझते होंगे तो उनमें से प्रत्येक ऐसा आदमी जो अपने को किसान का हितैषी कहता है इस बिल का मेरे ही शब्दों में विरोध करेगा और माननीय मंत्री जी को यह समझाने की चेष्टा करेगा कि आप अपने दुराग्रह को छोड़ दीजिये। विभागीय अधिकारी पुनः आपसे वही गल्ती दूसरे शब्दों में दुहराने जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आप से अर्ज करूं, आखिर अगर आपका लक्ष्य है १५ हजार टन पैदा करना, तो अर्थ शास्त्र का मोटा सिद्धान्त है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये केवल रा-मेटीरियल की तरफ ही कोई आपका ध्यान नहीं जाना चाहिये था। लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरप्राइज, उत्पादन के जो ये विभिन्न साधन हैं उन प्रत्येक साधनों को एक बार झकझोर कर आपको देखना चाहिये था कि आखिर भूल हमसे कहां हो रही है। उन भूलों को परिष्कार के लिये आप यहां प्रयास करते तो न केवल इस धंधे का ही कल्याण होता बल्कि इस धंधे में लगे हुये उन लाखों और करोड़ों मानवों का भी कल्याण होता जिनके कल्याण का आपने ठेका ले रखा है। लेकिन ऐसी वैज्ञानिक विधि आपने अख्तियार नहीं की। आपका यह काम वैसा ही है कि जैसा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में देखा कि कुछ अधिकारियों ने एक सुझाव दिया इस राज्य सरकार को कि आगरा की तरफ से डेजर्ट बढ़ रहा है उसका बढ़ना अगर रोकना है तो आगरा से मथुरा तक दो मील लम्बी सड़क दरख्तों की लग ही जाय। उन अधिकारियों ने यह जानने

की चेष्टा नहीं की कि यह जो सड़क बनाई जायेगी उसके बीच में कितने गाँव होंगे, कितनी खेती योग्य भूमि होगी। कमरे में बैठ कर यह योजना बनाई जाती है और उन लोगों द्वारा बनाई जाती है जो सचमुच प्रदेश के किसानों के सही दुश्मन हैं। पता नहीं आपको फुर्सत होती या नहीं, पता नहीं कहां तक मेरे लिये वांछनीय और उचित होगा, मान्यवर, कल भी जब आपकी उपस्थिति में समय का निर्धारण इसके लिये हो रहा था उस समय मैंने देखा कितनी अज्ञता है इस बिल के बारे में। मैं ऐसा समझता हूं कि इस नाजानकारी के कारण या कामों में फंसे रहने के कारण शायद गल्ती से माननीय मंत्री जी ने इस बिल को सदन में रख दिया क्योंकि ऐसा सुना है कि गन्ने के मूल्य के बारेमें जो उनसे भूल हुई है उस भूल का शायद उधर से परिष्कार करने का प्रयत्न हो रहा है। अगर कोई प्रयास हो रहा है गन्ने के मूल्य के बारे में तो यह बिल कहां तक उस प्रयास के अनुकूल पड़ता है, जरा इसे देखने की आप कृपा करें। जैसाकि अभी माननीय फूलसिंह जी ने बताया इसके उद्देश्य और कारणों में तो केवल दो बातें दी गई हैं। लेकिन अगर पूरे बिल की बाडी के ऊपर, उसके पूरे आकार और प्रकार के ऊपर विचार करते हैं तो उसमें केवल इतनी ही बात नहीं है। माननीय कल्पनाथसिंह जी कहते-कहते रुक गये, मैं माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य को इससे अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर यह बिल पास हो गया तो हमारा यह सिद्धान्त कि हम जन-जन को राहत देना चाहते हैं, हमारा यह सिद्धान्त कि हम छोटे और कुटीर उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, यह सिद्धान्त नष्ट हो जायगा। अगर बिल पास हो गया मान्यवर, तो केन कमिश्नर को और इन अधिकारियों को हम एक इतना बड़ा अधिकार देंगे कि जिस अधिकार के चलते ५ हजार रुपया जुर्माना और ६ महीने की कैद वह किसी को भी कर सकेंगे। मान्यवर, दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो कुछ कार्यवाही होगी उसके लिये उनको संशोधन से वे अधिकार बेलगाम दिये जा रहे हैं। अभी मन्त्री जी ने बड़े मोहक शब्दों में कहा कि केन कमिश्नर जो लाइसेन्स देने का अनलिमिटेड अधिकार रखता था उस को हम सीमित करने जा रहे हैं इस बिल के द्वारा, लेकिन, माननीय सदन के सदस्य यदि उस प्राविधान को देखेंगे तो उनको यह ज्ञात होगा कि जो नई व्यवस्था होने जा रही है वह नई व्यवस्था उसे एक निरंकुश शासक बनाने जा रही है, इसलिये कि जनहित के नाम पर जिसको चाहेगा वह लाइसेंस देगा और जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा। जिसका लाइसेंस चाहेगा वह रिन्यू करेगा और जिसका नहीं चाहेगा, नहीं करेगा। यह सारी बातें आप इस बिल के द्वारा करने जा रहे हैं।

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि यदि सचमुच आपका यह इरादा है, आप सचमुच चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो उस चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आपको यह फैसला करना होगा कि जो मिलें सन् १९०६ से चल रही हैं उनमें बहुत-सी ऐसी मिलें हैं जो जर्जर हो गई हैं। सीजन में कई बार उनमें ब्रेक डाउन होते हैं। उनके अन्दर यदि आप एक एरिया को एसाइन कर देते हैं और एक एरिया के गन्ने को आप उन चीनी मिलों से बांध देते हैं, तो क्या आपने कभी यह सोचा है और यह आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मिल वाले उस काश्तकार के गन्ने को अवश्य उस अवधि के भीतर नहीं पेरेंगा तो उस मिल वाले को क्या आप दंड देंगे? मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आये हैं, ऐसी स्थिति यहां आई हैं कि काश्तकारों ने लाखों मन गन्ना जला दिया। अगर सरकार ऐसी जिम्मेदारी एक अवधि के भीतर किसानों की गाढ़ी कमाई का गन्ना पेरने की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो क्या उस सरकार को ऐसे कानून के बनाने का अधिकार है? जरा हृदय पर हाथ रखकर टटोलें कि आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप को उन मिलों को अवश्य देखना होगा। उन मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की वर्किंग कंडीशन को देखना होगा और उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करना होगा। जो भी आज रा-मैटीरियल आज पैदा होता है, उसके लिये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ३०, ३२ परसेन्ट उसका आज मिलें पेर सकती हैं। टोटल प्रोडक्शन का हमारी स्टेट का ६० परसेन्ट गन्ना कोल्हू और खांडसारी में जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि ६० प्रतिशत गन्ना कोल्हू और खंडसारी यूनिटों में खपता है। इस कानून के पास करने के बाद क्या आप ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि यह गन्ना यह मिलें पर सकेंगी? यह एक अव्यवस्थित

[श्री रामाधीणराय]

नीति है। चाहे मिलों का मामला हो, चाहे श्रमिकों का मामला हो और चाहे फैक्टरी का मामला हो सब के प्रति अव्यवस्थित नीति है। यही कारण है कि यह धंधा दिन प्रति दिन दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है। आये दिन इस सदन में चीनी और चीनी खाने वालों के करुण-क्रन्दन हमको सुनने को मिलते हैं। मान्यवर, हमने बार बार इनसे कहा कि अपने प्रदेश में इतना बड़ा धंधा जो है उस को यदि आप बचाना चाहते हैं तो इनके सम्बन्ध में कोई साफ नीति अपनाइये, क्योंकि एक साल गन्ना ज्यादा पैदा होता है और एक साल कम पैदा होता है। कभी सरकार ने इस पर सोचा है? बहुत जरा सी बात है। गन्ना उस साल ज्यादा पैदा होता है जिसके पहले साल गन्ने के काश्तकारों को उससे कुछ पैसा मिलता है। जिस साल उनको अपना गन्ना जलाना पड़ता है उसके दूसरे साल गन्ने की उपज कम हो जाती है। तो आपकी इस अनिश्चित नीति ने इस धंधे को चौपट कर रखा है। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने के पहले आप को एलान करना चाहिये था कि हम इस प्रदेश में इस धंधे को व्यवस्थित ढंग से चलायेंगे। कोई राजनीति के लिये माननीय गेंदा सिंह जी बार बार आप से आग्रह नहीं करते कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय। यदि आप स्वयं अर्थशास्त्रीय ढंग से इस पर विचार करेंगे तो उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर कि हम आये हैं। आखिर में मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि यह तो आप ३२ पैसे प्रति क्विन्टल करने जा रहे हैं इस का प्रभाव कहां पड़ेगा? १० मील के घेरे में जो रिजर्व एरिया है उसके अंदर अगर कोई इकाई लगी हुई है तो वह क्यों है और उसे कौन कायम करता है? उसका मतलब ही यह है कि वहां इतना ज्यादा प्रोडक्शन है कि वहां उत्पादित गन्ने को मिलें खपाने में असमर्थ हैं। तो एक वैज्ञानिक ढंग से इस प्रश्न पर आप सोचिये और उसके बाद एक व्यापक कानून सदन के सामने लाइये।

जहां तक लेवी का सवाल है, माननीय फूलसिंह जी ने संकेत किया कि कंपोजिट लेवी का सिद्धांत इस बिल द्वारा अपनाया जा रहा है। एकमुश्त रकम अनुमानित कर दी जायगी और बिल के अन्दर जो व्यवस्था है उसके अनुसार अधिकारी एक यूनिट पर जितना चाहें अनुमान से लेवी लगा देंगे। आपने यूनिट की परिभाषा भी बदल दी है। अब नयी परिभाषा में आपने कोल्हू, खंडसारी यूनिट, राब बनाने वाले, गुड़ बनाने वाले, सभी को रख दिया है जिससे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। और इससे अधिकारी छोटी इकाई वालों पर मनमाना अनुमान लगा देंगे। किसी को न्यायालय में जाने का हक न होगा। उन्हीं के यहां उनको अपील करनी है कि जो लेवी लगाने वाले हैं। तो बहुत-सी भयावह वस्तुयें इसमें हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने विभाग के कहने पर बहुत जल्दी में यह बिल यहां पर उपस्थित किया है और मंत्री जी भी यहां उपस्थित नहीं हैं। वह शायद दूसरे हाउस में हैं। माननीय बंशीधर जी ने एक रस्मअदाई कर दी है। अभी शान्ति प्रपन्न जी कह रहे थे कि इस पर अध्ययन के लिये उन्हें समय चाहिये। इस में समय लेने की जरूरत नहीं है। यह एक खुली बात है जिससे आप आंख मूंदे हैं। आपकी सरकार की गन्ने की नीति और मिलों के लिये नीति कितनी बुरी है यदि आप को इसका ज्ञान करना है तो इसके लिये गांव में रहने वाले ही नहीं, शहर में रहने वाले भी आज चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार बुरी तरह नाकामयाब हुई है। इन तमाम तथ्यों को देखते हुये मैं यह चाहता हूं कि सरकार कोई दुराग्रह न करे और जनता के कल्याण के लिये इस बिल को वापस ले लें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह विधेयक कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के कहने पर आया है और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह काम नहीं करना चाहिये था। मैं शुरू में यह कहना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन वाले कई वर्षों से लगातार इस बात का बराबर आग्रह करते आ रहे थे कि खांडसारी और गुड़ के विरुद्ध कदम उठाया जाना चाहिये और जब भी हमारे केन्द्रीय या राज्य के मंत्रीगण उनके एसोसिएशन की मीटिंग में भाग लेते थे उन पर यह जोर डाला जाता था कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग समाप्त हो जायेगा

यदि खांडसारी और गुड़ के विरुद्ध कोई प्रभावकारी कदम न उठाया गया ? मैं कल इस संबंध में कुछ बातें रखूंगा ।

श्रीमन्, एक छोटा-सा हिस्सा इस प्रदेश का ऐसा था जहां पर इस ग्रामीण उद्योग-धंधे के जरिये कुछ छोटी पूंजी लगा कर लाखों लोगों की रोजी चला करती थी । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे इस कथन के पीछे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है । मैं यह नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पिछले १५ वर्षों में जितनी बिगड़ी है, उस स्थिति को बिगाड़ने में यह कदम और सहायक होगा । हमारे प्रदेश में जो थोड़े से यह उद्योग धंधे चल रहे थे उनको नष्ट करने में यह कदम होगा । मैं अपने नवयुवक मंत्री, बंशीधर जी से कहना चाहता हूं कि वे जरा इसको अच्छी तरह पढ़ें और फिर उस पर विचार करें । वे नवयुवक हैं, मैं चाहता हूं वे खूब फलें फूलें । मगर इसे जरा विधिपूर्वक पढ़ लें । क्या इस बिल से उसके उद्देश्य और कारण पूरे होते हैं ?

आपने कहा कि गुड़ और खांडसारी वालों ने एक मेमोरेन्डम दिया उससे प्रेरित होकर सरकार को यह बिल लाना पड़ा । आप उस मेमोरेन्डम को कल इस सदन में लेते आयें और यह दिखायें कि उसमें कहां पर यह लिखा है कि जो क्षेत्र टैक्स लगने से रह गये हैं उन क्षेत्रों में भी टैक्स लगा दिया जाय ? क्या उसमें यह भी लिखा है कि उस को भी शामिल कर लिया जाय ? आप उसको कल लायें, और यह सदन उसको देखे । क्या उसमें यह भी लिखा है कि जिन इकाइयों पर पहले लाइसेन्स नहीं था उन पर भी लाइसेन्स लगा दिया जाय ? क्या उन्होंने यह कहा था कि २५ नवम्बर के पहले किसी खंडसारी यूनिट को चलने मत देना ? क्या उन्होंने यह कहा था कि १६ पैसे से ३२ पैसे टैक्स बढ़ा देना ? यह बातें ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूं कि बहुत सोच-समझ कर इस सदन में कहना चाहिये । यह विधेयक जो है वह इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन की इच्छा के अनुसार है । उसकी इच्छा को इसमें पूरा किया गया है । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इंडियन शुगर मिल्स असोसियेशन की इच्छा अगर पूरी हुई तो इस प्रदेश को समूचे देश में पीछे जाना पड़ेगा और यह उद्योग बरबाद हो जायगा । गुड़ और खंडसारी और शुगर इंडस्ट्री का इस प्रदेश का महत्व सारे भारत में है । क्या यह सही नहीं है कि सारे भारत का जो चीनी का उद्योग है हम आधा पैदा करते हैं और आधे में सारा देश है ? क्या यह सही नहीं है कि खंडसारी के उत्पादन में शायद हम सारा का सारा उत्पादन करते हैं ? थोड़ा सा दूसरी जगह उत्पादन होता है । क्या यह सही नहीं है कि गुड़ के उत्पादन में हम सारे देश भर में आधे से भी ज्यादा पैदा करते हैं ? और गुड़ और खांडसारी के विरुद्ध कदम उठा कर न गुड़ खाने वालों से, न खांडसारी खाने वालों और न सफेद चीनी खाने वालों से, सफेद कपड़े पहनने वाले ह्वाइट कालर के लोगों से उम्मीद कर सकती है कि वे इसको अच्छा कह सकेंगे । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर विचार करते समय बहुत ठंडे दिल से सदन इस पर विचार करे और मैं कृष्णानन्द जी राय के लिये खुराक दूंगा जिस पर वे कम से कम विचार कर सकें ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आप अपने प्वाइंट्स देंगे तभी विचार होगा । कुछ सुनें तो ।

श्री गेंदासिंह—

मैं तो आप से ही उम्मीद करता हूं वरना यह समझ लीजिये कि हमारे कहने से कुछ बनता नहीं है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

इतने अंधे तरीके से तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा ।

श्री गेंदासिंह—

यह चीनी का मामला बहुत मीठा होता है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

एक चीनी को आपने देख लिया यह दूसरी चीनी है।

श्री गेंदासिंह--

खैर, उन बातों के चक्कर में तो मैं पड़ता नहीं। यह मीठी बात है मीठे ढंग से पहुंचा सकूं, यह मेरी इच्छा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

चीनी खाने से बीमारी होती।

श्री गेंदासिंह--

डाइबेटिक लोगों के लिये बीमारी होती है। जो बीमार हैं उनके लिये ज्यादा डेंजरस है और जो बीमार नहीं हैं उनके लिये डेंजरस नहीं है। सब से पहली बात जो सिद्धान्त की है वह यह है कि इसमें जो यह लिखा हुआ है कि १० मील के एरिया में उसमें जो प्रिजर्व्ड और रिजर्व्ड एरिया है दोनों में उसमें आप खांडसारी और गुड़ को मंहगा करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गेंदासिंह जी, क्या अभी ज्यादा बोलेंगे ?

श्री गेंदासिंह--

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--

तो अब हम उठते हैं। आप कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के १०॥ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१० दिसम्बर, १९६३।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

दिनांक २४ व २५ अगस्त, सन् १९६३ को रोडवेज मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के वार्षिक सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव नं० १—

कार्यक्षेत्र में रोडवेज विभाग १७ वर्षों की एक लम्बी अवधि समाप्त कर चुका है, लेकिन बहुसंख्यक कर्मचारियों की सेवाओं का स्वरूप अब भी अस्थायी बना हुआ है। एक माह की नोटिस दे कर सेवा समाप्त करना कोढ़ में खाज का काम कर रही है। विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं है जिन्हें विभागीय सेवा में लगे अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं किन्तु विभागीय सुविधाओं से वंचित रखने की भावना से उनकी सेवाएं प्रति तीसरे छटे एवं वर्ष के अन्त में फर्जी तौर पर तोड़कर पुनः चालू की जाती हैं। सेवा के सम्बन्ध में यह कार्य पद्धति दोषपूर्ण ही नहीं वरन अनैतिक एवं कर्मचारियों में विभाग एवं अधिकारियों के प्रति दास्यभाव रखने की सूचक है। सम्मेलन की यह जोरदार मांग है कि एक वर्ष सेवा करने के उपरान्त समस्त विभागीय कार्यवाहियों की सेवाओं को स्थायी रूप प्रदान किया जाए।

प्रस्ताव नं० २—

सम्मेलन इस मत का है कि दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और उस की तुलना में वेतन अथवा महंगाई भत्ता में वृद्धि नहीं की गई है इससे कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक विपन्नता की स्थिति विद्यमान है। महंगाई का स्थायी रूप ले लेने और अब भी बढ़ते रहने की स्थिति में महंगाई भत्ते को वेतन में सम्मिलित करके वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुपात में महंगाई भत्ते को स्थिर करने की परम आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक वेतन आयोग जिसमें कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधि सम्मिलित रहे बैठाया जाए जो उपरोक्त वर्णित तथ्यों की पृष्ठ भूमि में कर्मचारियों के वेतन-क्रम को निर्धारित करे, सम्मेलन की राय है कि महंगाई जिस प्रकार पिछले वर्षों में बढ़ी है उसे देखते हुये रोडवेज के श्रमिकों के पारिश्रमिक में तत्काल अन्तरिम सहायता के रूप में २५ फीसदी की बढ़ोत्री की जाए।

प्रस्ताव नं० ३—

कर्मचारियों के साथ ही विभागीय हित की दृष्टि से सम्मेलन अपने स्थापना सम्मेलन की मांगों को दुहराते हुये निम्नलिखित मांगों की पूर्ति की मांग करता है :

१—सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें अधिकारियों के निरंकुश नीति के कारण उपलब्ध नहीं होतीं ऐसी दुर्व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में संगठन द्वारा ध्यान आकृष्ट किए जाने पर सम्बन्धित अधिकरियों के विरुद्ध अनुशासन की कठोर कार्यवाही की व्यवस्था कर प्रदत्त सुविधाओं को कर्मचारियों के लिए सुलभ करने की नीति ग्रहण की जाए।

२—ओवरटाइम एलाउन्स देने में अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त विधि सर्वथा दोषपूर्ण एवं मनमानी होने के कारण १४–१६ घंटा तक की ड्यूटी करने के उपरान्त भी कर्मचारियों को उचित रूप में ओवर टाइम ऐलाउन्स नहीं मिलता। फलस्वरूप उनकी आर्थिक क्षति होने के कारण उनकी कार्यक्षमता का ह्रास होता है जो स्थिति विभाग एवं कर्मचारियों के लिए अहितकारी है। अतः ओवरटाइम देने की कार्यवाहियां विधिपूर्ण ढंग से करके उसके भुगतान की उचित व्यवस्था की जाए।

३---कार्यरत कर्मचारियों का वेतन, भत्ता इत्यादि का बकाया विभाग में बेशुमार पड़ा है जिसके भुगतान के लिये कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं संघ द्वारा अनेक पत्र समयानुसार लिखे जाते हैं किन्तु अधिकारियों की तरफ से उसके भुगतान में पूर्णरूपेण ढिलाई रहती है अतः उक्त बकायों के अदायगी की समुचित व्यवस्था की जाए।

४---चालक ट्राफिक स्टाफ को सामयिक वर्दी तथा वर्कशाप में कार्यरत कर्मचारियों को उनका लिबास दिया जाए।

५---चालक एवं परिचालकों को प्रति १०० मील पर १ रु० २५ नया पैसा माइलेज एलाउन्स दिया जाए।

६---कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाए जाएं तथा उसके अभाव में आवास-भत्ता दिया जाए।

७---सेवा कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या अल्प रहने के कारण कर्मचारियों पर कार्य का बोझ अधिक है जो उनकी कार्यक्षमता को आघात पहुंचाने के साथ ही जनसाधारण के कष्टों को भी उत्पन्न करने वाला है। ऐसी दशा में सेवा कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए।

८---विभाग में व्याप्त दुर्व्यवस्था एवं अन्धेरगर्दी समाप्त करने के लिए विभागीय मैनुवल कर्मचारियों के संगठनों से सुझाव देने के उपरान्त अविलम्ब निर्मित किया जाए।

९---परिवहन विभाग जैसे राजकीय व्यापारिक प्रतिष्ठान को विकसित करने के लिये कर्मचारियों की पूर्ण रुचि एवं तत्परता अपेक्षित है जो कर्मचारियों को मुनाफा में बिना साझीदार बनाए सम्भव नहीं। ऐसी दशा में अन्य प्रान्तीय सरकारों की भांति रोडवेज कर्मचारियों को ३ माह का वेतन बोनस के रूप में दिया जाए।

१०---ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें पेन्शन की सुविधा सुलभ नहीं है उन्हें प्राविडेन्ट फंड के साथ ग्रेच्युटी देने की व्यवस्था की जाए।

११---कैजुवल व मेडिकल अवकाश की पूर्व प्राप्त सुविधा की कटौती द्वारा सरकार ने कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय कर भारी संकट उत्पन्न कर दिया है। उक्त अवकाशों के अभाव में कर्मचारिगण अपने अवकाश कार्यों में सम्मिलित नहीं हो पाते तथा रोगग्रस्त होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। अतः उक्त अवकाशों की सुविधा दी जाए।

१२---ट्रान्सपोर्ट वर्कर ऐक्ट लागू होने की तिथि से प्रत्येक ड्राइवर-कन्डक्टर को दो रुपया प्रतिमाह वर्दी धुलाई का भत्ता मिलना चाहिए किन्तु अधिकारी वर्ग अभी तक उसे देने की शुरूआत भी नहीं किए। फलस्वरूप कर्मचारियों को आर्थिक क्षति विद्यमान है अतः उसके बकाया को और भविष्य में दो रुपया की दर से उक्त भत्ता दिलाने की व्यवस्था की जाए।

१३---तीन सौ रुपया मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन से अनिवार्य बचत योजना के नाम पर धन कटौती करना श्रमिकों के समक्ष संकट उत्पन्न करना है अतः उक्त योजना का प्रभाव उपरोक्त प्रकार के श्रमिकों पर नहीं पड़ना चाहिये।

१४---रोडवेज विभाग का समस्त कारोबार विशेष कर कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्यवाहियां हिन्दी भाषा में की जांए।

१५---इस दुर्घटना के सम्बन्ध मे होने वाली अदालती कार्यवाही विभागीय व्यय के आधार पर की जाए।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर)

बड़ा गांव रजबहा जून, १९६३ के बाद नीचे लिखे दिनों पर चला

		दिन
जुलाई	.. जुलाई १०, ११, १५, २३ से ३० तक	११
अगस्त	.. अगस्त २१ से २७ तक	७
सितम्बर	.. सितम्बर ३ से १० तक	८
अक्तूबर	.. अक्तूबर ९ से १५ तथा १९ से २२ तक	११

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

सूची

३० सितम्बर, १९६३ तक कानपुर के सूती मिलों, जूट मिलों व अन्य थोक उपभोक्ताओं पर अवशेष धन का विवरण

मिल का नाम	माह नवम्बर व दिसम्बर, १९६० का बकाया धन	अगस्त, १९६३ का बकाया धन	सितम्बर, १९६३ का बकाया धन	शेष पिछला बकाया धन
१	२	३	४	५
	रु० न० पै	रु० न० पै०		रु० न० पै०
१—सर्व श्री लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि० ..	४,०३.००	९०,३८७.७२	सितम्बर माह के बिजली के बिल तैयार किये जा रहे हैं।	७९,०३३.२०
२— ,, अथर्टन वेस्ट कं० लि० ..	२,५९१.०७	..		
३— ,, म्योर मिल्स कं० लि० ..	५,६०९.४१	९४,१९२.५७		
४— ,, न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०	३,९२४.००	९६,६२९.७४		
५— ,, स्वदेशी काटन कं० लि० ..	१२,५२१.४५	१,७७,२६२.१९		
६— ,, जग्गी लाल कमलापत ..	१२,६९२.५५	१,३१,५१२.१४		
७— ,, कानपुर टेक्स-टाइल्स लि० ..	१,९४०.००	..		
८— ,, एलगिन मिल्स कं० लि०-नं० २	२,५८०.६७	..		
९— ,, एलगिन मिल्स कं० लि०-नं० १	४,११७.६०	..		
१०— ,, जे० के० रेग्रान फैक्टरी ..	४,९०३.७४	१,१७,१५८.७९		
११— ,, दि सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० फैक्टरी एरिया ..	६८०.००			

मिल का नाम	माह नवम्बर व दिसम्बर, १९६० का बकाया धन	अगस्त, १९६३ का बकाया धन	सितम्बर, १९६३ का बकाया धन	शेष पिछला बकाया धन
१	२	३	४	५
	रु० न० पै०	रु० न० पै०		रु० न० पै०
१२—सर्व श्री जे०के०आयल मिल्स कं० लि०	४२०.००	..		..
१३— „ गनेश फलावर मिल्स ..	१,००४.००	..		..
१४— „ सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लि० (जी० टी० रोड)	२,९७७.६०	..		..
१५— „ मोतीलाल पदमपत आयल मिल्स	३७०.१३	..		..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

क्रम-संख्या	नाम	कब से हैं	शिक्षा
१	श्री विशाल चन्द जैन ..	१२-९-३८	बी० ए०, एल-एल० बी० ।
२	श्री चन्दूलाल ..	२३-५-६३	बी० ए०, एल-एल० बी० ।
३	श्री जगदीशसरन ..	२५-३-५४	हाई स्कूल व इंजीनियरिंग परीक्षा रुड़की यूनीवर्सिटी से ।
४	श्री मोहम्मद इस्माईल ..	२५-३-५४	हिन्दी उर्दू मिडिल परीक्षा, मुंशी फाजिल परीक्षा और उर्दू हाई प्राफिसेन्सी परीक्षा ।
५	श्री मंगलकिरन जैन ..	३-४-६३	हाई स्कूल परीक्षा ।
६	श्री मंगतसिंह ..	६-४-४९	हाई स्कूल परीक्षा, मुख्तयार शिप व रेवेन्यू एजेन्ट्स परीक्षा ।
७	श्री आसाराम महेश्वरी ..	२४-७-४७	हाई स्कूल परीक्षा ।
९	श्री बृज भूषणशरण ..	१८-५-४९	बी० ए०-एल, एल०-बी० ।
८	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ..	१८-५-४९	बी० एस-सी०, एल-एल० बी० ।
१०	श्रीमती विमला अरोड़ा ..	२२-१०-६३	बी० ए० ।
११	श्री ज्योतिप्रसाद ..	१६-१२-५५	इन्टरमीडिएट ।
१२	श्री ओमप्रकाश ..	१६-१२-५५	६ कक्षा पास ।
१३	श्री महन्त घनश्यामदास	१६-१२-५५	८ कक्षा पास ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर)

क्रम-संख्या	नाम	नियुक्ति का दिनांक	पहली नियुक्ति या पुनः नियुक्ति
१	श्री भगवतीप्रसाद गर्ग ..	११-७-६३	पुनः नियुक्ति
२	श्री कुंवर भानप्रतापसिंह ..	१-७-६३	,, ,,
३	श्री ओमप्रकाश गुप्त ..	१६-६-६३	पहली नियुक्ति
४	श्री प्रीतमसिंह ..	१६-६-६३	,, ,,
५	श्री द्वारिकाप्रसाद ..	१६-६-६३	,, ,,
६	श्री अब्दुल सलाम ..	१५-११-४२	,, ,,
७	श्री जग्गनलाल ..	३१-८-४६	,, ,,
८	श्री बृजराजसरनसिंह ..	१५-१२-५१	,, ,,
६	श्री कृष्णप्रतापसिंह ..	१६-२-४६	,, ,,
१०	श्री बनवारीलाल ..	११-२-५२	,, ,,

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८२ पर)

क्रमांक	नाम	पद	निवास स्थान का जिला
१	श्री रजबली ..	.. चौकीदार ..	गोरखपुर
२	श्री अमृतलाल ..	.. वाटर व्वाय ..	इलाहाबाद
३	श्री बसन्त ..	.. ,,	देवरिया
४	श्री सुखदेव ..	.. ,,	बलिया
५	श्री शत्रुजीत पान्डे ..	.. मजदूर ..	गोरखपुर
६	श्री बृजनारायण सिंह ..	.. ,,	देवरिया
७	श्री मोहन ..	.. ,,	,,
८	श्री मुन्नीलाल ..	.. ,,	गोरखपुर
९	श्री फूलचन्द ..	.. ,,	,,
१०	श्री जैनरायन मिश्र ..	.. ,,	,,
११	श्री रामेश्वर शुक्ला ..	.. ,,	,,
१२	श्री राममनोहर मनी ..	.. ,,	देवरिया
१३	श्री घुरहु ..	.. ,,	गोरखपुर
१४	श्री पाटनदीन ..	.. ,,	बहराइच
१५	श्री सुरेन्द्र मिश्रा ..	.. ,,	देवरिया

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८४ पर)

जिला कानपुर में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के उम्मीदवारों की चुनाव समिति के सदस्य—

१—जिलाधीश २—सेशन्स जज	}	.. पदेन सदस्य
३—श्री एस० मशीन, एडवोकेट		.. बार का प्रतिनिधि
४—श्रीमती सुशीला रोहतगी एम० एल० ए० ।	}	गैर सरकारी सदस्य ।
५—श्री मुर्लीधर कुरील, एम० एल०ए०		
६—श्री राजनारायण मिश्र, एम० एल० ए०		
७—श्री हमो		
८—श्री चंद खां, एम० एल० ए०		
सरदार इन्दरसिंह		

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८६ पर)

जिला गाजीपुर में निम्नलिखित जगहों का विद्युतीकरण किया जा चुका ह

जगह का नाम	१९५१ की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार आबादी	विद्युतीकरण की तारीख
१	२	३
१—सदपुर	६,६०९	३०-११-६०
२—मोहम्मदाबाद	९,१४४	२९-१२-६०
३—शेरपुर	१३,३०७	३१-१२-६०
४—बहादुरगंज	५,२८८	२४-१-६१
५—मैनपुर	३,५५१	३१-१-६१
६—गौरापुर	३,००७	२८-१०-६१
७—सरदहा	२,१६४	२९-१०-६१
८—बीरपुर	४,००१	२१-१०-६३
९—बासदेवपुर	१,१८१	१७-१०-६३
१०—पारा	२,००८	१८-१०-६३
११—बाधोपुर	१,०७७	१३-९-६३
१२—पचोतर	३,७०१	१३-९-६३
१३—कुन्डेश्वर	२,१६७	१९-९-६३
१४—रामपुर	१,३३२	१३-११-६३
१५—बालापुर	१,३२८	१-१२-६३

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८६ पर)

	नाम		पद		नाम जिला जहां निवास स्थान है
१—श्री	कृष्णचन्द्र	..	सहायक अभियन्ता	..	मुजफ्फरनगर
२—श्री	सीतारामसिंह	..	ओवरसियर	..	देवरिया
३—श्री	खुशीराम शर्मा	..	,,	..	बुलन्दशहर
४—श्री	गोपाल जी	..	,,	..	बस्ती
५—श्री	बी०के० तिवारी	..	कलर्क	..	लखनऊ
६—श्री	राधामोहन	..	अमीन	..	बलिया
७—श्री	रमेशचन्द्र	..	,,	..	अलीगढ़
८—श्री	यदुनाथ पान्डे	..	पतरौल	..	बहराइच
९—श्री	मोहम्मद शमी	..	पतरौल	..	बहराइच
१०—श्री	अंबिकाप्रसाद	..	पतरौल	..	बहराइच
११—श्री	सुदर्शनलाल	..	जिलेदार	..	हरदोई
१२—श्री	बी० डी० ओझा	..	दफादार	..	देवरिया
१३—श्री	नाथू	..	बरकंदाज	..	देवरिया
१४—श्री	कुमार	..	रनर	..	गोरखपुर
१५—श्री	रामगती	..	मेट	..	देवरिया
१६—श्री	महाबल	..	मेट	..	रायबरेली
१७—श्री	शिवप्रसाद	..	चपरासी	..	रायबरेली
१८—श्री	बेदसिंह	..	मेट	..	मुजफ्फरनगर
१९—श्री	मुहम्मद शरीफ	..	मेट	..	बिजनौर
२०—श्री	उदयराज उपाध्याय	..	बलदार	..	फैजाबाद

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९० पर)

तालिका

सन् १९६३ में गोरखपुर में हुई परीक्षा में लिये गये कन्डक्टरों तथा क्लर्कों का जिलेवार ब्योरा

क्रम-संख्या	कन्डक्टरों की संख्या	क्लर्कों की संख्या	नाम जिला जिसके रहने वाले हैं
१	९	४	फैजाबाद
२	१८	६	बलिया
३	५४	१५	आजमगढ़
४	५	४	गाजीपुर
५	१	..	मिर्जापुर
६	२	१	इलाहाबाद
७	५५	९७	गोरखपुर
८	१	..	लखीमपुर खीरी
९	१	..	कानपुर
१०	७५	२५	बस्ती
११	४	२	गोंडा
१२	२७	२७	देवरिया
१३	२	..	बहराइच
१४	२	..	वाराणसी
१५	१	१	प्रतापगढ़
१६	१	..	सारन (बिहार)
१७	..	१	पिथौरागढ़
१८	..	२	लखनऊ

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर)

प्रेषक,

रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद शाखा,
१४०/१३२ जानसेनगंज, इलाहाबाद ।

सेवा में,

जनरल मैनेजर जी,
उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट रोडवेज,
इलाहाबाद रीजन, इलाहाबाद ।

पत्र संख्या (रोड) ६३–६४, दिनांक सितम्बर, १९६३ ।

प्रिय महोदय,

इस पत्र के साथ नत्थी करके आपकी सेवा में स्थानीय रोडवेज कर्मचारियों की १३ सूत्री मांगों की सूची प्रस्तुत करते हुए हम आपसे आशा के साथ अनुरोध करते हैं कि इनमें से जो आपके अधिकार क्षेत्र की हैं उन्हें आप स्वयं पूरा करने की तात्कालिक कार्यवाही कीजिए तथा जो अन्य अधिकारियों या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की हैं उन्हें उन संबंधित सूत्रों के पास अपनी उचित सिफारिशों के साथ प्रेषित करते हुए पूरी कराने का ठोस प्रयास कीजिये ।

रोडवेज मजदूर सभा , उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद शाखा के सदस्यों ने स्थानीय रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर काफी गम्भीरता-पूर्वक विचार करने के बाद ही इन मांगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सर्व सम्मति से फैसला लिया है और यह भी उल्लेखनीय है कि इन मांगों को स्थानीय रोडवेज कर्मचारियों की उस विराट सभा द्वारा भी सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है जो हमारी स्थानीय शाखा के तत्वावधान में गत २१–९–६३ को जीरो रोड बस स्टेशन के सामने वाले पार्क में हुई थी ।

अतः इन मांगों की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति हेतु आपके पुर असर प्रयासों व कार्यवाहियों की महत्वपूर्ण सूचना की प्रतीक्षा में ,

सप्रेम,

आपका

कृष्णकुमार श्रीवास्तव,
संयोजक , इलाहाबाद शाखा तथा सदस्य
कार्यकारिणी समिति, रोडवेड मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश,

सं० ९ (रोड) ६३–६४ दिनांक सितम्बर, ३० १९६३ ।

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थ मजदूर एवं उचित कार्यवाही हेतु सेवा में––

१––प्रधान मंत्री, रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ।

२––ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

३––ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

ह० कृष्णकुमार श्रीवास्तव

नोट––प्राप्ति की सूचना प्रार्थनीय है ।

(१३ सूत्री मांगों की सूची)

१---रोडवेज मजदरों के वेतन निर्धारण हेतु हाई कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक वेतन मंडल बने ।

२---रोडवेज मजदूरों को, उनकी गाढ़ी मेहनत द्वारा कमाये गये मुनाफे में से बोनस दिया जाये ।

३---प्रत्येक मजदूर को जिसने एक वर्ष की नौकरी पूरी कर ली हो, स्थायी किया जाए ।

४---केजुअल, मेडिकल व अर्नड छुट्टियों की सुविधायें काटने वाले आदेश को तुरन्त वापस लिया जाए ।

५---इम्प्लाईज प्राविडेंट फंड (ई०पी०एफ०) की मद में कर्मचारियों की ओर से जो रकम विभाग द्वारा अपने से जमा किया गया था उसे अब कर्मचारियों से न वसूल किया जाये ।

६---८ घंटे की ही-ड्यूटी का नियम कड़ाई से लागू हो । ड्राइवरों का वह समय जो गाड़ियों का चार्ज लेने व देने तथा कंडक्टरों का वह समय जो टिकट व पैसे लेने व देने आदि में लगता है को उनके ड्यूटी के समय में जोड़ा जाये ।

७---विभागीय पदोन्नति के संबंध में जो अनुपात राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये जा चुके हैं उनका पालन हो ।

८---दुर्घटनाओं के अवसर पर ड्राइवरों व कंडक्टरों को विभाग की ओर से पर्याप्त मात्रा में आर्थिक व कानूनी सहायता प्रदान की जाये ।

९---डिफेक्टिव गाड़ियों को रूट पर न चलने दिया जावे ।

१०---वर्कशाप स्टाफ बढ़ाया जाये ताकि गाड़ियों की उचित देख-रेख और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो सके ।

११---डी० आडिट बिलों का भुगतान अविलम्ब कराया जाये ।

१२---वाशिंग एलाउन्स ट्राफिक व वर्कशाप के मजदूरों को भी मिले और सभी को दो रुपया मासिक की दर से दिया जाये ।

१३---ड्राइविंग स्टाफ के लिये बने विश्राम गृहों में जो कार्यालय बना लिये गये हैं, उन्हें तुरन्त खाली किया जाये तथा कर्मचारियों को ठहरने आदि की सभी सुविधायें प्रदान की जायें ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १६५ एल० ए० १९६४—८६० ।